खण्ड-332, अंक-10
सोमवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1900
(8 मई, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. १३०१–१३०४
नये मंत्रियों के परिचय की मांग (जारी)	.. १३०५
प्रश्नोत्तर	.. १३०५–१३४८
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. १३४८–१३४९
नये मंत्रियों के परिचय की मांग	.. १३५०
बाराबंकी के ग्राम समगढ़ा हंस राजपुर तथा तालगांव में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५०–१३५१
जिला बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में छोटी चेचक के प्रकोप से बच्चों की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५१
फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी के अभाव के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५२
इलाहाबाद कचेहरी में दीवानी न्यायालय के रिकार्ड रूम में आग लगने से हानि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५२–१३५३
प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाने के दरोगा, श्री नरेन्द्र प्रताप राव के विरुद्ध बलात्कार शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५३–१३५४
बड़ी गण्डक नदी की धारा परिवर्तन से देवरिया जिले के खड्डा विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों के किसानों पर आर्थिक संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.. १३५४–१३५५
कारागार विभाग के कर्मचारियों की वर्दी के शासनादेश में खादी विरोधी नीति होने पर आपत्ति	.. १३५५–१३५७
हिन्दी दैनिक 'अमृत प्रभात' के सम्पादक तथा पी० टी० आई० के सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. १३५७–१३५८
सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. १३५८–१३६०
पायनियर समाचार–पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. १३६०
सर्वश्री नारायण दत्त तिवारी, कृष्ण वीर सिंह कौशल तथा मन्जूर अहमद सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	.. १३६१

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री हरिचरण यादव, सदस्य, विधान सभा को सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. १३६१
कार्य मन्त्रणा समिति के नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा	.. १३६२
२५ अप्रैल, १९७८ की कार्यसूची की मदों 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या ७के पुनः स्वीकार करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	.. १३६२–१३६३
विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा	.. १३६३–१३६४
उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	.. १३६४
उत्तर प्रदेश पाठ्य–पुस्तक विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया)	.. १३६४
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचना	.. १३६५–१३८०
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–– अनुदान संख्या ६०––विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७–– ऋण और अग्रिम–विद्युत् (जारी)	.. १३८०–१४०२
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. १४०३
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या ६०––विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७–– ऋण और अग्रिम विद्युत् (स्वीकृत)	.. १४०३–१४२०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	.. १४२१–१४२२
काशीपुर जिला नैनीताल में श्री तुलाराम तथा उनके पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	.. १४२२–१४२४
सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. १४२५
काशीपुर जिला नैनीताल में श्री तुलाराम तथा उनके पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	.. १४२५–१४२७
प्रदेश में बिजली की पूर्ति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	.. १४२७–१४३२
पत्रियां	.. १४३३–१४३७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ मई, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य

२६९

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हुसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोट लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री

जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्यवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बच्चे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास खंडेला, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाल आप्टे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद जलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद हबीब अन्सारी, श्री

मोती लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रघुजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार, सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री

लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलधत सिंह, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जोना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सलावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरज प्रसाद, श्री

सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती	हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
सोहन बीर सिंह तोमर	हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
सोहन लाल, श्री	हरी राम वर्मा, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	हरी सिंह, श्री
हबीब अहमद, श्री	हाकिम लाल, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री	हिम्मत सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री	हुकम चन्द तिवारी, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री	हुक्म सिंह परिहार, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री	हेम राज, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री	

नोट--विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

नये मंत्रियों के परिचय की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि नये मंत्री हुए हैं, कम से कम परिचय तो हम लोगों का करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के घंटे के बाद। वैसे माननीय श्याम धर जी, यह परिपाटी राज्य-सभा, लोक सभा में है, यहां नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी परिपाटी है, लेकिन प्रश्नों के बाद ही यह सम्भव होगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ मई, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बदायूं जिले के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन

**१--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के १६ माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ७ माह से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार शीघ्र वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

जी नहीं।

ऐसा कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिसके अध्यापकों को ७ माह से वेतन नहीं मिला।

प्रश्न नहीं उठता।

जालौन जिले में चलने वाली रोडवेज बसें

**२--श्री शंकर सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में चलने वाली या जनपद जालौन से होकर निकलने वाली कितनी रोडवेज की बसें इस वर्ष १९७८ में बन्द कर दी गयी हैं ? इन बस सेवाओं को बन्द करने के क्या कारण हैं तथा उनके स्थान पर सरकार ने किस विकल्प की योजना बनाई है ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

जनपद जालौन में या जनपद जालौन से होकर निकलने वाली दो रोडवेज बसों को वर्ष १९७८ में बन्द कर दिया गया क्योंकि इन बसों की आय बहुत कम एवं अलाभकारक थी।

आय कम होने के कारण निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बीसलपुर सहकारी गन्ना मिल के संचालक मण्डल का अनियमित रूप से गठन

**३--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का बीसलपुर सहकारी गन्ना मिल के संचालक मण्डल के अनियमित गठन सम्बन्धी पत्र दिनांक २९ मार्च, १९७८ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिवमंगल सिंह)--

जी हां, माननीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह जी का पत्र दिनांक २६ मार्च, १९७८ शासन को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र के सम्बन्ध मे स्थिति से उन्हें दिनांक २९ अप्रैल, १९७८ को अवगत करा दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

राजकीय पशु चिकित्सालयों को आपूर्ति की जाने वाली दवाओं में मिलावट

*१- श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या पशु पालन मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय पशु चिकित्सालयों में आपूर्ति की जाने वाले गैमेक्सीन में राख व मिट्टी, फिनाइल में पानी, नौसादर नमक, हींग में गोन्द व आटा आदि द्रव्यों के बड़े पैमाने पर अप मिश्रण के कारण पशु रोगों के नियन्त्रण में गम्भीर बाधा उत्पन्न हो गई है तथा लाखों पशुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या प्रभावकारी कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं ।

केवल उप निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में नौसादर के नाम पर जमाये गये साधारण नमक की आपूर्ति किये जाने की शिकायत मिली थी जिसकी जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में सदन को सूचित किया जा चुका है ।

चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ना पेराई करने सम्बन्धी आदेश

*२--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के उन गन्ना किसानों को जिनकी गन्ने की पेराई इस सत्र में नहीं हो पायेगी ? क्या उन्हें क्षतिपूर्ति करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

वर्तमान पेराई सीजन में प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्रों में गन्ने की बाहुल्यता है। उल्लिखित क्षेत्रों की चीनी मिलों में कृषकों के आफड गन्ने की आपूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं व चीनी मिलों को इस आशय के आदेश दे दिये गये हैं कि वह अपने क्षत्र का समस्त अनुबंधित (आफर्ड) गन्ना, जिसकी खरीद का उनका विधिक दायित्व है, समाप्त कर अन्तिम रूप से गन्ना पेराई कार्य का समापन करें। गन्ना किसानों को क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

आपातकाल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को आयु सीमा में दी गयी छूट

*३—श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन हाल ही में प्रसारित किया है उसमें कुछ स्थितियों में आवेदन कर्ताओं की आयु सीमा की छूट दी गयी ? क्या आपातकाल पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को भी उसी प्रकार की आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। आपातकाल पीड़ित व्यक्तियों, जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की श्रेणी में आते हैं एवं उनके आश्रितों को भी अधिकतम आयुसीमा से ५ वर्ष की छूट दी गयी है।

उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन के चुनाव की मांग

*४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसके प्रशासन के लिए कोई तदर्थ समिति गठित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवमंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव कार्य प्रगति में है।

नियमों में तदर्थ समिति गठित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, अतः इसके गठन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी कोई अंतिम तिथि बतलायेंगे कि कब तक चुनाव करा देंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

हम प्रयास करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इसका चुनाव करा दें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात की शिकायत मिली है कि विधिवत् कोई संगठन न होने के कारण केवल प्रशासक के जरिये से ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इसमें गड़बड़ी की कोई शिकायत मिली है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसमें गड़बड़ी की बात उतनी नहीं है मान्यवर, बल्कि इधर कुछ कोआपरेटिव अधिनियम के अन्दर इस बीच में कुछ संशोधन हुए हैं और जब ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई थी, उस समय चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी थी, लेकिन नियमों में जब संशोधन होने लगे थे, तो उसके अनुरूप ही बाई-लाज में एडाप्शन करना पड़ा था और वह अभी हो नहीं पाया, जो प्रारम्भिक सोसायटियां हैं, उनका चुनाव नहीं हो पाया, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तो यह कोई माने नहीं रखता है। हम कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द बाई-लाज तैयार किये जायं । मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं स्वयं ही इस विचार का हूं कि जितनी भी इस प्रकार की समितियां हैं, उनका सबका विधिवत् चुनाव होना चाहिए ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव कराने में क्या कठिनाई है जिसके कारण विलम्ब हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुखपाल जी, कम से कम समझ कर प्रश्न किया करिये । उत्तर दे दिया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि प्रारम्भिक समितियां जो हैं, उनके चुनाव होने के पश्चात् फेडरेशन का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने की व्यवस्था करेंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि सारी कार्यवाही कोई सुनिश्चित दिनांक तक क्या हो जायेगी ? यदि, हां, तो कब तक ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, ऐसी आशा की जाती है कि ३० जून तक प्रारम्भिक समितियों के चुनाव हो जायेंगे और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ३० सितम्बर तक फेडरेशन का भी विधिवत् चुनाव हो जाय ।

छितौनी चीनी मिल, देवरिया में क्रेकडाउन एवं मिल पर बकाया धनराशि

*५--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की छितौनी चीनी मिल किन कारणों से किसानों को बिना नोटिस दिए अचानक बन्द कर दी गयी है जबकि किसानों के खेतों में पर्याप्त गन्ना खड़ा है ? कृपया यह भी बतायेंगे कि इस वर्ष छितौनी चीनी मिल कुल कितने दिन चली और इस

अवधि में कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ और इस ब्रेक डाउन से कितने रुपए की क्षति हुई ? इस मिल के जिम्मे कुल कितना बकाया है और मिल के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

छितौनी चीनी मिल अभी बन्द नहीं हुई है एवं चीनी का परता कम होते हुए भी कृषकों के हित में गन्ने की पेराई जारी है । यह मिल २८ अप्रैल, १९७८ तक कुल १५१ दिन चली उसमें से जीर्णशीर्ण मशीनरी होने के कारण कुल २६ दिन ७ घंटे ब्रेक डाउन से बन्द रही । इस ब्रेकडाउन से मिल को करीब ८ लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है । बकायों की वसूली के लिए जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा उक्त मिल पर (४ मई, १९७७) को रिसीवर की नियुक्ति की गई । उस समय मिल पर गन्ना मूल्य कमीशन व श्रमिकों का बकाया लगभग १०१.५७ लाख रुपया था । २८ अप्रैल, १९७८ तक रिसीवर ने अपनी नियुक्ति से पूर्व का लगभग ८.४० लाख रु० गन्ना मूल्य कमीशन व क्रयकर का तथा लगभग १२.५२ लाख रु० श्रमिकों के देयों का भुगतान कर दिया है । उक्त तिथि (२४ अप्रैल, १९७८) को इस मिल पर गन्ना मूल्य कमीशन, क्रयकर तथा श्रमिकों के वेतन आदि के रूप में लगभग ९०.०९ रु० लाख बकाया था । शेष बकायों का भुगतान के यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, छितौनी चीनी मिल में १० महीने से मजदूरों का पैसा बाकी है । पिछले साल का काश्तकारों का पसा बाकी है इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मजदूरों का १० महीने का बकाया है और काश्तकारों का जो पिछले साल का भी बकाया है, इससे उन लोगों को शादी में पसा न होने से तकलीफ है, तो उनको कितनी जल्दी भुगतान मंत्री जी कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बकाया की धनराशि बड़ी है लेकिन जबसे रिसीवर की नियुक्ति हुई है, अपने सत्र का भुगतान हमने करा दिया है । शेष जो पुराना बकाया है, उसके लिये नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किया जायेगा ।

श्री श्रीनारायण--

जबसे रिसीवर पहुंच गये हैं तबसे जो भुगतान हुआ, उसमें ८ लाख रुपया और घाटा हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कोई तकनीकी जांच कराकर जो कमी है, उसको मंत्री जी दुरुस्त करायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ९० लाख का जो बकाया है और जैसा कि उन्होंने कहा कि नियमानुसार वसूली करने की कार्यवाही की गयी, तो नियमानुसार लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूली करने के लिये वह कार्यवाही किस स्टेज पर है जो कि डी० एम० द्वारा कार्यवाही करनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है कि उन्होंने रिसीवर नियुक्त कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन--

रिसीवर ने अपने जमाने का भुगतान करा दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि नियमानुसार रिसीवर नियुक्ति हो कर के कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए उसका उत्तर आ गया।

श्री रियासत हुसैन--

नियमानुसार तो डी०एम करेगा। डी० एम० ने क्या कार्यवाही की रिकवरी को ? रिकवरी का नोटिस इश्यू कर दिया है या नहीं किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भूराजस्व बकाये की वसूली जिस ढंग से की जा रही है, उस ढंग से रिसीवर होने के पूर्व जो बकाया मिल मालिक थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसके बाद तो कार्यवाही कर दी गयी है रिसीवरशिप में ले लिया गया। उसके बाद जो अन्य कार्यवाही नियम के अनुसार होगी, वह की जायगी।

बाराबंकी जिले की बाराबंकी चीनी मिल के क्षेत्र के गन्ने की पेराई की व्यवस्था

*६--श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह पता है कि विगत १८ अप्रैल, १९७८ को दो बजे दिन से यू०पी० शुगर कारपोरेशन बाराबंकी यूनिट बिना किसी पूर्व सरकारी आदेश और सलाहकार समिति को परामर्श के बिना जनरल मैनेजर द्वारा मनमाने ढंग से बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो इस शुगर यूनिट के क्षेत्र में अब भी २ लाख क्विन्टल गन्ने की पेराई के लिए शासन द्वारा क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

अत्यधिक बड़ी यांत्रिक खराबी होने के कारण जिससे, तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार, अन्य मशीनों को व श्रमिकों की जान को खतरा था, बाराबंकी चीनी मिल में गन्ने की पेराई का कार्य यार्ड (yard) में उपलब्ध गन्ने की पेराई करके १६-४-७८ को १० बजे दिन से बन्द कर देना पड़ा। राज्य चीनी निगम तथा सभी सम्बन्धित गन्ना यूनियनों के चेयरमैन इत्यादि से परामर्श करके यह तै किया गया कि बाराबंकी मिल के क्षेत्र के बचे हुये आफर्ड गन्ने की पेराई करने के लिए बुढ़वल चीनी मिल को अधिकृत किया जाय एवं इस गन्ने की पेराई का कार्य

आफर्ड गन्ना समाप्त होने तक बुढ़वल चीनी मिल द्वारा किया जाय। मिल की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक २१-४-१९७८ में तकनीकी राय पर १९-४-७८ को मिल का पेराई कार्य बन्द करने के निर्णय की तथा अवशेष गन्ने को बुढ़वल मिल को देने की पुष्टि की गई। बुढ़वल चीनी मिल ने पेराई का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस मिल को १९-४-७८ को ही बन्द कर दिया गया और सलाहकार समिति की बैठक २१ तारीख को पूरी की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह भारी यान्त्रिक गड़बड़ी कितने दिनों से थी और यदि यह गड़बड़ी लम्बी अवधि से थी, तो उस दरमियान इसे ठीक करने के लिए कौन सी कार्यवाही विभाग ने की ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इस मिल में मशीनरी की गड़बड़ी कुछ दिनों से अवश्य थी और समय-समय पर इसके निराकरण के उपाय भी सोचे जा रहे थे, लेकिन जब मशीनरी इस योग्य हो गयी और तकनीकी लोगों ने यह राय दे दी कि अब इसका चलना खतरे से खाली नहीं है और इसमें जान माल का खतरा हो सकता है, तो बन्द की गयी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो बचा हुआ गन्ना है बाराबंकी मिल के साथ बुढ़वल मिल को दे दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बुढ़वल चीनी मिल भी बीच में बन्द रही है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बुढ़वल मिल के भी बंद हो जाने से सम्पूर्ण बाराबंकी जिले में जो गन्ना के काश्तकार हैं, उन पर एक भयंकर संकट की स्थिति है। ऐसी हालत में इस संकट के निवारण के लिए मंत्री जी ने क्या प्रयास किये ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, बुढ़वल मिल बिल्कुल बंद तो नहीं हुई है। कुछ बीच में कठिनाइयों के कारण बन्द हुई हो। इसलिए ऐसी कोई आशंका नहीं है कि बाराबंकी के गन्ना की पिराई नहीं होगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बाराबंकी मिल मजदूर यूनियन ने यांत्रिक गड़बड़ी के बावजूद इस मिल को चलाने का कोई प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारी को दिया था ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसकी जानकारी तो नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

मंत्री महोदय ने लिखा है कि बुढ़वल शुगर मिल ने आफर्ड गन्ने को पेरने का आश्वासन दिया है, तो समिति द्वारा जितने गन्ने का सट्टा किया गया है, वह आफर्ड के बराबर है या कमोबेश है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इन डिटेल्स के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या यह सही है कि बाराबंकी चीनी मिल में कर्मचारियों के आन्दोलन से भयभीत होकर तथा किसानों को परेशान करने के लिये अधिकारियों ने मिल को बन्द किया था और मशीनरी की खराबी केवल बहानेबाजी थी ? इस सूचना को सही मान कर क्या मंत्री महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने किसानों को नुकसान पहुंचाया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

तकनीकी विशेषज्ञों की राय के पश्चात् यदि मिल को बन्द किया गया, तो इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

बाराबंकी मिल क्षेत्र का गन्ना बुड़वल शुगर मिल जा रहा है, तो ले जा• का जो अतिरिक्त मूल्य पड़ेगा, उसे कौन बरदाश्त करेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, मिल मालिक इसे बर्दाश्त करेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

तकनीकी विशेषज्ञ कौन-कौन थे और किस तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

श्री एस० पी० मिश्रा, शुगर टेक्नोलाजिस्ट, राज्य चीनी निगम १८-४-७८, प्रो० राम कुमार एवं श्री एस० के० दुबे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर १६-४-७८ तथा लारसन टुब्रो लि० के तीन इंजीनियरों की टीम एन० के गर्ग, बी० गेड मलानी तथा वाई० एन० माथुर २५-४-७८ ।

श्री रियासत हुसैन--

आज ८ मई हो गयी और प्रदेश भर की शुगर फैक्टरीज तकनीकी आड़ ले कर बन्द करने की स्कीम बना रही हैं, तो क्या सरकार कोई ऐसी बाडी बनायेगी जो इसका समाधान कर सके कि मिल बन्द करने के लिए बहाने-बाजी तो नहीं है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

साधारणतया तकनीकी राय को सही मानी जाता है । अगर इसके बावजूद माननीय सदस्य को कोई शंका होगी और विशेष परिस्थिति की वह चर्चा करेंगे तो, मैं उसकी पुनः जांच करा लूँगा ।

श्री सुखपाल पांडेय--

चीनी मिल, बाराबंकी के क्षेत्र में गन्ने का जो आफर हुआ था और वह बुड़वल शुगर मिल को ट्रान्सफर हो जायगा तो आफर्ड से ज्यादा गन्ना होगा, उसके लिय सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

पहले जो आफर्ड गन्ना है, उसकी पेराई खत्म हो जायेगी । उसके बाद जो गन्ना अधिक रह गया है उसके लिये विचार किया जायगा कि उसकी पेराई के लिये उचित व्यवस्था की जाय ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद, जिला परिषद् की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने की मांग

*१-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिला परिषद् की सड़कों को पक्की करवाने अथवा उन्हें सार्वजसिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १२ दिसम्बर, १९७७ का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

जी हां ।

जिला परिषद् के साधन सीमित होने के कारण नसीरपुर दोस्तपुर गोसाईगंज, दिलासी गंज, महरवां--मिझौड़ा तिवारीपुर मिझौड़ा-रायगंज, गहरवा, भीटी अकबरपुर गोहनियां तथा हैदरगंज खजुरी, महरवां सड़कों को अविलम्ब बनवाना सम्भव नहीं है ।

यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सड़कों को लेने के लिये सहमत हों तो जिला परिषद् को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन सड़कों की उपयोगिता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इन्हें शीघ्र ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौपने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, अगर जिला परिषद् का ऐसा प्रस्ताव आयेगा, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इन सड़कों में से जिन सड़कों के एक भाग पर इस साल मिट्टी भराई का काम हो चुका है, वह बेकार न जाय इसलिए क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर पहले उन्हें पूरा कर लिया जायेगा और उसके बाद दूसरी सड़कों को लिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि अगर जिला परिषद् का ऐसा प्रस्ताव आता है, तो उसमें प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि उन सड़कों को मरम्मत के लिये प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जहां पर कार्य हुआ है और कार्य शेष है इनके बारे में अगर जिला परिषद् से लिखकर आता है कि उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जाय, तो उस पर विचार लिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुये कि अधिकतर जिलों से जिला परिषदों ने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की है कि उनके पास रिसोर्सेज न होने के कारण उन्हें पी० डब्लू० डी० को हस्तांतरित कर दिया जाय। क्या मंत्री जी ऐसी पालिसी बनायेंगे कि ये सड़कें पी० डब्लू० डी० को हस्तांतरित कर दी जायं ताकि उनका मेंटीनेन्स हो सके ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिन जिला परिषदों से ऐसे प्रस्ताव आयेंगे, उनके ऊपर विचार कर लिया जायेगा और उनको जरूर दिया जायेगा।

अकबरपुर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की मांग एवं मसौधा तथा शाहगंज चीनी मिल के क्रय केन्द्र खोलने की मांग

*२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर सहकारी चीनी मिल को शीघ्र चालू कराने और अकबरपुर तहसील के विभिन्न स्थानों पर मसौधा चीनी मिल और शाहगंज चीनी मिल के कांटे लगवाने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १२ दिसम्बर, १९७७ का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जनपद फैजाबाद में प्रस्तावित अकबरपुर सहकारी चीनी मिल के विभिन्न स्थानों पर मसौधा एवं शाहगंज चीनी मिलों के कांटे लगवाने के सम्बन्ध में गत वर्ष की भांति चालू सीजन १९७७-७८ में १८ क्रय केन्द्र शाहगंज चीनी मिल को तथा ३ क्रय केन्द्र मसौधा चीनी मिल को सुरक्षित किये गये। सभी क्रय केन्द्र सीजन के प्रारम्भ में संचालित किए गए तथा गन्ने की खरीद शाहगंज एवं मसौधा मिल द्वारा की गयी। असगवां क्रय केन्द्र कुछ दिन चला कर मसौधा चीनी मिल द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के कारण बन्द कर दिया गया है। प्रस्तावित अकबरपुर चीनी मिल का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अकबरपुर सहकारी चीनी मिल के लाइसेन्स को कब और किसकी संस्तुति पर निरस्त किया गया और उसकी सूचना किस तारीख को राज्य सरकार को मिली ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---

निरस्त कब किया गया यह अकबरपुर चीनी मिल का लाइसेन्स ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, तारीख की सूचना नहीं है लेकिन यह लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा निरस्त किया गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस चीनी मिल के लिये अधिकतर कितनी धनराशि अंशपूंजी के रूप में किसानों की खरीदी है और उसको वापस दिलाने के लिये सरकार कुछ करेगी और यह लाइसेन्स फिर से प्राप्त करने के लिये हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से संस्तुति करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये जो शर्तें होती हैं उसमें कमी होने के कारण ही भारत सरकार ने लाइसेन्स की अनुमुति नहीं दी । हम इस बात की कोशिश करेंगे कि शर्तों के अनुसार जो कमियां उसमें रह गई हैं, उनको पूरा करा लिया जाय और उसके बाद यह कोशिश करेंगे कि लाइसेन्स उनको दिया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

जब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो जाता तब तक जो इस चीनी मिल का कार्यालय है और स्टाफ है क्या वह कार्य करता रहेगा या वह सब बन्द कर दिया जायेगा और अंश पूंजी की बिक्री रोक दी जायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

इसके ऊपर, मान्यवर, मैं विचार करूंगा क्योंकि अगर उस चीनी मिल को चलाने की बात है तो कुछ न कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा । जिन शर्तों को पूरा करने की बात हो उनको पूरा कर दिया जाय ताकि मिल स्थापित की जा सके ।

श्री मित्र सेन---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मिल में किसानों की कितनी अंश पूंजी जमा हो चुकी है और उस अंश पूंजी के बारे में क्या विचार कर रहे हैं कि उनको वापस कर दिया जाय या उनको सूद दिया जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह---

जब हम चीनी मिल को न बनाने की बात सोचेंगे तब उसको वापस करने की बात होगी । हमारा प्रयास तो यह होगा कि जो कमी है उसको पूरा करके मिल को स्थापित करने पर विचार किया जाय ।

*३---श्री रमा शंकर कौशिक---

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

बी० डी० ओ०, विकास क्षेत्र, भरावन, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या ग्राम विकास मन्त्री को दिनांक २७ दिसम्बर, १९७७ एवं १४ फरवरी, १९७८ को बी० डी० ओ०, विकास क्षेत्र भरावन, जनपद हरदोई के विरुद्ध उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के शिकायती-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी नहीं ।

दिनांक २८ दिसम्बर, १९७७ का एक शिकायती-पत्र निदेशक, पंचायत राज को प्राप्त हुआ था । सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों से जांच कराई गई । उन्होंने दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को जांच आख्या दी, जिसे पूर्ण जांच न मानते हुए शासन ने अधूरी जांच को पूरा करने के आदेश दिए हैं ।

उन्नाव जिले के मिरिकिलां-शम्भू खेड़ा मार्ग के निर्माण की मांग

*५--श्री मोहन सिंह (जिला राय बरेली)--

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम शम्भू खेड़ा (जिसमें केवल हरिजन ही रहते हैं) पोस्ट मिरिकलां, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में आवागमन का रास्ता अत्यन्त खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इन हरिजनों को सवारी आदि लाने ले जाने के लिए सड़क बनवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

ग्राम मिरिकिलां से ग्राम शम्भू खेड़ा के रास्ते की दूरी लगभग ½ किलो-मीटर है, खराब हालत में है ।

निदेशक, पंचायत राज तथा जिला अधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है कि 'श्रम के लिये खाद्यान्न' योजना के अधीन इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दें ।

हापुड़ मंडी का निर्माण एवं सीमेन्ट के घोटाले सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*६--श्री बनारसीदास चांदना (जिला गाजियाबाद) अनुपस्थित--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ की निर्माणाधीन मंडी में सीमेन्ट घोटाले की शिकायत एक पत्रकार (श्री कैलाश आजाद) ने की थी जिसके कारण सभी सीमेन्ट गोदाम ६/७ फरवरी, १९७८ को सील कर दिए गए तथा जांच करने पर काफी सीमेन्ट के बोरे कम वजन के पाए गए ? उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या यह भी सच है जिस अवर अभियन्ता के विरुद्ध यह शिकायत थी वह अभी तक वहीं कार्यरत है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

श्री कैलाश आजाद द्वारा हापुड़ मंडी में सीमेन्ट के घोटाले आदि के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, गाजियाबाद को जांच हेतु भेजा गया । जिलाधिकारी ने जांच हेतु सीमेन्ट गोदाम को तुरन्त सील करा दिया था तथा सीमेन्ट बोरों का वजन कराया । १५,९६१ कट्टों में सीमेन्ट का वजन सही पाया गया किन्तु ३५४ कट्टों का वजन कम पाया गया । कम वजन वाले कट्टों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । जांच का निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अतः सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही मंडी परिषद् द्वारा नहीं की गई और वे वहां कार्यरत हैं ।

अलीगढ़ जिले की कृषि मण्डी समिति, खैर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन एवं उनकी मांगें

*७--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ स्थित कृषि मन्डी समिति खैर के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व घोटाले आदि की जांच को लेकर दिनांक २२ नवम्बर, १९७७ को कोई आमरण अनशन किया गया था ? यदि हां, तो अनशनकारियों की मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(कृषि राज्य मंत्री)--- श्री वीरेन्द्र सहाय

जी हां ।

अनशन कारियों की मुख्य मांगे तथा उस पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :--

मांगे	कार्यवाही
१---श्री राजवीर सिंह, सचिव, मण्डी समिति को तुरन्त निलम्बित करके निष्पक्ष जांच कराई जाय जिससे लाखों रुपये का घोटाला निकल सके ।	सचिव के विरुद्ध विस्तृत जांच सभापति, मण्डी समिति द्वारा कराई गई जिसमें सचिव को पूर्णतया निर्दोष पाया गया अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।
२--किसानों को मण्डी ऐक्ट सम्बन्धित सभी सुविधायें प्राप्त हो एवं नवीन मण्डी स्थल निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि अध्याप्त की गई उनको पूरा मुआवजा तुरन्त दिया जाय ।	मण्डी स्थल तथा उपमंडी स्थलों पर किसानों को यथासम्भव सभी सुविधायें दी जाती है । नवीन मंडी स्थल का निर्माण हो रहा है और वहां किसानों को सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी । भूमि अधिग्रहण का मुआवजा रु० ७,७५,८८७.२० मंडी समिति द्वारा जमा किया जा चुका है ? भूमि के मुआवजे का भुगतान भमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो कृषि मंडी, खैर की जांच कराने की बात है । उसमें मेरी सूचना को आधार मानते हुए कि भ्रष्टाचार के और घोटाले के जो आरोप थे, वह केवल सचिव के ऊपर ही नहीं थे, बल्कि उसमें मंडी समिति के सभापति भी सम्मिलित थे ।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच करा दी गयी है । जब सभापति जी स्वयं सम्मिलित हैं, तो क्या उनसे उच्च अधिकारी से जांच करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें जो शिकायत है वह सचिव के विरुद्ध है, सभापति के विरुद्ध नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

यह जो भूमि अधिग्रहीत की है, कब उसका अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण किये जाने के बाद अभी तक उसका मुआविजा क्यों नहीं दिया गया और कब तक मुआविजा दे दिया जायगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इसका मुआविजा शीघ्र ही दे दिया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

भूमि अधिग्रहण कब हुआ वह मंत्री जी ने बताया नहीं और उसका मुआविजा नहीं दिया गया उसका क्या कारण है ? मूल प्रश्न यह है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इसकी डेट इस वक्त उपलब्ध नहीं है । लेकिन मुआविजा जैसा निवेदन किया ७ लाख ७५ हजार ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि अभी तक मुआविजा क्यों नहीं दिया गया है ? क्या अब तक मंडी समिति ने जमा कर दिया है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मुआवजा देने की कार्यवाही अभी चल रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

सचिव के विरुद्ध आरोपों की जांच उस मंडी समिति के सभापति ने की है, सभापति और सचिव दोनों साथ-साथ काम करते हैं, एक दुसरे की जिम्मेदारी है, इसलिए क्या मंत्री जी उन आरोपों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इस मंडी में इसकी इनकम ढाई लाख थी जब सचिव पहुंचे थे । उसके बाद इस वक्त ६.८ लाख इनकम हो गयी है । निरंतर इसकी इनकम बढ़ रही है । कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती है कि इसकी पुनः जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि मंत्री और प्रधान प्रायः सहयोग से काम करते हैं । उनका प्रश्न यह है कि किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएगें या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, जांच करा दी जायगी ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि किसानों को प्रति एकड़ मुआविजा किस दर से दिया और वह बाजार दर से कम है या ज्यादा ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कहा कि अभी मुआविजा नहीं दिया गया है । सिर्फ इतना प्रश्न है कि मुआविजा किस दर से दिया जायगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इसकी सूचना नहीं है । इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जायगी अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे ।

उन्नाव जिले के ग्राम मोहन खेड़ा के श्री बाबू लाल हरिजन का कूप निर्माण

*८--श्री सन्त बक्श रावत--(जिला लखनऊ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मोहन खेड़ा मजरे सगौली, तहसील पुरवा, थाना मौरावां, जिला उन्नाव के गांव के प्रधान व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्राम के ही हरिजन (श्री बाबू लाल) को पानी पीने हेतु कुआं नहीं बनवाने दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में उक्त हरिजन ने दिनांक १४ फरवरी, १९७८ से १७ फरवरी, १९७८ तक माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को रजिस्टर पत्र द्वारा शिकायती की ? क्या यह भी सही है कि ग्राम निवासियों ने भी कुआं को शीघ्र बनवाने की मांग पत्र दिनांक ४ फरबरी, १९७८ को माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जमुना प्रसाद--

श्री बाबू लाल पुत्र श्री हुब्बा (हरिजन), ग्राम मोहन खेड़ा मजरे सगौली, तहसील पुरवा थाना मौरावां जिला उन्नाव अपने घर के सामने तीन फुट की दूरी पर तथा श्री नान्हूं पुत्र श्री सूरजू की दीवार से १२ फुट की दूरी पर जब एक कुंआ बना रहे थे तब श्री नान्हूं पुत्र श्री सुरजू तथा भगाने पुत्र श्री निधान ने कुआं बनने में बाधा उत्पन्न की थी । श्री नान्हें ने मौरावां थाने में इसकी रिपोर्ट भी की थी जिससे थाने के सिपाही श्री बाबूलाल को परेशान करते थे । इससे परेशान होकर श्री बाबूलाल ने उच्च अधिकारियों की भी प्रार्थना-पत्र दिये थे । दिनांक २४-३-७८ को थाने में ग्राम सभा सगौली के प्रधान की उपस्थित में दोनों पक्षों में सुलहनामा हो गया है और अब श्री बाबू लाल ने कूप बनवा लिया है । कूप की जगत भी बन गई है तथा केवल प्लास्टर होना शेष है ।

श्री संत बक्श रावत--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुलहनामा की शर्तें क्या हैं और कुआं किस तिथि को बन कर तैयार हुआ है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री संत बक्श रावत--

मान्यवर, सिपाहियों ने उनको परेशान किया और इसी कारण सिपाहियों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना पत्र दिए गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से उन सिपाहियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसके बारे में पुलिस अधिकारियों से सूचना मांगी है कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? आन पर बता दी जायेगी ।

बफर गोदाम, बहराइच के उर्वरक की जांच

*६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि बफर गोदाम, बहराइच में वर्ष १९७७ में डाई अमोनियम फास्फोट व एन० पी० के० में मिलावट की शिकायत पर अगस्त, १९७७ में जिला कृषि अधिकारी, बहराइच ने नमूने लेकर उप निदेशक उर्वरक, लखनऊ को परीक्षण के लिए भेजा और परीक्षण से मिलावट पाई गई ? यदि हां, तो बफर गोदाम निरीक्षक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जिला कृषि अधिकारी, बहराइच ने इन उर्वरकों के नमूने भेजे थे । उनके परीक्षण में, निर्धारित सीमा के लगभग निम्न स्तरीय पाया गया, मिलावट नहीं पाई गई ।

अतः बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि

*१०—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में किन-किन विकास खंडों में पौष्टिक आहार योजना चल रही है और उस पर कितना रुपया वार्षिक व्यय किया गया ? क्या रागेपुर विकास खंड में भी इस प्रकार की कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार है ?

श्री जमुना प्रसाद—

फर्रुखाबाद जनपद के उमर्दा विकास खंड में पौष्टिक आहार योजना वर्ष १९७३-७४ से चल रही है जिसका वर्षवार व्यय विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय हुई धनराशि
१९७३-७४	२६,३३८.००
१९७४-७५	३३,२६७.००
१९७५-७६	४२,७००.००
१९७६-७७	३३,३३८.००
१९७७-७८	३४,६१०.००

राजेपुर विकास खंड में उक्त योजना के चलाये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

पौष्टिक आहार योजना किसी विकास खंड में सम्मिलित किए जाने का आधार क्या है, मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इसका जो माप दण्ड है कि कहां पर यह योजना लागू की जाये, उसका आधार होता है कि कौन सा जिला पिछड़ा है और पिछड़ापन के अलावा उस जिले के अन्दर कौन ब्लाक कितना पिछड़ा है ? उसमें भूमिहीन कितने हैं, वहां की परिस्थितियां क्या हैं, इन सब चीजों को देखकर यह योजना चालू की जाती है । यही सब आधार उसके होते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

फर्रुखाबाद जनपद में राजेपुर ब्लाक गंगा और रामगंगा नदियों के बीच में स्थित है और यह क्षेत्र सदैव बाढ़ग्रस्त रहता है और तरह-तरह की बीमारियां यहां पर फैलती रहती है और यहां पर सर्वाधिक पिछड़ापन है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस ब्लाक को भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

ऐसा है कि यह योजना २० ब्लाकों में एक साथ ली जाती है और एक जिले में एक ब्लाक लिया जाता है और यह योजना ६ वर्ष के लिए होती है । जहां पर आप कह रहे हैं, वहां पर एक ब्लाक में चल रही है । यह योजना ६ठे साल पूरी होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संदर्भित योजना के अन्तर्गत जो रुपया दिया जाता है, उसका आधार उन्होंने बताया, तो उन आधारों पर प्रति वर्ष निर्धारण किया जाता है या एक वर्ष निर्धारण करन के बाद कई वर्षों तक दिया जाता है या प्रति वर्ष निर्धारण किया जाता है, यदि प्रति वर्ष किया जाता है, तो कब किया जाता है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जो ब्लाक लिए जाते हैं, उसमें ६ साल प्रति वर्ष दिया जाता है और जो नये ब्लाक लिए जाते हैं उनके लिए नये तरीके से दिया जाता है ।

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली के श्रमिकों के भविष्य निधि तथा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धन का भुगतान एवं आमरण अनशन

*११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली द्वारा लगभग १२ लाख रुपया मजदूरों के वेतन से भविष्य निधि का काट लेने के बाद भी मजदूरों के खाते में जमा न करके गोलमाल कर देने तथा इस

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अदायगी के लिए सरकार द्वारा दिए गए ११ लाख रुपये को भी मजदूरों को न देने के विरोध में आजकल वहां मजदूर नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

दिनांक २१-२-७८ से फैक्ट्री की एक यूनियन के मजदूर नेता फैक्ट्री गेट पर अपनी मांगों के समर्थन में जितने भविष्य निधि के पुराने मालिकों के समय का ९.५० लाख रु० एवं वर्तमान प्रबन्धकों के समय का ३.२३ लाख रु० जमा कराने की मांग भी सम्मिलित थी, श्रमिक अनशन पर थे जो कि ३-४-७८ से आमरण अनशन में परिणित हो गया एवं आमरण अनशन ८-४-१९७८ को समाप्त हो गया । मार्च, १९७८ में इस चीनी मिल को ११ लाख रुपये गन्ना मूल्य खाते से दिए गए थे जिसमें से भविष्य निधि का ३.२३ लाख रु० जमा कर दिया गया है । पुराने मालिकों से उपरोक्त भविष्य निधि की बकाया धनराशि वसूल किए जाने का मामला भविष्य निधि आयुक्त कानपुर द्वारा कोर्ट में दायर कर दिया है जहां वह विचाराधीन है। उक्त यूनियन (बरेली शुगर फक्ट्री कर्मचारी संघ, बरेली) की २१ मांगों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४३३ पर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य निधि की अदायगी की जो यूनियन की मांगें थीं, उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, उनकी कुल मांगें २१ थीं ।

श्री अध्यक्ष--

भविष्य निधि की वापसी की मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उससे अवगत कराइये ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, उनकी एक और तीन पर ये मांगें थीं कि भविष्य निधि की कुल बकाया धनराशि तुरन्त जमा की जाये और मांगों की सूची में ३ पर यह मांग थी कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटे हुए पैसे की दूसरी किस्त का तुरन्त भुगतान किया जाय । इसको आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि पूर्ण रूप से मानना सरकार के लिए संभव नहीं है । मांग संख्या २, १५, १७ और १९ नहीं मानी गयी हैं । शेष मांगों के विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कुछ मांगों को अंशत: मान लिया गया है कुछ को सरकार ने तिरस्कृत कर दिया है । जिन मांगों पर विचार हो रहा है, उन पर शासन कब निर्णय ले लेगा और दूसरी मांग जो अनिवार्य जमा योजना की है, अर्थात् इकट्ठा किए हुए पैसे का भुगतान, उसको अंशत: स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

पूरी मांग को मानने में सरकार इस समय असमर्थ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं नम्रता से जानना चाहता हूं कि वे मांगें शासन के विचाराधीन कब तक बनी रहेंगी ? एक मांग के बारे में जो कम्पलसरी डिपाजिट अर्थात् अनिवार्य जमा योजना है, वह तो मजदूर से काट कर इकट्ठा किया गया है, तो उसको अंशतः स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जितना पैसा जमा हुआ है वह पूरा का पूरा कब तक दिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसमें कुछ रुपया तो वर्तमान और कुछ पुराने मिल मालिकों का है ।

श्री अध्यक्ष--

जो अनिवार्य बचत योजना में मजदूरों का पैसा कटा है, उसको वापसी के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो मांगें शासन के विचाराधीन हैं, वे कब तक विचाराधीन रहेंगी और कब तक उन पर निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

यह सूचना मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैं सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं शीघ्र से शीघ्र करा दूंगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के समय इन मजदूरों ने ३ दिन तक राष्ट्रीय शोक दिवस की छुट्टी में काम किया था। उनकी मांग में यह भी है कि इन ३ दिनों का इनको डबल ओवरटाइम का पेमेंट किया जाय...

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक नया प्रश्न है ?

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो उनकी मांगों की सूची है, उसमें आइटम १५ पर है

श्री शिव मंगल सिंह--

संभवतः इसके कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं । यदि यह दिया जा सकता है, तो अवश्य दिया जायगा ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वर्ष १९७६ में इस मिल के कर्मचारियों को वेतन देर से देने के फलस्वरूप मिल मालिकों पर जुर्माना किया गया है, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं । जब निर्णय आ जायगा, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

[८ मई, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री संजय गांधी के गोरखपुर, देवरिया के आगमन पर कथित ट्रक, बस व टैक्सी का अधिग्रहण

*१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९७७ में उनके गोरखपुर आगमन पर एक भूतपूर्व विधायक (श्री राम करन सिंह) एक शिकायती-पत्र इस आशय का दिया था कि जनवरी, १९७७ में श्री संजय गांधी के गोरखपुर, देवरिया आगमन पर रीजन की सभी प्राइवेट बसें, मिनी बसें एवं टैक्सियां जबरदस्ती मंगवाई गई थीं एवं विभाग के सभी कर्मचारियों को इस कार्य के लिए दो दिन तक लगाया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्कालीन आर० टी० ओ०, गोरखपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली--

जी हां । यह सही है कि श्री राम करन सिंह ने दिनांक २१-९-७७ को एक शिकायती-पत्र दिया था जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह आरोप भी लगाया था कि आर० टी० ओ०, गोरखपुर द्वारा जनवरी, १९७७ में श्री संजय गांधी के गोरखपुर, बस्ती और देवरिया आगमन पर २००-२०० ट्रकें व बसें, अधिग्रहीत की गईं जिसके लिए ट्रक तथा बसों के मालिकों को परेशान किया गया ।

मिनी बसों व टैक्सियों को इस अवसर पर जबरदस्ती मंगाने तथा विभाग के सभी कर्मचारियों को इस कार्य के लिए २ दिन तक लगाये जाने का कोई उल्लेख उक्त शिकायत में नहीं है ।

विभागीय जांच में उपरोक्त शिकायत की पुष्टि नहीं हुई ।

फैजाबाद जिले के शृंगी ऋषि और श्रवण दो को पर्यटन स्थल बनाये जाने की मांग

*२--रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद के शृंगी ऋषि और श्रवज क्षेत्र स्थानों को विकसित करके आकर्षक पर्यटन केन्द्रों में बदलने के बारे

में मुख्य मंत्री को सम्बोधित, प्रश्नकर्ता का दिनांक ३१-१२-७७ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और इसे पूरा करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री आबिद अली—

जी हां । इन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उल्लेख के पर्यटन विभाग द्वारा निरीक्षण कराया गया है । धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथा समय इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करना संभव होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

धन की जो उपलब्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई समय बता सकेंगे कि कितने समय तक इन दोनों क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करना संभव होगा ?

श्री आबिद अली—

समय बताना मुश्किल होगा । इतना कहा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना जब बनेगी, तो उसमें रखने का प्रयास करेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इस दिशा में अभी फिलहाल कोई प्रयास शुरू किया जायगा या छठी योजना के अन्दर में ही प्रयास शुरू करेंगे, मंत्री जी ?

श्री आबिद अली—

उसमें ऐसा होता है कि धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें इस प्रदेश में बेइंतिहा ह, पैसा अनलिमिटेड नहीं है, तो जितनी योजनायें हैं वह सब एकत्रित की जाती हैं । उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप होता है, उसके सामने जाती हैं और जितना पैसा होता है, उसके हिसाब से उनको वह तरतीब देता है । उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन है गवर्नमेंट आफ इंडिया का उसके सामने जाती है और उनसे कहते हैं कि ये-ये हमारी स्कीमें हैं । जितना पैसा मिलता है, उसके अनुसार योजना बनाकर अपनी योजना कार्यान्वित करते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि यह-यह प्रक्रिया हम करते हैं, लेकिन इन स्थानों के लिए उस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू की है या टाल रखा है छठी योजना के लिए ?

श्री आबिद अली—

हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है । विकास की योजना बनवा ली है, जिसमें साढ़े पांच लाख का खर्चा है । उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग ग्रुप के सामने वह रखेंगे, फिर सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन के सामने जब यह मामला जायगा, तो उस वक्त में भी हम अपने केस को फाइट करेंगे ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि इन ऐतिहासिक स्थानों का विकास इससे पूर्ववर्ती सरकार ने कोई किया है या नहीं और अगर कोई योजना विकास के सम्बन्ध में हुई ह, तो उसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री आबिद अली--

जो योजना है, वह साढ़े पांच लाख की है । ढ़ाई लाख का एक यात्री शेड है । उसके बाद एक विशिष्ट पर्यटन करने वालों के लिए दो डबल बेड डी-लक्स सूट की व्यवस्था है । पानी की व्यवस्था के लिए ३० हजार और बिजली की व्यवस्था के लिए २० हजार रखा गया है, इसी तरह से साढ़े पांच लाख का प्रोजेक्ट बना हुआ है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मैं जानना चाहूंगा कि इसी तरह के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के जो स्थान हैं, उन सब का नये सिरे से सर्वे करा के मंत्री जी नयी योजना सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह नया प्रश्न है, पैदा नहीं होता ।

श्री मित्रसेन--

शृंगी ऋषि और श्रवण क्षेत्र क्या दो जगहें हैं या एक ही स्थान है जिसके विकास करने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी क्या इत्तला है ?

जिला परिषद् फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या जिला परिषद् फैजाबाद में हुई धांधली, अनियमितता, गबन, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक २१ जनवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या उस बारे में उसकी जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जांच कराई जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जो जांच करा रहे हैं, वह कब तक पूरी हो जायगी और क्या इस सदन के सत्रावसान के बाद जांच रिपोर्ट को सदन के सामने रखने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो पूछा ही नहीं कि पत्र कब का है ।

श्री जमुना प्रसाद--

जांच जिला विकास अधिकारी से करायी जा रही है ?

श्री मित्रसेन--

शिकायती पत्र में अनियमितायें क्या-क्या हैं और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध लगायी गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद--

शिकायतें दो हैं - एक तो टेलीफोन पर ज्यादा खर्चे की है तथा दूसरी शिक्षा विभाग में अनियमितायें हैं, यह लिखा है । इसमें कोई खास आरोप नहीं बताये गये हैं ।

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला स्तर पर गन्ना विकास परिषदों के गठन की मांग

*५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जिला स्तर पर गन्ना विकास परिषदों के गठन का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या होगी तथा उनका गठन कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ?

श्री शिवमंगल सिंह--

जिला स्तर पर गन्ना विकास परिषदों के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जनवरी के अंतिम सप्ताह में समाचार पत्रों में इस आशय का एक समाचार छपा था कि जिला स्तर पर विकास परिषदों का गठन किया जायेगा, तो क्या सरकार ने पहले इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया था और अब उसका परित्याग कर दिया है ? यदि नहीं, तो उस प्रकाशित समाचार का प्रतिवाद न प्रकाशित कराने का क्या कारण है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

मान्यवर, समाचार पत्रों में छपे समाचार का प्रतिवाद करना, यह तो आवश्यक नहीं है, परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि इस गठन के बारे में कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया था, विचाराधीन हो सकता है, रहा हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार गन्ना विकास कार्य में गैर सरकारी व्यक्तियों का भी सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास कर रही है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर परिषदों के गठन पर पुनः विचार करने के लिए प्रयास करेगी ?

श्री शिवमंगल सिंह--

मान्यवर, एक विकास परिषद् बनायी जा चुकी है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो चीनी मिल प्रतिनिधि, ५ निर्वाचित पूर्ववर्ती, तीन गन्ना प्रतियोगिताओं में से सफल प्रतियोगी गन्ना उत्पादक, एवं गन्ना रक्षा निरीक्षक तथा एक रीजनल केन डेवलपमेंट कारपोरेशन का नामांकित प्रतिनिधि, यह १३ सदस्यीय गन्ना विकास परिषदों क

का गठन किया गया है । इस १३ सदस्यीय परिषद् में सम्बन्धित चीनी मिल क्षेत्र में नियुक्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक भी हैं । वे इसके पदेन सचिव होंगे । इसके गठन के बाद जिला स्तर पर गठन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह जिला स्तर पर है या प्रदेशीय स्तर पर ?

श्री शिवमंगल सिंह--

प्रदेशीय स्तर पर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लिखित उत्तर में बताया है विचाराधीन नहीं है, लेकिन अभी उत्तर में बताया कि विकास परिषद् बनायी गयी है, जिनमें यह-यह सदस्य हैं । यह कैसे बनी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रदेशीय स्तर पर बतायी है ।

पडरौना विकास खंड के विकास खण्ड अधिकारी, कुंवर बीरेश्वर सिंह व ग्राम सेवक, श्री चन्द्र प्रताप मिश्र का निलम्बन

*६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना तहसील में पडरौना विकास खंड के भूतपूर्व खंड विकास अधिकारी (कुंवर बीरेश्वर सिंह) तथा ग्राम सेवक (श्री चन्द्र प्रताप मिश्र) पिछले दो वर्षों से पडरौना विकास खंड में अपने कार्यकाल में ग्रामीणों को फर्जी खाद बीज आदि के वितरण के घोटाले के सम्बन्ध में निलम्बित हैं तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो विकास खंड के अंतर्गत ग्रामीणों से कुर्की वारन्ट द्वारा की जा रही वसूलियां तत्काल रोकी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां, खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक विभिन्न तिथियों से निलम्बित हैं और इन दोनों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की जा रही है ।

सम्बन्धित ग्राम के कृषकों से वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

* ७--श्री ऊदल--

[१०वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोंडा जिले के कतिपय सहकारी संघों में गबन एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*८--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में अक्तूबर, १९७१ से जून, १९७४ तक कौन व्यक्ति अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी इंचार्ज, तहसील बलरामपुर के पद पर कार्यरत था जिसने सहकारी संघ, तुलसीपुर, सहकारी बीज भन्डार, तुलसीपुर, सहकारी समिति, मोतीपुर, छिताई डीह क्रय विक्रय सहकारी

समिति, उतरौला, सहकारी समिति टेढ़वा टप्पा बांक और देवरिया जंगली में व्याप्त लाखों रुपए के गबन एवं भ्रष्टाचार के केसों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, तुलसीपुर और उतरौला में किया था ? उन केसों में शामिल सहकारी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद गोन्डा में अक्तूबर, १९७१ से जून, १९७४ तक श्री अनापीशरण सिंह, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी इन्चार्ज तहसील बलरामपुर के पद पर कार्यरत थे। उनके द्वारा सहकारी क्रय-विक्रय समिति उतरौला में रु० १५,१०४.७६ पैसे, सहकारी समिति टेढ़वा टप्पा बांक में ३६,३२१.४५ रु० एवं सहकारी समिति देवरिया जंगली में १४,१९४.३२ रु० कुल ६५,६२०.५३ रु० के गबन एवं भ्रष्टाचार की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन उतरौला में दर्ज कराई गई थी। पुलिस स्टेशन तुलसीपुर में कोई सूचना उनके द्वारा दर्ज नहीं करायी गयी है। उक्त मामले से सम्बन्धित विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई :—

(१) सहकारी क्रय-विक्रय समिति उतरौला के मामले में तत्कालीन सचिव श्री श्याम बहादुर लाल, सहकारी निरीक्षक वर्ग-२ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। उक्त मामले में आरोप-पत्र न्यायालय को दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ को प्रेषित किया जा चुका है।

(२) सहकारी समिति टेढ़वा टप्पा बांक के मामले से सम्बन्धित छः व्यक्ति हैं, जिनमें श्री आर० पी० श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक, का निधन हो चुका है, श्री शिव पूजन राम, सहकारी पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई। उनमें १,१०० रु० की वसूली के आदेश दे दिए गए हैं तथा उनकी चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित कर दी गई है। श्री अलमदार हुसेन, सहकारी पर्यवेक्षक, निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है। श्री शिव दास गुप्त, सरपंच एवं श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, खंजाची, अब कार्यरत नहीं है। उक्त मामले की विवेचना पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है।

(३) सहकारी समिति देवरिया जंगली से सम्बन्धित श्री अली हसन, सरपंच, श्री फैयाज अली, खजांची और श्री लल्लू राम, आंकिक कार्यरत नहीं है। श्री मो० हनीफ खां, सहकारी पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई और उनसे ६,१५४.७३ रु० की वसूली किए जाने के आदेश दिए गए तथा उनकी चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित की गई। उक्त गबन के मामले में विशेष अनुसंधान शाखा ने विवेचना पूरी कर ली है और आरोप-पत्र न्यायालय भेज रहे हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गबन प्रकाश में आये हैं जांच के बाद, उसमें से कितने ऐसे अधिकारी हैं, जो इस समय कार्यरत हैं और वह किन-किन पदों पर, कहां-कहां सेवारत हैं नम्बर १, दूसरा यह कि वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं, तो उन लोगों से कितने पैसे की वसूली अब तक की जा चुकी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पहला जो सवाल माननीय सदस्य का है, उसकी तो सूचना की जरूरत है। नम्बर २, जो वसूली के आदेश दिये गये हैं, और अभी वसूली नही हो पाई है, लेकिन उन पर शीघ्र ही वसूली करा ली जायगी।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जालौन, कोंच एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार उरई में गबन सम्बन्धी थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट और श्री अनामी शरण सिंह का निलम्बन

*६--श्री हरि केवल प्रसाद--

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसी अधिकारी ने जनपद जालौन के अपने कार्यकाल में क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जालौन, कोंच और केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, उरई के गबन केसों की रिपोर्ट क्रमशः दिनांक २७ नवम्बर, १९७५, ४ दिसम्बर, १९७५ और १३ नवम्बर, १९७५ को पुलिस स्टेशनों पर दर्ज कराया था ? क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों ने फर्जी आरोप गढ़ कर उस कर्मचारी को निबन्धक, सहकारिता विभाग के आदेश, दिनांक ११ मार्च, १९७६ द्वारा निलम्बित करा दिया था ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध संसद सदस्यों ने दिनांक ७ मार्च, १९७७, १७ अप्रैल, १९७७, २३ जून, १९७७, १५ अगस्त, १९७७, २७ अगस्त, १९७७, १, सितम्बर, १९७७ तथा ८ जुलाई, १९७७ के पत्रों द्वारा उस कर्मचारी को अविलम्ब बहाल करने और आपात काल में पद एवं सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

श्री अनामीशरण सिंह को जिलाधिकारी जालौन की संस्तुति पर निबन्धक सहकारी समितियों ने दिनांक ११-३-१९७६ को अनुशासनहीनता तथा अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोपों पर निलम्बित किया।

संसद सदस्यों के पत्रों पर शासन द्वारा निबन्धक सहकारी समितियों को श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में शीघ्र निर्णय लेने के आदेश दिये गये। निबन्धक सहकारी समितियों ने अपने आदेश दिनांक ३०-९-१९७७ द्वारा श्री अनामी शरण सिंह को दो वर्षों के लिये वेतन वृद्धि की रोक और चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि का दण्ड देकर बहाल करने के आदेश दिये।

श्री हरि केवल प्रसाद--

यह श्री अनामी शरण सिंह जी हैं, इनके ऊपर क्या अभियोग था, जिसके द्वारा उनको निलंबित किया गया, क्या अनुशासनहीनता उन्होंने किया था ?

मैं जानना चाहता हूं कि जो निलम्बित किये गये हैं, जिन्होंने एफ० आई० आर० दर्ज कराया और गबन का मामला प्रकाश में लाये, उनके ऊपर कौन-कौन चार्ज थे, जिसके कारण वह निलंम्बित किये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिनको निलम्बित किया गया है उनको बहाल कर दिया गया है। अब जो उन्होंने दूसरी अपील की है, सरकार में उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मेरा प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में जिन्होंने गबन के मामले को एफ० आई० आर० में दर्ज कराया और जांच से स्वतः प्रकाश में आया यह आपका उत्तर है, तो उनके ऊपर कौन-कौन से चार्ज थे, जिसके आधार पर निलम्बित किया गया ? क्या यह सत्य है कि २० सूत्री कार्यक्रम का पालन उन्होंने नहीं किया है और यह आरोप उनके ऊपर लगाया गया है ? क्या निलम्बन के आरोप पत्र में यह भी शामिल है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि २० सूत्री कार्यक्रम का पालन न करने से उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। निर्णय सत्य नहीं माना गया इसीलिये उनको बहाल कर दिया गया है। उनकी चरित्र पंजिका में जो प्रविष्टि की गयी है उस पर अपील किया है, इसलिये उस पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी जिले के गांव विजयपुर विजौरा की भूमि का भेड़ा पालन योजना में अधिग्रहण एवं मुआवजा

*१०--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव विजयपुर विजौरा परगना मगरोर ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के किसानों की पूरी काश्तकारी जमीन, मकान, पेड़, कुयें तथा सिंचाई के साधन आदि को वृहद् भेड़ा पालन योजना में ले लिया गया है ? यदि हां, तो उन किसानों को पेड़, कुयें तथा बन्धियों का मुआवजा जो सन् १९७२ में जिलाधीश वाराणसी ने मंजूर किया था अब नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। प्रश्नगत गांवों के किसानों को उनके पेड़, कुयें तथा बंधियों के मुआवजे का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

*११--श्री राम आसरे वर्मा--

[६वें सोमवार के लिए स्थगित]

*१२--श्री राम आसरे वर्मा--

[६वें सोमवार के लिए स्थगित]

*१३--श्री बाबू राम शुक्ल--

[६वें सोमवार के लिए स्थगित]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का सत्र समाप्त हो गया।

गन्ना सहकारी समिति, ऐरा, जिला खीरी का चुनाव

*१४--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति ऐरा, जिला खीरी का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है तथा इसके प्रशासन को चलाने के लिए किसी तदर्थ समिति की भी नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी इस सहकारी गन्ना समिति का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव मंगल सिंह--

यह सही है कि प्रश्नगत समिति का चुनाव अभी तक नहीं हुआ परन्तु डेलीगेटों का चुनाव पूर्ण हो गया है तथा प्रबन्ध कमेटी का चुनाव प्रगति पर है ।

नियमों में प्राविधान न होने के कारण तदर्थ समिति गठित नहीं की गयी ।

चुनाव हेतु स्थानीय स्तर पर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा चुनाव शीघ्र सम्पन्न हो जाने की आशा है ।

*१५--श्री कन्हया लाल सोनकर--

[९वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

[९वें सोमवार के लिए स्थगित]

*१७--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[९वें सोमवार के लिए स्थगित]

*१८--श्री राज मंगल तिवारी--

[९वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*१९--श्री रमा शंकर कौशिक--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

जिला परिषदों के चुनाव की मांग

*२०--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश के जिलों में जिला परिषद् भंग करके सरकार ने घोषणा की थी कि चुनाव कराये जायंगें परन्तु ऐसा नहीं किया ? क्या यह सही है कि जिला परिषदों की बोर्ड में सदस्य मनोनीत किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद--

सरकार ने जिला परिषदों के चुनाव वर्ष के अन्त तक कराये जाने का निर्णय लिया है । तब तक परिषदों के कार्य संचालन में सहायता देने हेतु जिला परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जा रहा है ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि), फर्रुखाबाद के स्थायीयकरण की मांग

*२१--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में कितने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ऐसे हैं जिन्हें उक्त पद पर सेवा करते १८ वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? इतने लम्बे समय तक स्थायीकरण न किए जाने का क्या कारण है ? क्या इस मामले में शीघ्रता करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

फर्रुखाबाद जनपद में ९ सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ऐसे कार्यरत हैं जिन्हें उक्त पद पर कार्य करते हुये १४ वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु अभी तक उस पद पर उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। चूंकि सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र (purview) में आते हैं तथा उक्त ९ पद धारक आयोग से अनुमोदित नहीं है, इसलिए इन पदों पर उनका स्थाईकरण नहीं किया जा सका। इनकी नियुक्तियां नियमित कराने के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

बुढ़वल चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

२२--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि चालू गन्ना वर्ष १९७७-७८ में बुढ़वल चीनी मिल में किसानों को ६ मार्च, १९७८ के बाद गन्ने का मूल्य नहीं दिया जा रहा है जिससे इस मिल क्षेत्र के किसानों में व्यापक असन्तोष फैल गया है ? यदि हां, तो तत्काल किसानों को गन्ना मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

बुढ़वल चीनी मिल वर्ष १९७७-७८ के गन्ने का मूल्य किसानों को बराबर भुगतान कर रही है जो निम्नलिखित स्थिति से स्पष्ट हो जाता है :--

दिनांक		कुल देय	भुगतान राशि	शेष
		रु०	रु०	रु०
२८-२-१९७८	..	५७·४८	४४·८२	१२·६६
२१-३-१९७८	..	९१·८०	७३·४०	१८·४०
२६-४-१९७८	..	११२·६४	९८·५५	१४·०९

प्राप्त सूचना के आधार पर २६-४-१९७८ तक कुल गन्ना मूल्य ११२·६४ लाख रुपये देय था जिसमें से ९८·५५ लाख रु० का भुगतान किया जा चुका है अब केवल १४·०९ लाख रु० देय है। बाराबंकी के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे चालू सीजन की बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करें।

मिर्जापुर जिले के अहरौरा स्थित कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरने से आलू की क्षति

*२३--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मिर्जापुर जनपद के अहरौरा नगर में लगभग दो वर्ष पूर्व क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा निर्मित कोल्ड स्टोरेज ४ अप्रैल, १९७८ को छत तथा दीवार के गिर पड़ने से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो इस कोल्ड स्टोरेज के अन्दर रखे गए कितने क्विन्टल आलू की क्षति हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, कोल्ड स्टोरेज के एक चैम्बर की पिछली दीवार तथा छत गिर गई है। कोल्ड स्टोरेज के अन्दर रखे गये ४१५·८९ कुन्टल (चार सौ पन्द्रह कुन्टल नवासी किलो) आलू की क्षति हुई है।

*२४--श्री मुनेन्द्र पाल सिंह--

[९वें सोमवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का लेखा

*२५--कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि का लेखा मुख्यालय पर नियमानुसार नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री जगुना प्रसाद--

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि का लेखा मुख्यालय पर पूर्णतया नियमानुसार रखा गया है।

प्रश्न के द्वितीय भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

खीरी जिले के अंदेश नगर बीज भंडार में गबन

*२६--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) तथा श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला कृषि अधिकारी, खीरी के कार्यकाल में अंदेश नगर बीज भंडार, जनपद खीरी पर ८,७०० रु० का गबन हुआ, तो जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वर्तमान जिला कृषि अधिकारी, खीरी के कार्यकाल में अन्देश नगर बीज भंडार, जनपद खीरी पर ८,७०० रु० का गबन नहीं बल्कि श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, स० कृ० नि० द्वारा ८७,१७३·५३ रु० के गबन का मामला प्रकाश में आया। दिनांक ३-५-७७ को पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी। मामले की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा पूर्ण करके श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप-पत्र लगा दिया गया है। पर्यवेक्षीय दायित्व निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

खीरी जिले के अन्देश नगर बीज भंडार में श्री रघुराज सिंह द्वारा पहुंचायी गयी क्षति

*२७--श्री राम नरायन वर्मा तथा श्री हरीराम वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्देश नगर बीज भंडार, जनपद खीरी पर कार्यरत कामदार श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा १६३६·९८ रु० का अपहरण किया गया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी जिला कृषि अधिकारी ९ नवम्बर, १९७७ को वस्तुस्थिति से अवगत हो गए थे और कामदार ने लिखित रूप से भी बकाया स्वीकार किया था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

अन्देश नगर बीज भंडार, जनपद खीरी पर कार्यरत कामदार श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कोई अपहरण नहीं किया गया बल्कि श्री रघुराज सिंह, स० कृ० नि० को शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा १६३६·९८ रु० की क्षति के लिये दोषी पाया गया। श्री सिंह के विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी, खीरी द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये :

(१) १६३६·९८ रु० की शासकीय क्षति की वसूली श्री सिंह की जमानत तथा देयों से कर ली जाय।

(२) श्री सिंह की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाय।

श्री रघुराज सिंह द्वारा पहुंचाई गयी उक्त क्षति की जानकारी जिला कृषि अधिकारी खीरी को दिनांक ८-११-७७ को हुई थी। श्री शुक्ल, कामदार ने कोई बकाया स्वीकार नहीं किया।

फैजाबाद, अयोध्या में दुग्धशाला का निर्माण

*२८--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या, जिला फैजाबाद में दूध डेरी चालू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से चालू हो सकेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, फैजाबाद जनपद में अयोध्या के निकट एक दुग्धशाला की स्थापना की जा रही है। दुग्धशाला इस समय निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य जुलाई, १९७८ तक सम्पूर्ण होने की आशा है। तत्पश्चात् दुग्धशाला चालू हो सकेगी।

*२९—श्री कृपाशंकर आर्य, श्री राम नरेश पान्डेय, श्री बांके लाल—

[९ वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३०—श्री हरी राम शाक्य—

[९ वें सोमवार के लिए स्थगित]

*३१—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

[८ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३२-३३—श्री मौजी लाल कुरील—

[९ वें सोमवार के लिये स्थगित]

जिला परिषद्, आगरा द्वारा बटेश्वर मेले के लिए अधिगृहीत भूमि

*३४—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९७७ में जिला परिषद् में बटेश्वर मेला लगाने के लिए कुछ काश्तकारों की ४०० एकड़ जमीन ली थी ? यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा व हर्जाना दे दिया गया ? यदि नहीं, दिया गया तो इसके कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद्, आगरा से सूचना एकत्र की जा रही है ।

पीलीभीत उपनिवेशन योजना का शारदा नदी से कटाव

*३५—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में पीलीभीत उपनिवेशन योजना में एक करोड़ रुपया व्यय हुआ है और भूमिहीन कृषक मजदूरों को बसाया गया है तथा उपनिवेशन योजना का ग्राम आजाद नगर की भूमि शारदा नदी के कटान से कट गया है यहां के पुनर्वासियों को दूसरी जगह भूमि देने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब तक भूमि देकर बसाया जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत लगभग ८५.५० लाख रुपया व्यय हुआ । इस योजना के अन्तर्गत १९०५ भूमिहीन कृषक मजदूरों को बसाया गया । इस योजना में बसायी गयी १३ कालोनियों में से आजादनगर कालोनी की कुछ भूमि शारदा नदी के कटान से कट गयी जिससे ६७ व्यक्ति प्रभावित हुए । पीलीभीत उपनिवेशन योजना अब समाप्त हो गयी है, इसलिये इस योजना के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को भूमि देना संभव नहीं है । फिर भी इनको खीरी जिले में वन विभाग की भूमि देने के लिए राजस्व विभाग को प्रस्तावित किया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

दी काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी में प्रचार कर्मचारी का पद एवं जिला गन्ना अधिकारी के पुत्र, श्री जय कुमार सिंह की नियुक्ति

१--श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी के जनपद वाराणसी के दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई में वर्ष १९७५-१९७६ गन्ना प्रचार हेतु पहले से कार्यरत कर्मचारी को कार्य से पृथक कर दिया गया तथा उक्त स्थान पर जनरल मैनेजर ने जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी, के लड़के की नयी नियुक्ति कर दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

संदर्भगत चीनी मिल के एक अस्थाई एवं सीजनल कर्मचारी श्री राजेश्वर प्रसाद दुबे ने दिनांक १-७-१९७६ से ३०-९-७७ तक अस्थाई तौर पर कार्य किया, तत्पश्चात मिल के प्रचार स्टाफ सेवाओं की आवश्यकता समाप्त होने पर उन्हें दुबारा कार्य पर नहीं लिया गया । सीजन १९७७-७८ में इन्हें सीजनल कर्मचारी होने के कारण तौल लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया । जिला गन्ना अधिकारी के पुत्र श्री जय कुमार सिंह की नियुक्ति किसी कर्मचारी को हटाकर नहीं की गई थी व उनकी नियुक्ति के समय (१-७-७७ को) श्री दुबे भी कार्यरत थे।

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी के सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति

२--श्री दीनानाथ सेवक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई में कितने सीजनल कर्मचारी ऐसे हैं जो मिल का कार्य के प्रारम्भ से ही कार्यरत थे उन्हें इस वर्ष कार्य से पृथक कर दिया गया ? क्या सरकार उनकी एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मिल के प्रारम्भ से ही कार्यरत किसी भी सीजनल कर्मचारी को इस वर्ष कार्य से पृथक नहीं किया गया है ।

गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार, गोरखपुर में पुर्जी वितरक के पद पर श्री इन्द्र जीत सिंह की नियुक्ति

३--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेगीं कि वर्ष १९७६-७७ में गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर में पुर्जी वितरक पद पर ऐसे छात्र की नियुक्ति की गयी है जो स्थानीय महात्मा गांधी इन्टर कालेज में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहा है और उनकी फर्जी नियुक्ति करके फर्जी वेतन ड्रा किया गया है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्ष १९७६-७७ में गन्ना विकास परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर में पर्ची वितरक के पद पर श्री इन्द्रजीत सिंह नामक व्यक्ति को स्थानीय गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी ने जो कि पर्ची वितरक की नियुक्ति हेतु सक्षम थी, ने नियुक्त किया था । यह व्यक्ति महात्मा गांधी इन्टर कालेज का छात्र था । इसकी जानकारी प्रबन्ध कमेटी को नहीं हो सकी थी क्योंकि उसके द्वारा पर्ची वितरण का कार्य नित्य प्रति सुचारूरूप से सम्पादित होता रहा तथा कार्य में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ । जब इसके छात्र होने की जानकारी हुई दिनांक १-३-७८ से इसकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं । उक्त पर्ची वितरक ने अपना वेतन स्वयं प्राप्त किया इसलिये फर्जी वेतन ड्रा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य नारायण, सेवा मुक्त ग्राम सेवक, विकास खंड फतेहपुर, बाराबंकी का प्रत्यावेदन

४--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री, कृपया बतायेंगे कि शासन को सेवामुक्त ग्राम सेवक श्री सूर्य नारायण, फतेहपुर विकास खंड, जिला बाराबंकी के दिनांक १७ अक्तूबर, १९७६ तथा ६ अक्तूबर, १९७७ के प्रत्यावेदन उक्त सेवा पर पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां । श्री सूर्य नारायण सेवा मुक्त ग्राम सेवक, विकास खंड फतेहपुर, जिला बाराबंकी के प्रत्यावेदन दिनांक १७ अक्तूबर, १९७६ तथा ६ अक्तूबर, १९७७ प्रस्वीकार कर दिये गये हैं ।

जिला परिषद्, झांसी के अभियन्ता, श्री गोविन्द सिंह यादव के वेतन का भुगतान

५--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या २९ वि० म०/का ३३-१-२५बी/७६, दिनांक १ सितम्बर, १९७७, संख्या ८०३६क/३३-१-२५बी, दिनांक १६ नवम्बर, १९७७ एवं संख्या २८१ (१)क/३३-१-२५बी/७६, दिनांक १९ जनवरी, १९७८ का पालन जिला परिषद्, झांसी के अधिकारियों द्वारा समुचित रूप से किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला परिषद् झांसी में अभियन्ता पद पर कार्यरत श्री गोविन्द सिंह यादव के वेतनादि का भुगतान अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन अधिकारी है ?

श्री जमुना प्रसाद--

शासनादेश संख्या ७९(वि० म०) क/३३-१-२५बी-७६, दिनांक १-९-७७- के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह यादव की सेवायें क्रमागत रखने के आदेश जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, झांसी को दे दिये गये थे, पुनः शासकीय तार संख्या ८०३६क/३३-१-२५ बी-७६, दिनांक १६-११-७७ द्वारा श्री यादव की सेवायें पूर्ववत जारी रखे जाने के आदेश जिलाधिकारी को भेजे गये ।

शासनादेश संख्या २८१(१)क/३३-१-२५बी-७६, दिनांक १६ जनवरी, १९७८ में श्री यादव को दिनांक २६-११-७७ से वेतन भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये थे। तद्नुसार दिनांक २६-११-७७ से २८ फरवरी, १९७८ तक का वेतन भुगतान श्री यादव को कर दिया गया है। केवल दिनांक २७-७-७६ से १७ २-७७ तथा १-४-७७ से २५-११-७७ तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि इस अवधि में वे जिला परिषद् की सेवा में नहीं रहे। चूंकि श्री यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ से उनके वेतन आदि का भुगतान करके शासन के आदेशों का पालन कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। जिस अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है उस पर भी शासन विचार कर रहा है।

श्री जगदीश नारायण, पंचायत सेवक, जिला देवरिया की सेवा समाप्ति

६--श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि श्री जगदीश नारायण, पंचायत सेवक की सेवा जिला पंचायत अधिकारी, देवरिया द्वारा २७ अक्टूबर, १९७७ को समाप्त कर देने के बाद भी उक्त पंचायत सेवक श्री जगदीश नारायण को, खंड विकास अधिकारी, भाटपार रानी, जिला देवरिया वेतन दे रहे हैं ? यदि हां, तो यह किस आधार पर दिया जा रहा है ?

जमुना प्रसाद--

श्री जगदीश नारायण की सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक २६ अक्तूबर, १९७७ उन पर दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ को विधिवत रूप से तामील हुआ। अतः उन्हें ३० नवम्बर, १९७७ तक का वेतन भुगतान किया गया है।

सहकारिता पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें

७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा गठित सहकारिता पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? तथा रिपोर्ट की सिफारिशों पर शासन की नीति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। राज्य सरकार द्वारा गठित सहकारिता पुनर्गठन आयोग के सचिव की रिपोर्ट शासन को २७ जनवरी, १९७८ को प्राप्त हुई है। मुख्य सिफारिशें प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण ऋण तथा वसूली, निक्षेप बीमा योजना, संयुक्त सहकारी खती समिति, सहकारी कानून में संशोधन, स्टेट कोआपरेटिव कौन्सिल, क्षेत्रीय न्यायाधिकरण का गठन, उन्नतिशील बीज के उत्पादन, उर्वरक वितरण, क्रय-विक्रय एवं उपभोक्ता आदि विषयों पर हैं।

रिपोर्ट की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन है।

वाराणसी जिले के कतिपय मार्गों पर दिया गया बस का परमिट

८—श्री ऊदल :—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुरुतेलारी अनेई से बावत-पुर, वाराणसी तथा जमालपुर से बावतपुर-वाराणसी एवं मड़ियाहूं से कुत्रार होते हुए वाराणसी तथा मड़ियाहूं से जमापुर होते हुए वाराणसी के लिए कितनी तथा किन-किन नम्बरों की बसों का परमिट दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि तीन बसों को १६ मील पक्की पर भी चलने का परमिट दिया गया है, उनके नम्बर क्या हैं ?

श्री आबिद अली—

प्रश्नगत मार्गों पर कुल मिलाकर ३० परमिट दिये गये हैं, जिनमें से एक परमिट से आच्छादित गाड़ी प्रतिस्थापन आदेश प्राप्त करके मार्ग से हट गई है । इन गाड़ियों के नम्बर निम्नलिखित हैं :—

(१) यू० एस० बी० ५१७३ ।
(२) यू० पी० सी० ६१६२ ।
(३) यू० एस० एफ० ४६६ ।
(४) यू० पी० एफ० ३२०७ ।
(५) यू० एस० बी० ४३८१ ।
(६) डी० एल० पी० ४८४७ ।
(७) यू० पी० सी० ६०५५ ।
(८) यू० एस० बी० ४२१७ ।
(९) यू० एस० डी० ५११२ ।
(१०) एम० पी० एल० ६५५५ ।
(११) यू० पी० जेड० ३१६६ ।
(१२) एम० पी० ए० ६७३९ ।
(१३) यू० एस० डी० १८२४ ।
(१४) यू० पी० बी० २५३६ ।
(१५) यू० पी० सी० ८३२६ ।
(१६) यू० पी० एल० ९४४० ।
(१७) यू० पी० एल० ९३८६ ।
(१८) यू० पी० बी० २०८७ ।
(१९) यू० पी० सी० ७५६७ ।
(२०) बी० आर० सी० १२४२ ।

(२१) यू० पी० पी० १३८८ ।

(२२) यू० पी० एफ० ७८५१ ।

(२३) यू० एस० जी० ४०९४ ।

(२४) यू० एस० एल० ८६८० ।

(२५) यू० पी० डी० २१७६ ।

(२६) यू० एस० एफ० ४३९ ।

(२७) यू० पी० एफ० २९४० ।

(२८) यू० एस० बी० ३१४७ ।

(२९) यू० पी० पी० १७८८ ।

इनमें से केवल एक गाड़ी संख्या यू० एस० बी० ३१४७ वाराणसी से जामपुर १६ कि० मी० राष्ट्रीयकृत मार्ग पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से चल रही है ।

फैजाबाद के ग्राम मीरानपुर के श्री रामफेर से फर्जी तकावी की वसूली

९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामफेर पुत्र देवकली निवासी ग्राम मीरानपुर, ब्लाक कटेहरी, जिला फैजाबाद का दिनांक ३० जनवरी, १९७८ का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक १ फरवरी, १९७८ के पत्र के साथ मिला है जिसमें इस बात की शिकायत की गई कि जनपद फैजाबाद में फर्जी नाम से उर्वरक लेने की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्री रामफेर पुत्र देवकली, ग्राम मीरानपुर, ब्लाक कटहरी का दिनांक ३० जनवरी, १९७८ का नहीं बल्कि दिनांक ४ सितम्बर, १९७७ का एक प्रार्थना-पत्र खंड विकास अधिकारी, कटहरी के यहां प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना-पत्र में यह शिकायत की गई थी कि प्रार्थी ने कोई तकावी नहीं ली है किन्तु तहसील अमीन द्वारा ऋण की अदायगी की मांग की जा रही है । प्रारम्भिक जांच में यह पाया गया कि श्री रामफेर पुत्र देवकली को कोई तकावी नहीं दी गई । अतः जांच पूर्ण होने तक वसूली स्थगित करने के लिए तहसीलदार, अकबरपुर को लिख दिया गया है ।

राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों का उत्पादन एवं आय-व्ययक

१०---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य चीनी निगम द्वारा कौन-कौन चीनी मिलें कब-कब से कितनी-कितनी लागत से संचालित हो रही हैं और प्रत्येक ऐसी मिल का वित्तीय वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७, १९७७-७८ में उत्पादन और आय-व्ययक का विवरण क्या है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा निम्नलिखित चीनी मिलें उनके सामने अंकित तिथि एवं लागत से संचालित हो रही है :—

चीनी मिल का नाम	संचालन की तिथि	लागत (लाख रु० में)
१—बाराबंकी	३-७-१९७१	६७.९४
२—भटनी	३-७-१९७१	७५.८०
३—खड्डा	३-७-१९७१	१०७.८२
४—सलौतीटांडा	३-७-१९७१	११२.६१
५—मोहीउद्दीनपुर	३-७-१९७१	११५.४९
६—पिपराइच	२-११-१९७४	७८.९६
७—किच्छा	२०-३-१९७४	३९०.६४
८—चांदपुर	२७-१-१९७८	६४५.०० (प्रोजेक्ट कास्ट)
९—छाता	२९-१-१९७८	६३०.०० (प्रोजेक्ट कास्ट)

उपरोक्त चीनी मिलों (चांदपुर एवं छाता को छोड़कर) का वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७, १९७७-७८ के उत्पादन एवं आय-व्ययक वितरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। निगम की प्रथम पांच इकाइयों में ८०.५० लाख मुआवजे की धनराशि भी शामिल है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४३५पर)।

११—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[१०वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीय कृषि भंडार, देवरिया में बीज एवं खाद में क्षति

१२—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या कृषि मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि देवरिया केन्द्रीय कृषि भंडार में वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७ में रखे गए खाद, बीज में कितना स्टोर करने में लास हुआ है ? शासन द्वारा कितने प्रतिशत स्टोरेज लास की छूट है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

केन्द्रीय कृषि भंडार, देवरिया में रखे गये खाद व बीज में वर्ष १९७५-७६ और १९७६-७७ में निम्नलिखित क्षतियां पाई गई :--

वर्ष	खाद में क्षति	बीज में क्षति
	रु०	रु०
१९७५-७६	३०,१७६.९७	८,४८८.००
१९७६-७७	१,५६,७४०.५२	४,६१५.४०

स्टोरेज लास के लिये कोई छूट स्वीकृत नहीं है। केवल क्षतियों को गुणावगुण के आधार पर बट्टे खाते में डालने का प्राविधान है।

केन्द्रीय कृषि भंडार, गोरखपुर में खाद एवं बीज में क्षति

१३--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर केन्द्रीय कृषि भंडार में वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७ में रख गये खाद बीज में कितना स्टोर करने में लास हुआ है ? शासन द्वारा कितने प्रतिशत स्टोरेज लास की छूट है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

केन्द्रीय कृषि बीज भंडार, गोरखपुर म रखे गये खाद व बीज में वर्ष १९७५-७६ और १९७६-७७ में निम्नलिखित क्षतियां पाई गई :--

वर्ष	खाद में क्षति	बीज में क्षति
	रु०	रु०
१९७५-७६	१६,०६४.३६	१०,४०८.४०
१९७६-७७	४,६५६.००	१,३१७.००

स्टोरेज लास के लिए कोई छूट स्वीकृत नहीं है। केवल क्षतियों को गुणावगुण के आधार पर बट्टे खाते में डालने का प्राविधान है।

उप निदेशक, पशु पालन विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, गोरखपुर पशुपालन विभाग के विरुद्ध आरोप-पत्र माह जुलाई, १९७७ को प्रश्नकर्ता द्वारा दी गई, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सदन के समक्ष रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता परन्तु उप निदेशक, गोरखपुर के विरुद्ध अन्य शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य एवं कमीशन

१५--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिलों पर किसानों का ब्याज सहित गन्ना कीमत और गन्ना समितियों का ब्याज सहित कमीशन करोड़ों रुपए का बकाया पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन मिलों पर कितना-कितना और इसके भुगतान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिलों पर वर्ष १९७६-७७ तक किसानों का ३१ मार्च, १९७८ को ब्याज सहित गन्ना मूल्य १,३०३.१७ लाख रुपया तथा गन्ना समितियों का ब्याज सहित कमीशन २७८.३० लाख रुपया बकाया था। मिलवार तालिका (क)† संलग्न है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त तिथि को वर्ष १९७७-७८ का अवशेष गन्ना मूल्य ब्याज सहित २,८४१.०६ लाख रुपया तथा गन्ना समितियों का ब्याज सहित कमीशन १२०.८३ लाख रुपया चीनी मिलों पर देय था । तालिका (ख)† संलग्न है । इसके भुगतान के लिए प्रयास जारी हैं । उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १७ तथा सम्बन्धित नियमावली के नियम ४८(क) के प्राविधानों के अनुसार चीनी मिलों को चीनी उत्पादन पर बैंक से मिलने वाली अग्रिम धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ८५ प्रतिशत तक गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित कर देने के आदेश सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किए गए हैं ।

प्रदेश की चीनी मिलों में रिसीवर की नियुक्ति एवं विभिन्न बकाये का भुगतान

१६--श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री राम अधार--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कुछ बीमार चीनी मिलों में सरकार ने रिसीवर नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन मामलों में और ऐसी चीनी मिलों में किसानों का विभिन्न प्रकार का बकाया रिसीवर नियुक्त होने के पूर्व और पश्चात अलग-अलग कितना-कितना है और ऐसी बकाया धनराशि के भुगतान के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

उत्तर प्रदेश की जिन चीनी मिलों में रसीवर नियुक्त हुए हैं उनका नाम नियुक्ति तिथि तथा मिलों पर किसानों के बकाए का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

---

†नोट--छापी नहीं गई ।

बकाया धनराशि के भुगतान का प्रयास जारी है । उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ तथा सम्बन्धित नियमावली के नियम ४८(क) के प्रावधानों के अनुसार चीनी मिलों को चीनी उत्पादन पर बैंक से मिलने वाली अग्रिम धनराशि में से ८५ प्रतिशत तक गन्ना मूल्य तथा कमीशन आदि के भुगतान हेतु एक अलग गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४३७ पर)

राजकीय डेरी, आगरा के दूध का लिया गया नमूना

१७--श्री श्यामादत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय डेरी, आगरा के इस वर्ष दूध के नमूने जांच के लिए कितनी बार भरे गए तथा उनमें से कितने पब्लिक अनालिस्ट के यहां मिलावटी पाये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस वर्ष (१९७८) अभी तक राजकीय डेयरी, आगरा के कोई नमूनेदूध की जांच के लिये नहीं भरे गये हैं ।

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद की समाप्ति एवं कार्य अधिकारी को दिये गये अधिकार

१८--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज विभाग /१/ राजाज्ञा सं० ३१९/विम/क/३३-१-४/७५, दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ में आदेश दिया गया था कि "जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्याधिकारी नियुक्त न होने की दशा में वहां के कार्य अधिकारी को ही मुख्य अधिकारी के सभी पावर्स डेलीगेट कर दिए जायं" का परिपालन क्या उन सभी जिला परिषदों में जहां अतिरिक्त मुख्य अधिकारी नियुक्त नहीं है, किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री महोदय इनका परिपालन सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

उन सभी जिला परिषदों में जहां अतिरिक्त मुख्य अधिकारी नियुक्त नहीं है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९६१ की धारा ७८ (३) के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला परिषदों के मुख्याधिकारियों के पावर्स कार्याधिकारी को डेलीगेट कर दिये गये हैं । केवल जिला परिषद्, अल्मोड़ा में डेलीगेट नहीं किये गये हैं जिसका परिपालन सुनिश्चित कराया जायेगा । जिला परिषद्, बहराइच की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

जिला परिषदों में मुख्याधिकारी के कार्य को कार्य अधिकारियों को दिये जाने में वैधानिक आपत्ति

१९--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सरकार को जिला परिषद् के कार्य अधिकारियों से मुख्याधिकारियों के समस्त कार्य कराने में कोई वैधानिक कठिनाई है ? यदि हां, तो उसे समाप्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री जमुना प्रसाद--

केवल उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, १९६५ के नियम ६७ के साथ पठित नियम ६२ के अन्तर्गत मुख्याधिकारी का कार्य, कार्यअधिकारी से कराने में विधिक कठिनाई है, क्योंकि चेक पर हस्ताक्षर करने का मुख्याधिकारी को प्रदत्त अधिकार कार्य अधिकारी को डलीगेट नहीं किया जा सकता।

२०--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक १७-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २३ द्वारा उत्तरित]

हरदोई-लखनऊ, हरदोई-कानपुर, हरदोई-सीतापुर मार्गों पर दिये गये बस के परमिट

२१--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई-लखनऊ, हरदोई-कानपुर, हरदोई-शाहजहांपुर, हरदोई-सीतापुर के मार्गों पर प्राइवेट बसों के लिए जो परमिट अब तक दिए गए हैं, उनमें कितने परमिट होल्डर ऐसे हैं जो अपने परमिटों को किराये पर दे रखे हैं ? क्या ऐसे लोगों की सूची सदन के पटल पर रखते हुए सरकार उनके परमिटों को जब्त करने पर विचार करेगी ?

श्री आबिद अली--

प्रश्नगत मार्गों के किसी परमिट होल्डर द्वारा अपना परमिट किराये पर दिये जाने की न तो कोई शिकायत है और न ही कोई ऐसा तथ्य प्रकाश म आया है।

शाहजहांपुर में बस एक्सीडेन्ट के मृतकों के आश्रितों को दिया गया मुआवजा

२२--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तारीख १६ दिसम्बर, १९७६ को जनपद शाहजहांपुर में बस नं० ३०६८ यू० एस० ई० के एक्सीडेंट से कितने मुसाफिर मारे गए और कितने बुरी तरह जख्मी हुए ? क्या उन प्रभावित लोगों को अब तक मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन लोगों को कब तक मुआवजा दिलवा दिया जाएगा ?

श्री आबिद अली--

जी हां। १६-१२-७६ को हुई दुर्घटना में तीन यात्रियों की मृत्यु हुई और १६ यात्रियों जिनमें चालक एवं परिचालक भी सम्मिलित हैं, घायल हुए। दुर्घटना में मृतक तीनों यात्रियों के आश्रितों को दस-दस हजार की धनराशि का मआवजा बीमा कम्पनी द्वारा दिया गया है। घायलों के स्थायी, आंशिक अथवा पूर्ण अक्षम न होने के कारण बीमा कम्पनी ने किसी को मुआवजा नहीं दिया।

गोरखपुर के सुपरवाइजर, श्री सदानन्द मिश्र के विरुद्ध गबन का आरोप

२३--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के एक सुपरवाइजर (श्री सदानन्द मिश्र) को वर्ष १९७१-७२ में लाखों रुपये के गबन के मामले में निलम्बित किया गया था, जिसका अदालत में मुकदमा विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुनः उसे सितम्बर, १९७७ में क्यों सवेतन बहाल कर दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद गोरखपुर में श्री सदानन्द मिश्र, सुपरवाइजर को वर्ष १९७१-७२ में नहीं बल्कि अक्तूबर, १९७४ में १,३५,५२८·५० रु० के गबन एवं दुरुपयोग के मामले में अध्यक्ष, यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निलम्बित किया गया था । श्री मिश्र के ऊपर कुल ५ (पांच) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक पर अंतिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा लगाई गई, दो मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर ली गई है, एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है एवं एक मामले में विवेचना शेष है ।

श्री मिश्र को सवेतन नहीं बल्कि १/४ वेतन काट कर, एक वेतन वृद्धि रोक कर, प्रतिकूल प्रविष्टि देकर एवं ३,७४६·७५ रु० की वसूली के तहत तदर्थ रू पसे न्यायालय के निर्णय तक क्षेत्रीय कमेटी सहकारी संघ प्राधिकारी (पी० सी० यू०), गोरखपुर के निर्णय दिनांक ३१-१०-७७ के अन्तर्गत बहाल किया गया ।

छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, मथुरा में स्थानीय एवं बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति

२४--श्री हुकमचन्द्र तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत छाता शुगर क० लि० में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा कितने बाहर के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ? कृपया यह भी बतायेंगे कि मथुरा जनपद से बाहर के जिन कर्मचारियों की नियुक्ति यहां की गयी है, क्या मथुरा जनपद में इस योग्यता के उम्मीदवार नहीं थे ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन के पटल पर पूरी सूची † रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिवमंगल सिंह--

मथुरा जनपद में स्थित छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड में कुल ४१७ स्थानीय व्यक्तियों को और १३१ बाहर के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है । बाहर के जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उस योग्यता, दक्षता एवं अनुभव वाले व्यक्ति मथुरा जनपद में उपलब्ध नहीं थे ऐसे बाहरी व्यक्तियों की विस्तृत सूची † संलग्न की जा रही है ।

फैजाबाद जिले की गौहनियां-अकबरपुर सड़क पर पुलिया-निर्माण सम्बन्धी पत्र

२५--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फैजाबाद की गौहनियां अकबरपुर सड़क पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का १३ फरवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या यह कार्य बरसात शुरू होने के पहले पूरा हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद्, फैजाबाद से सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

† नोट--छापी नहीं गयी ।

सहकारी बैंक, देवरिया के दफ्तरी, श्री लल्लन मणि के वेतन का भुगतान

२६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि सहकारी बैंक देवरिया प्रधान कार्यालय में कार्यरत दफ्तरी श्री लल्लन मणि को जून, १९७५ से मार्च, १९७६ तक का वेतन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वेतन कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री लल्लन मणि को जून १९७५ से मार्च, १९७६ तक का देय वेतन भुगतान किया जा चुका है। और इस अवधि का इनका कोई वेतन देना बाकी नहीं है। अतः इस अवधि का वेतन पुनः देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

केन यूनियन द्वारा संचालित औषधालय, तरकुलवा, देवरिया के डा० लक्ष्मी नारायण मिश्र का वेतन

२७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गन्ना मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में केन यूनियन द्वारा संचालित औषधालय, तरकुलवा के भूतपूर्व चिकित्साधिकारी (डा० लक्ष्मी नारायण, मिश्र) का वर्ष १९६२-६३ का वेतन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां तो वेतन कब तक दिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवमंगल सिंह--

देवरिया जनपद में तरकुलवा औषधालय का संचालन केवल सहकारी गन्ना विकास समिति, देवरिया द्वारा ही नहीं किया जाता था अपितु इसका संचालन केन मारकेटिंग बोर्ड सहकारी गन्ना विकास समितियां, देवरिया एवं बैंतालपुर, जनपद सहकारी बैंक, देवरिया तथा जिला परिषद्, देवरिया द्वारा दिए गए चन्दे के आधार पर चलाया जा रहा था। भूतपूर्व चिकित्साधिकारी डा० लक्ष्मी नारायण मिश्र का वर्ष १९६२-६३ में माह नवम्बर, १९६२ से २० मार्च, १९६३ तक का वेतन रु० ७२०.०० अवशेष है। वेतन का भुगतान उपरोक्त संस्थाओं द्वारा चन्दा न दिए जाने के कारण रुक गया है। यह औषधालय इस समय जिला परिषद्, देवरिया द्वारा संचालित किया जा रहा है क्योंकि औषधालय कमेटी ने अपने प्रस्ताव संख्या २ दिनांक २१-१२-६८ द्वारा औषधालय की इमारत, भूमि, शेष दवाएं, उपकरण तथा फर्नीचर आदि सम्पूर्ण सम्पत्ति जिला परिषद् को दे दी गई। तत्पश्चात् औषधालय कमेटी भंग कर दी गई।

अतः अब शेष वेतन का भुगतान जिला परिषद् द्वारा होना चाहिए।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि ८-९ प्रश्नों को मैं देख रहा हूं और उनके उत्तर को देखें तो दो पत्रों से ऊपर है। आपके पहले पीठासीन व्यक्तियों के निर्णयों को देखें तो निर्णय रहा है कि यदि उत्तर लम्बे हों तो वह

पटल पर रख दिए जायं । ५-६ मिनट से ज्यादा समय एक प्रश्न में न लगे । इसलिए यदि ५ मिनट पढ़ने में लगेंगे तो माननीय सदस्यों का समय बेकार में चला जाता है । अतः इसमें आपकी आज्ञा चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न लम्बा था । इसमें एक कठिनाई है क्योंकि बड़ी तादाद में प्रश्नों के उत्तर, सदस्यों की सहायता के लिए, पटल पर रखने की व्यवस्था नहीं है । क्योंकि अनुपूरक प्रश्न पूछने में दिक्कत होगी । लेकिन आप लोगों का सुझाव होगा तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस तरह के जो लम्बे जवाब हों उनको पटल पर रखा हुआ मान लिया जाय ताकि समय की बचत हो । इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि दोनों पक्षों की लाबी में उनके उत्तर ज्यादा तादाद में आ सकें और सदस्य देख सकें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, विधान परिषद् में जितने सदस्य हैं उनको उत्तर दिए जाते हैं । यदि हर सदस्य को यहां भी प्रश्नों के उत्तर भेज दिए जायं तो पढ़ने में समय बच सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में पहले विचार किया था और कुछ प्रतियां बंटी हैं । मैं फिर प्रयास करूंगा और संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करने के बाद जो जवाबों की प्रतियां हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाय तो यह संभव होगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था जो होती है वह या तो हमारे सामने जो विषय विचारार्थ हों या कार्य विन्यास के बारे में हो या नियमों के निर्वचन के बारे में हो तो आप कम से कम व्यवस्था का प्रश्न रख सकते हैं अन्यथा नहीं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

हमारे जिले के बारे में श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने ३०१ के अन्तर्गत एक नक्ल के बारे में कि बस्ती में अन्तर्राष्ट्रीय नकल का अड्डा हो गया है...

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मान्यवर, आपके आदेश का वहां पालन नहीं हो रहा है । उसका पालन होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दें ।

नये मंत्रियों के परिचय की मांग (क्रमागत)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, संसदीय प्रणाली है और मेरा निवेदन है कि जब मंत्री नये नियुक्त होते हैं तो उनका परिचय विधिवत् हमको होना चाहिए। यह बात नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, अखबारों से जानते हैं, सदन जानता है लेकिन उनका परिचय होना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था।

एक सदस्य—

परिचय इसलिए नहीं है रहा हो कि चार दिन बाद निकाल दिए जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि यहां विधान सभा में इस तरह की परिपाटी नहीं है। लोकसभा और राज्य सभा में है। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करूंगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो नये मंत्री हैं उनका परिचय दें इस सदन को। तो इस परिपाटी को चालू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए लेकिन पहले से इसकी सूचना हो तभी तो मंत्री लोग मौजूद हो सकते ह। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से परामर्श करनें के बाद ऐसा हो सकता है।

(श्री प्रदीप कुमार यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एक निवेदन है। मेहरबान सिंह जी का शोक प्रस्ताव होना चाहिए था जो सदन के सम्मानित सदस्य थे उनका निधन हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक इत्तला हमारे पास नहीं है..

श्री रियासत हुसैन—

रेडियो में एनाउन्समेंट हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट से इत्तला मंगायेंगे।

बाराबंकी के ग्राम समगढ़ा हंस राजपुर तथा तालगांव में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत ग्राम समगढ़ा-हंस राजपुर, परगना भवई, तहसील रामसनेही

घाट में भीषण अग्निकांड हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण गांव यानी ६२ घर जलकर नष्ट हो गए जिसकी सूचना पाकर मैंने मौके पर जाकर देखा कि जिसके शरीर पर जो कुछ था, उसके अतिरिक्त कोई भी सामान जलने से न बच सका और आग की चपेट में आकर एक औरत तथा एक बैल भी जलकर खाक हो गए। उक्त भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप उसी गांव के समीप ७ खलिहानों में किसानों की कटी फसल लगी हुई थी, जलकर नष्ट हो गई। इस प्रकार वहां के सम्पूर्ण निवासी दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। तहसील अधिकारियों ने उन सभी ६२ लोगों को आर्थिक सहायता न देकर केवल २५ लोगों को ही कुछ आर्थिक सहायता दी गई जो वहां के निवासियों की दयनीय दशा को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम समगढ़ा हंस राजपुर में ९५ प्रतिशत हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं।

मान्यवर, उपरोक्त तहसील के अन्तर्गत ग्राम तालगांव, विकास खंड, रुदौली में भी भीषड़ अग्निकांड के कारण ३३ घर नेस्तनाबूद हो गए हैं और आठ बकरियां जलकर नष्ट हो गई हैं। आग पर उस समय काबू पाया गया जब दमकल का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मुझे दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उक्त गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आर्थिक सहायता वास्तव में मिलनी चाहिए थी फिर भी सहायता पाने से वंचित रह गए।

मान्यवर, अन्त में मैं सरकार से मांग करता हूं कि आगजनी की भयंकरता को देखते हुए पीड़ित लोगों को तत्काल यथेष्ट सहायता अनुदान तकावी और अनाज तथा भूसा के रूप में दी जाय ताकि मुसीबत जदा लोगों का निर्वाह हो सके।

जिला बाराबंकी के सुवेहा क्षेत्र में छोटी चेचक के प्रकोप से बच्चों की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, सुवेहा क्षेत्र में जो गत दो माह से छोटी चेचक का भारी प्रकोप चल रहा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के गांव बादल में आठ बच्चों के मरने तथा दर्जनों के पीड़ित होन का समाचार मिला है। ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र के सरैया, पलिया आदि गांव को खसरे का प्रकोप बहुत जोरों पर है। यदि इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो सैकड़ों लोगों के मर जाने की संभावना है। स्थिति दिनों दिन गम्भीर होती जा रही है। स्थानीय गांव वालों ने जब उपरोक्त मामलों की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़ के चिकित्सा अधिकारी के पास भेजी तो उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि वह कोई बड़ी चेचक नहीं है तथा कोई खसरे का इलाज नहीं है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से आठ बच्चों की मृत्यु हुई तुरन्त निलम्बित किया जाय तथा उच्चस्तरीय जांच कराई जाय। मृतक परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता देकर मदद दी जाय। जिससे जनमानस में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फर्रुखाबाद, के फतेहगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी के अभाव के विषय को नियम के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले निवासियों की जनसंख्या १ लाख से अधिक है, किन्तु वहां पीने के पानी के लिए वर्षों पूर्व बनी हुई पानी की एक पुरानी टंकी है। पूरे शहर को इसी टंकी से पानी दिया जाता है। जबकि इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिन लोगों के घरों में अपने कुएं थे, वे भी या तो बन्द करा दिए गए, या फिर जल कल विभाग के बाद जल स्तर ही इतना गिर गया कि वे सूख गए। इस पर भी नगरपालिका के जल कल विभाग में पर्याप्त भ्रष्टाचार ने जल संकट को और भी बढ़ा दिया है। आज स्थिति यह है कि सड़क व बाजार में हजारों व्यक्ति गर्मी की चिलचिलाती धूप में एक-एक गिलास पानी के लिए झगड़ते दिखाई देते हैं।

घटना का सबसे दुःखद पहलू यह है कि वाटर वर्क्स जनता को पानी पूरा नहीं कर पाता। किन्तु तराई के कुछ खेत मालिकों द्वारा अनुचित लाभ उठाने की नीयत से कर्मचारीगण उन्हें सिंचाई हेतु बराबर पानी देते रहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे लगभग २८ खेत मालिक नगरपालिका से अवैधानिक तौर से पानी प्राप्त कर रहे हैं और पूरे शहर में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस पानी के अकाल के कारण भू मंजिल और पहली मंजिल पर भी पूरे शहर में कहीं भी पानी नहीं पहुंच पाता है और नालियों व शौचालयों की सफाई तक न हो सकने के कारण वे बुरी तरह से बजबजाते हैं, जिससे भयंकर रोगों के फैलने का संकट पैदा हो गया है। पूरे शहर के वाटर मोटर खराब पड़े हैं और कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने के कारण उन्हें ठीक नहीं कराना चाहते हैं। नालियों में गन्दगी के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है और मलेरिया फैल रहा है, लेकिन डी०डी०टी० के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है।

अस्तु अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से वक्तव्य एवं आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

इलाहाबाद कचेहरी में दीवानी न्यायालय के रिकार्डरूम में आग लगने से हानि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

यह इलाहाबाद की कचेहरी में आग लगने के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन ने एक प्रश्न दिया था। बाद में नाथूराम शिक्षक ने विस्तार के साथ उसे नियम ५१ में दिया है। मैं इन दोनों को माननीय मंत्री के पास भेज रहा हूं। वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

दिनांक १ मई, १९७८ को इलाहाबाद कचेहरी में दीवानी न्यायालय के रिकार्ड रूम में भारी आग लगी जिससे लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई और पुराने कीमती रिकार्ड्स भी जल कर खाक हो गए। आग शाम के ५ बजे के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब लगी और रात बीते तक बुझाई न जा सकी । लगभग आधे दर्जन आग बुझाने वाली गाड़ियां इस्तेमाल की गईं परन्तु आग नहीं बुझ सकी । इस भीषण अग्नि-कांड से प्रदेश एवं विशेश तौर से इलाहाबाद की जनता म घोर असंतोष एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है । २ तारीख को नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने यही प्रश्न आपको दिया था । यदि इसकी चर्चा होनी थी तो नियम ५१ के अन्तर्गत जो मैंने पहले प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया था उस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी । मैं नहीं जानता कि २ तारीख की क्या कार्यवाही हुई । अगर कोई कार्यवाही न हुई हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

दो तारीख को कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाने के दरोगा, श्री नरेन्द्र प्रताप राव के विरुद्ध बलात्कार शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तंतत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रतापगढ़ जनपद के रानी-गंज थाने के दरोगा श्री नरेन्द्र प्रताप राव के काले कारनामों को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, मार्च के महीने में प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाने के रतनमई गांव के श्री सुखदेव यादव ने एक आम का पेड़ जो आधा सूख गया था काटा था । दरोगा श्री नरेन्द्र प्रताप राव ने डरवा धमका कर उनसे सौ रुपए ऐंठ लिया । इसी तरह उसी गांव के श्री नईमुद्दीन से भी जिन्होंने एक पेड़ इजाजत लेकर काटा पैसा वसूलने की नियत से १५ फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत मामला दर्ज किया, पैसा वसूला और पेड़ की लकड़ी भी उठा ले गये । नतीजन श्री नईमुद्दीन ने एक इस्तगासा दरोगा के खिलाफ दायर किया । इस इस्तगासे में श्री नईमुद्दीन की तरफ से श्रीमती सेरुनिशा व श्री सुखदेव यादव गवाह थे ।

उक्त दरोगा ने चिढ़ कर श्री सुखदेव यादव के घर १२-१३ अप्रैल की रात में डकैती डलवा दी । श्री यादव को डाकुओं ने पहले बोटी-बोटी करके काटा तदन्तर सारा सामान लूट कर चम्पत हो गए । ज्ञातव्य है कि उक्त दरोगा उसी गांव में श्री यादव के घर से करीब सौ गज की दूरी पर ठहरे हुए थे । उक्त दरोगा ने ही श्रीमती सेरुनिशा की पतोहू श्रीमती जाहिदा के साथ जो गर्भवती थी, बदला लेने की गरज से सरेआम बलात्कार किया और उनके लड़के श्री गुलहसन को डकती में चालान करने की गरज से पकड़ ले गए, मारा-पीटा, मेरे कहने पर आरक्षी अधीक्षक के हस्तक्षेप से छोड़ दिया गया । इस बलात्कार की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास ने की है, जिसमें बलात्कार की पुष्टि होती है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री संगम लाल---]

इस मामले में मैं चाहता हूं कि सरकार जांच करे तथा दरोगा को इस कुकर्म के लिये दण्डित करे ।

बड़ी गन्डक नदी की धारा परिवर्तन से देवरिया जिले के खड्डा विकास खन्ड के कतिपय ग्राम के किसानों पर आर्थिक संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले के विकास खंड खड्डा के ग्राम शिवपुर, बसन्तपुर, मरिचहवा, हरिहरपुर है । नारायनपुर, बकुलाडह, बिन्धाचलपुर, बकुलादह, शहपुर, शामपुर, सालिकपुर, महदेवा, ज्वालापुर, बुलाहवा, परिहवा, नौतार जंगल, गठिहवा, सूरजपुर, भगवानपुर, माघी, अनुमानगंज, मेसहा, मेडिहारी, मदनपुर, सुकरौली, बुढ़वा जंगल, पकड़ी बगलाल, लक्ष्मीपुर, पडरहवा आदि गांव जो बड़ी गंडक नदी की भीषण बाढ़ से कटकर नदी की धारा में विलीन हो गये हैं । उनके घर बार, खेती-बारी माल मुवेशियान सब नदी की भयंकर बाढ़ से नष्ट भ्रष्ट एवं बरबाद हो चुके हैं । ३० मील लम्बी तथा १० मील चौड़ी पट्टी में नदी ४६, ५६, ६२, ६६, ७१ तथा ७८ में मार्ग परिवर्तन किया जिससे ३० हजार की आबादी प्रभावित हुई । जो लोग तथा गांव बाढ़ से तबाह व बरबाद हुये वे पहले धनधान्य से सम्पन्न थे । उनके पास माल मवेशियां थीं । खेती हेतु पर्याप्त भूमि थी, पक्के मकान थे, तथा गांवों में मन्दिर और मस्जिद भी थे । परन्तु वे ही आज बाढ़ से संकटग्रस्त होकर गृह विहीन, भूमिहीन होकर दाने-दाने के लिये मुहताज होकर कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । ये समस्याओं से संकटग्रस्त हैं । इनकी सारी समस्याओं में भूमि तथा मकान, भोजन व वस्त्र की समस्या जटिल है । भूमि नदी पुराने जगह से नये जगह गयी तो पुरानी भूमि खाली हुई जो नदी की पांक के कारण उर्वर शक्ति से सम्पन्न हो गई । मैदानी क्षेत्र के कुछ अधिकारी, कर्मचारी, वकील, मुख्तार, व्यापारी, विधायक, संसद सदस्य तथा अन्य धोनीमानी लोग जो उन बाढ़ग्रस्त लोगों के दुख से दुखित होकर उनका दुख दर्द मिटाने गये थे । उस उर्वरा भूमि को देखकर लालच में फंस गये और कागजात सरकारी में उस भूमि पर अपना फर्जी नाम दर्ज करा लिये । रुपया खर्चा करके बिना अधिकार और अध्यासन के ही भूमिधर भी बन गये ।

विपत्तिग्रस्त लोगों ने उक्त अधिकारियों तथा जनसेवियों के आदेश से जंगलों को काटकर अपने झोपड़े खड़े किए तथा खेती के लिए भूमि तैयार किये । उस पर भी अधिकारियों एवं जनसेवियों ने अपने स्त्री तथा बच्चों के फर्जी नाम अंकित करा लिए ।

अब गरीब खेत जोतकर बोकर फसल तैयार करते हैं और कागज में फर्जी नाम धारी लोग उसे लूट ले जाते हैं । और अदालतों चाराजोई में तथा कानून के गिरफ्त से बच जाते हैं । गरीब आह करके पेट पर तवा बांधकर रह जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नदी के रास्ते तबदील करने के साथ ही भूमि की नवेयत भी तबदील हुई। मुस्तकिल मुकामात लुप्त तथा नष्ट हुए। परन्तु सरकारी कागजात व नक्शेजात ज्यों के त्यों हैं। अतः इस भूमि का री-सर्वे कराकर कागजात दुरुस्त करा दिया जाय।

कारागार विभाग के कर्मचारियों की वर्दी के शासनादेश में खादी विरोधी नीति होने पर आपत्ति

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जेल विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर खादी की वर्दी पहनने पर पाबंदी लगा दी है। मान्यवर, कारागार महानिरीक्षक ने अपने पत्र संख्या ३४०४९-१०० गोपनीय-१, दिनांक १ दिसम्बर, १९७७ द्वारा शासन से वर्दी निर्धारित कराई है। उसमें मिल के बने वस्त्रों को ही निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं मान्यवर, उसमें कपड़े की दुकानों का भी उल्लेख किया गया। एक सर्कुलर है श्री बी० के० मिश्रा, आई० ए० एस० कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश का जिसकी संख्या ४४२-६९ गोपनीय-१, दिनांक १३-२-७८ जिसमें साफ तौर पर लिखा है संलग्नक अंग्रेजी में है। उसमें लिखा है कि गवरडीन का कपड़ा होगा जो लालइमली का होगा तथा सूती कपड़ा बिन्नी मिल का होगा। जो मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार की नीति है वह गांधीवादी है। उसकी अर्थनीति उसी पर आधारित है। केवल मिलों के बने कपड़े पहनने के बारे में आदेश जारी करना भारत के सबसे बड़े प्रदेश में खादी पर रोक लगाना बहुत गलत काम है।

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। खादी केवल कपड़ा नहीं है देश का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। यह क्रान्ति का हथियार रहा है। क्या सरकार जो कारागार विभाग ने खादी पर रोक लगाई है उसको तत्काल समाप्त करेगी। इस सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधान मन्त्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को लिखा है यह समाचार हिन्दुस्तान दैनिक अखबार में निकला है। उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखा है कि वह स्वतः इस मामले को देखें। इतना ही नहीं मान्यवर, उड़ीसा के राज्यपाल श्री भगवतदयाल शर्मा ने आपको इस बारे में पत्र लिखा है और राजस्थान के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है। मैं इस मामले में चाहूंगा कि यह जो गलत कानून, खादी विरोधी कानून जारी किया गया है यह खादी विरोधी है और मिल वालों को पोषण करने वाला है। मैं चाहूंगा कि इसको तत्काल निरस्त किया जाय और खादी पहनने पर किसी प्रकार की पाबन्दी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो आपने अभी रखा है। इस पर आपने पहले भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है और अब सरकार और मुख्य मन्त्री जी और न्याय एवं कारागार मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस पर सरकार विचार करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। मुझे जिस तरह से याद है इस सदन में यह प्रश्न आया था और कारागार मंत्री जी ने एक प्रश्न के सिलसिले में कहा था कि ऐसा कोई परिपत्र नहीं दिया गया। आज माननीय सदस्य ने एक परिपत्र का उल्लेख किया है। इसके मानी यह हुए, जो बात माननीय मंत्री जी ने कही वह गलत है। क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है? किस बात पर उन्होंने ऐसी बात कही?

श्री अध्यक्ष—

अगर विशेषाधिकार की अवहेलना होगी तो आप नोटिस दीजिये तब मैं देखूंगा।

(श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, यह प्रश्न सदन में दो तीन बार पहले भी उठ चुका है। सदन की यह परम्परा भी रही है कि जो प्रश्न एक बार उठता है उसको अनुमति बार-बार नहीं दी जाती। लेकिन आपने अनुमति दी है, शिरोधार्य है। (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो आदेश पढ़ा गया है शायद पुराना आदेश पढ़ा गया है। २३ मार्च का जो आदेश निकला है उसको भी माननीय सदस्य देख लें। उसमें किसी कम्पनी या मिल का नाम नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि पहले बताया, पुलिस विभाग में जो वर्दी का नियम है उसको ज्यों का त्यों जेल विभाग में स्वीकार कर लिया गया। कम्पनी या मिल के नाम की जानकारी जब माननीय सदस्य ने कराई तो २३ मार्च को आदेश किया जिसमें कपड़े की कौन सी किस्म और शेड होगी केवल यह बात है। जैसा कि पुलिस विभाग में एक नियम है ठीक उसी तरह का नियम जेल विभाग में स्वीकार कर लिया गया। अगर कोई कर्मचारी खादी पहनने की बात कहता है तो उस पर विचार कर लेगी सरकार।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद नहीं हो सकता।

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । इस पर नियम के अनुसार बहस हो सकती है । कोई प्रस्ताव मेरे सामने हो । सरकार से आपने पूछा सरकार ने जवाब दे दिया और आज भी, चूंकि पहले माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था, मेरे संज्ञान में कि फलां-फलां कम्पनी का नाम दिया है, मैंने स्पष्टीकरण की इजाजत दे दी । अब इस पर विवाद नहीं हो सकता । अगर आप चाहते हैं, तो इस पर कोई मौलिक प्रस्ताव हो, तब विचार कर सकते हैं । अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो बयान मंत्री जी ने दिया है उससे व्यवस्था का प्रश्न उठता है । अगर कोई पत्र का हवाला दिया गया है, २३ मार्च के पत्र का, वह पटल पर रख दिया जाय, उसको देख कर समझ में आ सके कि क्या वास्तव में जो अड़चन पैदा हुई वह उससे दूर हो गयी या नहीं, क्योंकि पहले पत्र में खादी की मनाही नहीं की गयी थी, पत्र इस तरह से लिखा गया था कि खादी उससे एक्सक्लूड हो जाती थी । यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । हमेशा यहां पर खादी का जेलों में प्रचार किया जा रहा है, इसलिए कि खादी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उससे राष्ट्रीय भावना लगी हुई है । इसके निराकरण के लिए वह पत्र इस सदन के पटल पर आ जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मेरे सामने यह प्रश्न नहीं है जिस पर मैं निर्देश दूं कि इस परिपत्र को सदन के पटल पर रखा जाय । यह जो प्रश्न आपने उपस्थित किया यह खादी की नीति हो सकती है । लेकिन अगर गवर्नमेन्ट ने निश्चय किया है तो सदन सक्षम है किसी मौलिक प्रस्ताव के द्वारा उस पर विचार कर सकता है और यदि मन्त्री या सरकार ने किसी किस्म का इस तरह का आदेश दिया है तो इस सदन में उठाया जा सकता है प्रश्नों के द्वारा या किसी प्रस्ताव के द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन किसी नियम के अनुसार उसको विवाद का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है ।

हिन्दी दैनिक 'अमृत प्रभात' के सम्पादक तथा पी० टी० आई० के सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार का अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनाओं को लेता हूं । पहली श्री सोहनवीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने इलाहाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "अमृत प्रभात" के सम्पादक तथा पी० टी० आई० के सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध १६ अप्रैल, १६७८ को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । माननीय श्री तोमर ने शिकायत की कि उक्त पत्र के १८ अप्रैल, १६७८ के प्रातः संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर "विधान सभा में पन्त नगर गोलीकान्ड को लेकर जबर्दस्त हंगामा" शीर्षक से समाचार में कहा गया कि "बहस के दौरान जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सोहनवीर सिंह तोमर व रवीन्द्र सिंह सहित कई अन्यों ने कहा" माननीय सदस्य का कहना है कि

[श्री अध्यक्ष]

१७ अप्रैल, १९७८ को पन्त नगर गोली काण्ड की बहस में उन्होंने तथा सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व रवीन्द्र सिंह ने कोई भाषण नहीं दिया । उक्त समाचार पत्र ने विधान सभा की कार्यवाही को जानबूझ कर गलत ढंग से छापा तथा सम्बन्धित माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में जन-साधारण को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया ।

इस विषय पर मैंने दैनिक "अमृत प्रभात" के सम्पादक व पी० टी० आई० के सम्बन्धित सम्वाददाता से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी । पी० टी० आई० के व्यवस्थापक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जो समाचार प्रसारित किया था उसमें उन्होंने केवल यह लिखा था कि विधान सभा में पन्तनगर में हुए गोलीकाण्ड पर चर्चा सर्वश्री सोहनवीर सिंह तोमर, राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा रवीन्द्र सिंह आदि की सूचना पर हो रही थी । उन्होंने यह भी कहा कि सम्बन्धित पत्र "अमृत प्रभात" में अनुवाद की त्रुटि के कारण ऐसा भ्रामक समाचार प्रकाशित हो गया । उन्होंने अपने द्वारा प्रसारित सम्बन्धित समाचार की एक प्रति भी अवलोकनार्थ भेजी और असुविधा के लिए खेद प्रकट किया । "अमृत प्रभात" के सम्पादक ने भी इस बात को स्वीकार किया कि किसी भ्रमवश अनुवाद में भूल होने के कारण ही यह गड़बड़ी हुई । उन्होंने यह भी कहा कि अमृत प्रभात में उक्त विषयक रिपोर्टिंग जान बूझकर गलत ढंग से करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उन्होंने अपनी इस गलती पर खेद प्रकट किया ।

अतः मैं इस मामले को समाप्त करता हूं और अमृत प्रभात के सम्पादक से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपने पत्र में प्रमुख स्थान पर भूल सुधार प्रकाशित कर दें ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने २९ अप्रैल, १९७८ को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय तिवारी का कहना है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने २६ अप्रैल, १९७८ को विधान सभा की कार्य सूची की नत्थी 'घ' के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर जानबूझकर गलत दिया है और इस प्रकार सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

माननीय सदस्य श्री तिवारी ने दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ की कार्य सूची के नत्थी 'घ' में अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ एवं ३२ के सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा लिखे गये दिनांक ६-१२-७७ के पत्र की प्राप्ति को स्वीकृत प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में तो की गयी है, किन्तु उसी पत्र की प्राप्ति से प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में इंकार किया गया है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का स्पष्टीकरण मांगा था। माननीय राज्य कृषि मंत्री श्री धीरेन्द्र सहाय ने जो दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से सदन में उत्तर दे रहे थे, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण भेजा है। उनका कहना है कि जहां तक दोनों प्रश्नों के उत्तर का सवाल है व्योरेवार पूर्ण उत्तर दिया गया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्न संख्या ३२ में, जिस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है उसी पत्र में आंशिक रूप से प्रश्न संख्या ३१ से सम्बन्धित मागों का भी उल्लेख था किन्तु प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर बनाते समय भ्रमवश उसे सम्बद्ध नहीं किया जा सका और यह उत्तर दे दिया गया कि पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय श्री तिवारी का यह भी आरोप है कि प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के बांयी ओर जो प्रश्न छपा है उनके पत्र का दिनांक ६-१२-७७ के बजाय ६-२-७७ छापा गया है यद्यपि कार्य सूची के छपे प्रश्न में उक्त दिनांक सही है। इस सम्बन्ध में माननीय राज्य कृषि मन्त्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि प्रारम्भ से ही यह मानकर कार्यवाही की जा रही है कि ६-१२-७७ का ही माननीय सदस्य का पत्र है किन्तु स्टेन्सिल काटते समय...

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय, आपका निर्णय नहीं सुना ?

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दे रहा हूं। एक संख्या "डेश" के ऊपर कट गयी है और कुछ मध्यम हो गयी है जिसकी वजह से आभास होता है कि ६-२-७७ है। माननीय मंत्री का कहना है कि इसमें भी कोई जानबूझकर ६-१२-७७ के बजाय ६-२-७७ करने का तात्पर्य नहीं था।

अपने स्पष्टीकरण के अन्त में माननीय कृषि राज्य मंत्री ने माननीय सदस्य को जो इस कारण असुविधा हुयी है, उसके लिए खेद व्यक्त किया है।

उपर्युक्त कारणों से मेरी राय में जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का मामला अन्तर्गस्त नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्री ने खेद भी प्रकट किया है। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री श्याम धर मिश्र--

माननीय, अब आपकी आज्ञा हो चुकी है, मैं इसको चुनौती नहीं देता हूं। एक ही माननीय मंत्री, ने एक ही दिन प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में कह दिया "जी नहीं" और प्रश्न ३२ के उत्तर में कह दिया "जी हां" तो फाइल देखकर ही तो दिया होगा। तो कैसे आपका निर्णय हो गया ? २ में से एक ही सही होगा। यदि एक ही सही है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो गया....

श्री अध्यक्ष--

अप्रत्यक्ष रूप से आप मेरी व्यवस्था पर शंका प्रकट कर रहे हैं।

[श्री अध्यक्ष]

मैंने साफ कहा है कि माननीय मंत्री जो ने माना है कि भ्रमवश उसमें जो स्वीकृत होनी चाहिए वह रह गयी । उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है । इसलिए इस मामले को समाप्त कर दिया है ।

"पायनियर" समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय आरिफ मोहम्मद खां ने दैनिक अंग्रेजी पत्र "पायनियर" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । उनका कहना है कि लखनऊ के एक दैनिक अंग्रेजी पत्र "पायनियर" ने ६ मई, १९७८ को "मालविया तांत्रिकाइज्ड" के नाम से समाचार प्रकाशित किया है । उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि २ मई, १९७८ को माननीय मुख्य मंत्री ने अपने अधिकार और विवेक से नहीं अपितु लखनऊ के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री पी० एन० कपूर के कहने पर स्वायत्त शासन मंत्री को अपने पद से हटाया । यह उन्होंने दिया है । मैं इसको "पायनियर" पेपर को स्पष्टीकरण के लिए भेज रहा हूं और जब स्पष्टीकरण आ जायगा....

(श्री आरिफ मोहम्मद खां के खड़े होने पर)

आपने एक नोटिस दी है उसमें जब तक सम्बन्धित प्रेस का स्पष्टीकरण न प्राप्त कर लूं तब तक आपको इसमें कोई अवसर नहीं दूंगा अन्यथा यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, यह चीज कोई ऐसी नहीं है जिस में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो । वह अखबार अपनी जगह पर छपा हुआ है । और उसमें स्पष्टीकरण मैं नहीं समझता कि स्पष्टीकरण किस चीज के लिए है ? अगर तथ्यों की बात है तो तथ्य अपनी जगह पर हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आरिफ साहब बैठिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं एक खतरे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को ऐसा लगता है कि यहां लोकतन्त्र नहीं रहा बल्कि "तन्त्र" के तरीके से शासन चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आपकी नोटिस मुझको मिला, "पाइनियर" की आपकी कटिंग भी मिली और मैंने आपको बतला दिया कि मैं "पाइनियर" को नोटिस भेज रहा हूं और उनका स्पष्टीकरण मांग रहा हूं, उसके बाद तब मैं इसकी ग्राह्यता के बारे में निश्चय करूंगा ।

विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

सर्वश्री नारायण दत्त तिवारी, कृष्णवीर सिंह कौशल तथा मन्जूर अहमद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

एक ही प्रकार के दो प्रश्न आये हैं। एक श्री श्रीनारायण, सदस्य विधान सभा ने माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है और दूसरा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल तथा मंजूर अहमद, सदस्यगण विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। तिवारी जो आज उपस्थित नहीं है और यह नियम है कि जब किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो तो उसकी प्रति उनको भेजी जाती है और अभी तक वह मिले नहीं हैं। तो जब उनका जवाब आ जायगा उसके बाद में निर्णय होगा।

श्री हरिचरण यादव, सदस्य, विधान सभा को सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

वर्ष १९७८ के प्रथम सत्र के दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ से मई, १९७८ के अन्त तक अथवा वर्तमान सत्र की आगे की पूर्ण अवधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु श्री हरिचरण यादव सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना को सदन की अनुज्ञा के लिए मैं रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि वर्ष १९७८ के प्रथम सत्र के दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ के अन्त तक अथवा वर्तमान सत्र की आगे की पूर्ण अवधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु श्री हरिचरण यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना को सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैंने दो तारीख को विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी, क्या वह लैप्स कर गयी ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने निर्णय दे दिया....

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मैंने जो रखा वह गन्ना विकास मन्त्री से सम्बन्ध रखता है। प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का था।

श्री अध्यक्ष---

वह स्पष्टीकरण के लिए भेजा है। उत्तर नहीं आया....गन्ना मंत्री वह हैं ही।

कार्य-मंत्रणा समिति के नाज-निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के जिन सदस्यों के नाम मैं पढ़ रहा हूं उन सदस्यों को १९७८ के लिए कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य नाम निर्देशित किया गया है :—

१—माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

२—श्री मधुकर दिघे, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ।

३—श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, खाद्य मंत्री ।

४—श्री काली चरण यादव, शिक्षा मंत्री ।

५—श्री मुश्ताक अहमद (वाराणसी) ।

६—श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव (कानपुर) ।

७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

८—श्री गौरी शंकर एडवोकेट (इटावा) ।

९—श्री श्यामधर मिश्र (वाराणसी) ।

१०—श्री गुलाब सेहरा (आगरा) ।

११—श्री राम रतन सिंह (सीतापुर) ।

१२—श्री अरुण कुमार सिंह (जौनपुर) ।

१३—श्री देव कुमार (बांदा) ।

१४—श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद) ।

२५ अप्रैल, १९७८ को कार्यसूची की नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के पुनः स्वीकार करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

२५ अप्रैल, १९७८ को कार्यसूची की नत्थी 'ख' में श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री बंश गोपाल चौबे द्वारा निम्नलिखित तारांकित प्रश्न संख्या ७ भेजा गया था ।

"क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा सदस्यों में से कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं अथवा जिन पर कत्ल, डकैती आदि के संगीन अभियोग चल चुके हैं अथवा चल रहे हैं ।"

इसका जो उत्तर शासन की ओर से सदन में दिनांक २५-४-७८ को दिया गया था वह इस प्रकार था :—

"इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु सूचना एकत्र करने में जितना समय व धन का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा ।"

माननीय मंत्री के द्वारा उक्त उत्तर पढ़े जाने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में श्री श्याम धर मिश्र व श्री कल्पनाथ सिंह तथा अन्य सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी, जिस पर मैंने उक्त प्रश्न को स्थगित करते हुए कहा था कि इस पर दूसरे दिन सदस्यों को सुनने के पश्चात् निर्णय दूंगा । तदनुसार २७ अप्रैल, १९७८ को सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैंने व्यवस्था दी थी कि प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह नियमानुकूल है और उसमें व्यवस्था या विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि जहां तक विवादास्पद प्रश्न का सम्बन्ध है मैं इस पर पुनः विचार करूंगा कि क्या मैं इस तरह का निर्देश मंत्रियों को दूं कि वह इसकी सूचना सदन के अन्दर दें ।

मैंने इस पर विचार कर लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान रूप में प्रश्न को पुनः स्वीकार करके उत्तर के लिए माननीय मंत्री को आदेश देना उचित न होगा ।

विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा

श्री अध्यक्ष---

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड के लिये दो विधान सभा सदस्य,

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो विधान सभा सदस्य,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए चार विधान सभा सदस्य,

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

काशी विद्यापीठ की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

उत्तर प्रदेश आराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए चार व्यक्तियों,

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए चार विधान सभा सदस्य,

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर,

जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो विधान सभा सदस्य,

तराई भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिए चार विधान सभा सदस्य,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य,

कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्यों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक १ मई, १९७८ को नियत समय पर की गई। केवल कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिय श्री श्याम सुन्दर गुप्त, सदस्य, विधान सभा (जालौन) का नामांकन-पत्र अवैध घोषित किया गया क्योंकि इसमें अभ्यर्थी ही प्रस्थापक थे। शेष सब नाम निर्देशन-पत्र वैध पाये गये हैं। अभ्यर्थियों की सूची नोटिस आफिस मे देखी जा सकती है।

नामों की वापसी के लिये दिनांक ११ मई, १९७८ को अपराह्न ४ बजे तक का समय नियत है, अतः यदि उक्त समय तक उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से जो नाम अतिरिक्त हैं, वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार दिनांक १६ मई, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक कमरा नं० ४८ में होगा।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को विरोधी दल के नेताओं के अनुरोध पर उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था। उस समय मैंने कहा था कि बस यही अन्तिम अवसर है। यदि सहमति से कोई नाम नहीं आता है तो जिसके नामांकन हैं उन पर निर्वाचन करा दिया जायेगा। अब उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए ११ मई, १९७८ का दिन निर्धारित किया गया है। यह निर्वाचन पूर्व प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों के आधार पर ही होगा।

नाम निर्देशन पत्रों की भी मैंने परीक्षा कर ली है। जिनको मैंने स्वीकार किया है उनको आप सचिव के कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पाठ्यपुस्तक विधेयक, १९७८[1]

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (कुंवर सतबीर)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पाठ्यपुस्तक विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न अवधारित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुंवर सतबीर--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[1] दिनांक ९ मई, १९७८ के असाधारण राजपत्र मे विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब दो कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । पहला श्री देव बहादुर सिंह, श्री श्याम धर मिश्र तथा श्री मथुरा प्रसाद पण्डे का प्राप्त हुआ है । उसमें श्री सत्य प्रकाश मालवीय के मंत्रि मंडल से हटाये जाने के बारे में है और दूसरा श्री श्याम धर मिश्र और देव बहादुर सिंह का गोंडा जिले के मनकापुर चुनाव क्षेत्र में दिनांक ८ मई, १९७८ को राम कृष्ण द्विवेदी एम० एल० सी० पर इन्दिरा कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा लाठियों से हमला किये जाने के संबंध में है । इस को नियम ५१ में भी दिया है । मैंने इसको यहां स्वीकार नहीं किया है नियम ५१ में स्वीकार किया है । जो काम रोको प्रस्ताव श्री देव बहादुर सिंह जी का है, उसकी ग्राह्यता के बारे में श्री देव बहादुर सिंह जी आपको क्या कहना है ?

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

(संसदीय वित्त मंत्री) श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ५८, उप नियम ७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कार्य स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन ग्राह्य होगा :--

उप नियम ७ में दिया गया है कि--प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके ।

मान्यवर संविधान के अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि मुख्य मंत्री की सिफारिश से किसी मंत्री को नियुक्त करे । तो नियुक्त करने के अधिकार में बरखास्त करने का भी अधिकार संनिहित है । राज्यपाल के इस अधिकार के ऊपर इस सदन के अन्दर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह सदन राज्यपाल महोदय को किसी भी प्रकार का निर्देश देने के लिए सक्षम नहीं है कि राज्यपाल किसी मंत्री को नियुक्त करें या न करें । इसलिए मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव अग्राह्य है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह जी, जो माननीय त्रिपाठी जी की आपत्ति है, आपका इस सम्बन्ध में क्या उत्तर है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है और जो कार्यवाही मुख्य मंत्री जी ने की है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इस कार्यवाही से पूरे प्रदेश में शासन व्यवस्था ठप है अनिश्चितता की स्थिति है आतंक का वातावरण है । इसलिए, मान्यवर, ग्राह्यता के बारे में जो माननीय त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, तो इस तरह से तो उन्होंने खुद चर्चा कर दिया कि मुख्य मंत्री का अधिकार है कि किसी मंत्री को बरखास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं । मान्यवर, पता नहीं किसने मुख्य मंत्री को बता दिया है कि वह किस मंत्री को बरखास्त कर सकते हैं । आज तक इस प्रदेश में जो रिपोर्ट रहा है उसके अन्तर्गत त्याग-पत्र मंत्री से मांगा गया है किसी मंत्री को बरखास्त नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप इस प्रश्न की परिधि से बाहर जा रहे हैं । आप सुनिये जो मैं कह रहा हूं । प्रश्न यह है कि वैधानिक प्रश्न माननीय त्रिपाठी जी ने उपस्थित किया है बरखास्तगी के औचित्य पर, इस वक्त कोई विवाद नहीं है और उस पर कोई भी संकल्प लाया जा सकता है । यह कार्य मुख्य मंत्री का उचित था या नहीं था, इ के बारे में कोई भी मौलिक संकल्प इस सदन के अन्दर लाया जा सकता है, अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है । लेकिन इस वक्त माननीय त्रिपाठी जी ने यह कहा कि आर्टिकिल १६४ में यह लिखा है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री का मंत्रण से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे । इसका मतलब यह है कि जब तक राज्यपाल की प्रसन्नता है तब तक कोई मंत्री रह सकता है। यदि राज्यपाल अप्रसन्न हो जाते हैं तो उनको मन्त्रि पद से मुक्त करते हैं । संविधान के अनुसार राज्यपाल के किसी निर्णय को विवादास्पद नहीं बनाया जा सकता है । राज्यपाल की आज्ञा को सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है । इसलिए मैं तो इस संबंध में केवल आपकी बात सुनना चाहता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने जो संविधान की बात कही है कि राज्यपाल की प्रसन्नता से कोई मंत्री कार्यरत रह सकता है, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि जिसको चाहें रखें मुख्य मंत्री और जिसको चाहें न रखें । यह मुख्य मन्त्री की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर निर्भर करता है ।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल का उन्होंने भी जिक्र किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

उन्होंने जिक्र नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि वह समर्थ हैं और जिसको चाहे मंत्रि परिषद् में रखेंगे और जिसको चाहे बरखास्त करेंगे । जहां तक परम्परा है, संविधान में या संविधान में जो भी अधिकार हो जैसे मुख्य मंत्री को या किसी को परम्परा और परिपाटी के अनुसार यदि किसी मंत्री को आवश्यकता पड़े हटाने की तो उनको शिकायत लिखकर दिया जाना चाहिए । आपके पास शिकायत है तो उनको अवसर दें जवाब देने का । यदि संतोषप्रद जवाब न हो तो हटायें ।

श्री अध्यक्ष--

आप विषयान्तर हो रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार मंत्री हटे, त्यागपत्र द्वारा या गवर्नर के द्वारा । मैंने कहा कि आप किसी संकल्प के द्वारा इस सदन के अन्दर विचार कर सकते हैं और तब आप कह सकते हैं कि इस तरह की परम्परायें नहीं हैं । हमको इतना देखना है कि आया मैं इस काम रोको प्रस्ताव को ग्राह्य करूं या अग्राह्य करूं । ग्राह्यता के बारे में माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने आपत्ति की और कहा है कि संविधान के आर्टिकिल १६४ के अनुसार यह राज्यपाल का विवेक है । राज्यपाल का प्रसाद है । उसमें राज्यपाल के प्रसाद के अनुसार जो उनका निर्णय हो जाता है उसको सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

इसलिये मैंने कहा कि आप कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में संवैधानिक राय बतायें। आपइतना कहते हैं कि औचित्य नहीं है, परम्परायें नहीं हैं आप तो उस प्रश्न की मेरिट पर आ गये जो इससे संबंधित नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मैंने उसका उल्लेख इसलिए किया कि त्रिपाठी जी ने उसका जिक्र किया। जहां तक ग्राह्यता की बात है जो इस प्रदेश में हुआ है, उसे इस प्रदेश में जो रहने वाले हैं वह इस विषय में क्या सोच रहे हैं कि एक अनिश्चितता का वातावरण शासन व्यवस्था पर, आतंक का वातावरण छाया हुआ है। यह प्रदेश में ही नहीं बल्कि मंत्रियों में भी आतंक का वातावरण है। इसलिए ग्राह्यता के बारे में कह रहा हूं।

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

मान्यवर, चाहे हम या और कोई यदि राज्यपाल के प्रश्न का विश्लेषण करते हैं तो वह राज्यपाल पर कमेन्ट होगा। आज के प्रश्न पर निश्चित तौर पर आर्टिकिल १६४ में प्राविधान है जिसके अन्तर्गत यहां बहस नहीं की जा सकती है। जैसा कि आपके सामने प्रश्न उपस्थित है उसकी मेरिट पर बोलकर वह, ग्राह्यता पर न बोलकर, दूसरे पक्ष को उजागर करना चाहते हैं, इसलिए यहां दूसरी बात करना संविधान के अनुकूल न होगा।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, इसकी मेरिट की बात है। त्रिपाठी जी ने हमसे बोलवा दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। नहीं तो मैं उस पर न बोलता। ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता था लेकिन धन्यवाद त्रिपठी जी को उन्होंने कह दिया इसलिए उसके बारे में जवाब देना पड़ा। ग्राह्यता के बारे में श्रीमन्, दो शब्द कहना चाहता था। प्रदेश में जो अनिश्चितता का वातावरण है इसलिए मैं चाहता हूं कि कार्य स्थगित करके (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि बरखास्ती विवादास्पद बात हो गयी है। जब इस पर स्पष्ट चर्चा होगी तब मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अखबार में यह वक्तव्य कैसे दे दिया कि वह अधिकृत है चाहे रखें चाहे न रखें। इनका पक्ष बड़ा असंतुष्ट है। मंत्रि परिषद असंतुष्ट है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह ज्ञान हो गया कि जिस मंत्री को चाहें बरखास्त करें, जिसको चाहें कल भी बरखास्त कर दें, इस प्रकार कैसे मंत्रि परिषद चले ?

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिए। मैंने यह कहा कि देखिये मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में भी यह लिखा है कि ऐसे निर्णय जिन पर कोई मौलिक प्रस्ताव लाया जा सकता है वह काम रोको प्रस्ताव के लिए स्वीकार नहीं किये जा सकते। तो मैंने सिर्फ आपसे कहा कि पुनरावृत्ति करना उचित नहीं होगा। जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उसकी ग्राह्यता के बारे में कि यह संविधान के अनुसार है अगर आप कुछ कह सकते हैं तो कहें वरना पुनरावृत्ति की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, आप भलीभांति परिचित हैं कि काम रोको प्रस्ताव क्या है। यह केवल निन्दा का प्रस्ताव है। यह एक विकल्प प्रस्ताव है, एक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उस को कब आना होगा, किसको लाना होगा, वह दूसरी

[श्री श्यामधर मिश्र]

बात है। मैंने सिर्फ त्रिपाठी जी ने धारा १६४ की बात कही है उसके संबंध में कहना चाहता हूं। आप जोर उस पर दे रहे हैं। उसमें यह है अगर आप पढ़े, मैंने पढ़ने की चेष्टा की है, हालांकि मेरे सामने वह नहीं है, कि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति जो होगी वह मुख्य मंत्री के कहने पर गवर्नर द्वारा होगी लेकिन बरखास्तगी गवर्नर स्वयं करेंगे। मुख्य मंत्री के कहने पर उस में लिखा नहीं है। यदि कोई शब्द लिखा है तो आप बतायें कि मुख्य मंत्री के सलाह पर तो हम उसको मान जायेंगे। इसके माने यह हुये कि बरखास्तगी केवल खुशी और प्रसन्नता, केवल विवेक है राज्यपाल का और जो वक्तव्य अखबार में आया मुख्य मंत्री जी का कि उनके विवेक से मालवीय जी को हटाया गया यह बात बिल्कुल विपरीत हुई संविधान और संसदीय प्रणाली के, अधिकारों के। इसके पहले भी बहुत सी बार ऐसी बातें हुई हैं निन्दा के बारे में। खेर साहब की बात मैं नहीं कहूंगा। आप स्वयं कांग्रेस में थे। बल्लभ भाई पटेल ने उनकी क्या दुर्दशा इस काम के लिए नहीं की। मध्य प्रदेश के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने तीन मंत्रियों को बरखास्त किया। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल गलत किया आपको अधिकार नहीं था जो उनको हटाया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरिट पर आ रहे हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जब डा० खेर मुख्य मंत्री थे उन्होंने मंत्रि परिषद् का पुनर्गठन किया। इस पर सरदार पटेल जो केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने दल की हैसियत से उन पर कार्य नहीं किया। कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं था उन्होंने उनको संवैधानिक अधिकार से कोई चुनौती नहीं दी कि डा० एम० बी० खेर ने अपने मंत्रि परिषद् का पुनर्गठन क्यों किया। तो मैंने आप से कहा कि आप जा रहे हैं प्रश्न के मेरिट पर। मैंने यह कहा इस प्रश्न पर कि हटने का जरिया त्यागपत्र हो या बरखास्तगी हो विवाद किसी भी प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई प्रस्ताव लाये तो उस पर मुझे सोचना होगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

जब लाना होगा तब यह होगा। हमारे सामने बात यह है कि इस तरह आपका निर्णय चाहिये। यह निन्दा का प्रस्ताव है, अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। इस पर पूरा चिन्तन होना चाहिये कि मुख्य मंत्री को बरखास्त कराने का अधिकार है या नहीं?

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

कार्य स्थगन प्रस्ताव का महत्व दो बातों से होता है। वह लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न हो। अगर तीन तारीख के बाद से आज तक के अखबार देश और प्रदेश के उठाकर देखे तो सबसे ज्यादा लोक महत्व और अविलम्बनीय ईश्यू मालवीय जी के इस्तीफे के सम्बन्ध में है। उसकी वजह से पूरे राज्य में एक अनस्टैबिलिटी का वातावरण पैदा हो गया है जिसका असर दूसरे शासन पर पड़ा है। अब २७६ नियम आप देखें। उसमें स्पष्ट है कि मंत्री रिजाइन करेगा तो उसे सदन के अन्दर बयान देने का मौका मिलेगा ताकि वह सारी वस्तु स्थिति सदन में रख सके लेकिन वह रिजाइनिंग मिनिस्टर्स तो हैं नहीं, उनको डिसमिस किया गया है। लिहाजा मालवीय जी को यह मौका तो मिलेगा नहीं कि वह

माननीय सदन को अवगत करा सकें क्या कारण थे जिसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ा। इसलिए जब यह मसला माननीय सदन के समक्ष लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न के रूप में रखा गया है तो इसे आपको ग्राह्य करना चाहिये।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

संविधान को जो कोट किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी आप बैठें। मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माध्यवर, माननीय मालवीय जी को जिस तरह से मंत्रिमंडल से अलग किया गया वह मतभेद का विषय हो सकता है लेकिन इस समय प्रश्न यह है क्या हम इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा का विषय बना सकते हैं? इस सम्बन्ध में मैं इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्या यह सदन इस विषय पर विचार करने के लिए सक्षम है। संविधान की धारा के इंटर प्रिटेशन पर आपने स्वयं व्यवस्था दी है। अब संविधान की धारा १६४ जिसका यहां जिक्र किया गया हम कोई इंटर प्रिटेशन नहीं कर सकते राज्यपाल जी को बरखास्तगी करने का अधिकार है या नहीं है, वह अपने अधिकार का उपयोग अपने स्वविवेक से करेंगे या किसी के परामर्श से करेंगे इस किस्म की टिप्पणी के हम अधिकारी नहीं हैं। यह एक परिस्थिति है जिसके सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मत है कि यह आदरणीय सदन कार्य स्थगन के विषय के माध्यम से इस विषय पर विचार नहीं कर सकता। क्या राज्यपाल को हम किसी तरह का निर्देश दे सकते हैं? यह भी स्पष्ट है कि इस आदरणीय सदन में राज्यपाल के निर्णयों को हम चर्चा का विषय नहीं बना सकते। दूसरे रियायत साहब ने नियम २७६ की चर्चा की उस समय यह लागू होता है जिस समय किसी मिनिस्टर ने अपने पद से त्यागपत्र दिया हो। तो इसमें वह लागू नहीं होता। इसलिए इन तीन कारणों से मैं अपनी बात रखता हूं और उस आदरणीय सदन मे कार्यस्थगन के माध्यम से यह चर्चा का विषय नहीं बन सकता, यही मेरा तर्क है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माध्यवर, प्रश्न यह है कि संविधान की धारा १६४ के अन्तर्गत राज्यपाल की प्रसन्नता से या राज्यपाल की मर्जी से मंत्रि परिषद का गठन होता है और उसमें बरखास्तगी छिपी हुई है। मुख्य मंत्री ने अखबारों में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने संवैधानिक अधिकार अपना माना है। उसमें उन्होंने कहा है कि मंत्रि मंडल में किसको रखा जाय और किसको न रखा जाय, यह मुख्य मंत्री का संवैधानिक अधिकार है इसलिए किसी से अनुमति लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि राज्यपाल को यह अधिकार था और उनकी मर्जी से बरखास्तगी हो सकती थी लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा कि संवैधानिक अधिकार मुझको प्राप्त है। संविधान की धारा १६४ में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल की प्रसन्नता से मंत्रि मंडल गठन होगा लेकिन मुख्य मंत्री ने संविधान को अपने रूप में बनाने के लिये ऐसा किया है। इसलिए यह विवाद का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

अनुच्छेद १६३ (२) अनुच्छेद १६४ को एक्सप्लेन करता है। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की जांच पर इस कारण से कोई आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह स्वविवेक से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद १६४ को नियम १६३ (२) स्पष्ट करता है। इसलिए इस पर कोई चर्चा या कार्यस्थगन नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो प्रश्न उपस्थित किया है कि काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाय तो आर्टिकिल १६४ में लिखा है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्य मंत्री की परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और मंत्रिगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही रह सकेंगे। इसमें पहले भी इस पीठ से बहुत सी रूलिंग्स दी जा चुकी हैं कि राज्यपाल के कार्यकलापों . . . .।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो आदेश मुख्य मंत्री की मंत्रणा से राज्यपाल ने मुझे भेजा है अगर वह आपके पास उपलब्ध हो तब तो आप उसमें चर्चा करें। मुख्य मंत्री ने जो दिया है, उसे आप पहले मंगा लें। आपने उसे देखा नहीं है। १६४ के अन्त में जो भाग है कि राज्यपाल अपनी बुद्धि से काम करेंगे, मुख्य मंत्री की मंत्रणा से काम नहीं करेंगे . . .

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

१६३ (२) जो है उसमें स्पष्ट है . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) (शोर)

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

ये कौन होते हैं बोलने वाले . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपने स्थान पर बैठें। शांत रहें। देखिये उत्तेजना से लाभ नहीं होगा (व्यवधान) आप शांत रहिये। (श्री आरिफ मुहम्मद तथा श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये।

श्री मान सिंह, आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, श्री सत्यदेव त्रिपाठी वह दिन भूल गये हैं जब यह जेल में . . . .

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह आजाद--

जेल में वे श्री मालवीय से अपनी बीवी के लिए पैसा मांगते थे.... ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप आरिफ साहब बैठ जाइये ....

(व्यवधान)

कार्यवाही का यह भाग नहीं होगा ।

(पर्वतीय विकास मंत्री के कुछ कहने पर)

श्री आरिफश मुहम्मद खां--

मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । श्री सत्यदेव त्रिपाठी बिना आपकी इजाजत के बोल रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री रवीन्द्र सिंह--(जिला गोरखपुर)

किसकी इजाजत से यह बोल रहे हैं । बिना आपकी इजाजत के यह क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप लोग बिना मेरी इजाजत से बोल रहे हैं.... ।

श्री मानसिंह आजाद--

[× × ×]

(श्री आरिफ मुहम्मद खां के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आरिफ साहब आप सदन छोड़िये (व्यवधान) मार्शल इनको बाहर करें । (व्यवधान) मैं आपको इंगित करता हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

यह बिना इजाजत के क्यों बोल रहे हैं .... ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्र सिंह जी, आप सदन छोड़िये ।

श्री मानसिंह आजाद--

हिन्दुस्तान की आजादी हमने लड़ी, ..हमने खून बहाया है रामनरेश यादव ने नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री आरिफ मुहम्मद को मैं इंगित करता हूं ।

मुख्य मंत्री--(श्री राम नरेश यादव)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक सदन का सत्र चल रहा है श्री आरिफ मोहम्मद खां को तब तक के लिए निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री आरिफ मोहम्मद खां को जब तक सदन का सत्र चल रहा है तब के लिए निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रियासत हुसैन--

"न" की संख्या अधिक है, डिवीजन कराया जाय ।

एक सदस्य--

आप हमेशा पक्षपात करते हैं ।

एक सदस्य--आप पक्षपात न करें ।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' ने 'त्य प्रकाश मालवीय जिंदाबाद, मुख्य मंत्री को तानाशाही नहीं चलेगी' के कई बार नारे लगाये । उनके साथ कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने नारे लगाये)

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' तथा श्री कन्हैया लाल सोनकर माननीय अध्यक्ष के मंच के नीचे कार्यवृत्त लेखक की मेज के निकट आ गये ।)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

आप त्यागपत्र दे दें । आपने कहा था कि एक भी सदस्य का विश्वास नहीं होगा तो त्याग पत्र दे देंगे ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

आप पर विश्वास नहीं है ।

एक सदस्य--

आप कुर्सी छोड़िए ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

आप पर विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इनको बाहर निकाल दीजिये पकड़ करके ।

एक सदस्य--

पक्षपात मत करिये ।

(मार्शल गार्डों की सहायता से श्री कन्हैया लाल सोनकर को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने बिना इजाजत के एक माननीय राज्य मंत्री को बोलने से ही नहीं रोका जबकि हममें से कुछ विधायक उस विषय पर बोलना चाहते थे आपने दूसरी व्यवस्था दी ।

श्री अध्यक्ष--

सदन से बाहर निकाल दीजिये, डाक्टर राकेश श्री कासिम हुसन और श्री मान सिंह को, सबको बाहर निकाल दीजिये ।

एक सदस्य--

ऐसा पक्षपात नहीं चलेगा ।

एक अन्य सदस्य--

आप कितने लोगों को निकालेंगे इस तरीके से ?

(मार्शल डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था अभी नहीं । पहले सदन में व्यवस्था होने दीजिये ।

(श्री कन्हैया लाल सोनकर को सदन में बैठें देखकर श्री सोनकर को बाहर निकाला जाय ।

(इन लाब जिन्दाबाद, सत्य प्रकाश मालवीय जिन्दाबाद, राम नरेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाये गये ।)

(श्री कन्हैया लाल सोनकर को मार्शल दुवारा सदन से बाहर ले गये ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब आ ने इंगित किया, तो इंगित करने पर 'हां' और 'न' क. आवाजें आयीं । 'हां' और 'न' आने के बाद हमने चुनौती दी । हमने कहा कि 'न' की संख्या अधिक है । तो आपको हमारी बात माननी चाहिए थी । आप हाथ उठवाते औ वोट लेते । आप ने ऐसा क्यों नहीं किया ? इसका व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह अध्यक्ष के विवेक पर है। अगर आप डिवीजन का दुरुपयोग करना चाहें, तो इसकी अनुमति मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने अन्दाजा लगा लिया कि आप अल्पमत में हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

नियम...

श्री अध्यक्ष --

कोई नियम नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

अभी इस सदन में दो तरह की व्यवस्था देखने को मिलीं। पहले व्यवस्था यह हुई कि उधर से जब राज्य मंत्री बोलने खड़े हुए तो आपने कोई व्यवस्था नहीं रखी। जब उधर से कुछ अन्य लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने दूसरी व्यवस्था की। आप दो तरह की व्यवस्था करते हैं। हमारा अविश्वास आप में है...

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मालवीय जी ने उठाया था कि जो पत्र उनको मिला है, आप उसको मंगा लें। जब तक वह पत्र सदन के पटल पर न आ जायें और सदन के दूसरे लोगों को जानकारी में उसके कन्टेन्ट्स न आ जायें इस बहस को रोक दें।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है। आया काम रोको प्रस्ताव को ग्राह्यता प्रदान करें या नहीं? हमारे सामने यह प्रश्न था कि गवर्नर अपने आदेश से चाहे किसी भी मंत्रि परिषद् के सदस्य को हटा सकता है? अनुच्छेद १६४ में साफ लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्री की राज्यपाल नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की परामर्श से करेंगे। यह परम्परा है। यहां पर मेरे सामने औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न विवादास्पद नहीं था प्रश्न यह था कि क्या इस प्रश्न को काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो जैसा कि संसदीय मंत्री ने कहा और अनुच्छेद १६४ पढ़कर सुनाया, उसमें राज्यपाल को पूर्णतया विवेक है, राज्यपाल स्वयं कर सकते हैं, किसी की परामर्श से कर सकते हैं। इस प्रकार उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। १९६९ में...।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर मेरी एक बात सुन ले तब आगे बढ़ें।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय मैं बोल रहा हूं, आप खामोश रहिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। आप निर्णय के पहले हमारी बात सुन लें। आप बरखास्तगी की बात कह रहे हैं। मैं उनके अधिकार पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अनिश्चितता का वातावरण है, संदिग्ध वातावरण और तनावपूर्ण स्थिति है। यह संवैधानिक है या नहीं, इसका मैंने जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपनी बात कह चुके।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है, लेकिन किसी भी मंत्रि परिषद् के मंत्री को बरखास्तगी होती है या उसका इस्तीफा होता है तो उस पर विचार करने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उस पर विचार हो सकता है, उसके गुण दोष पर विचार हो या न हो। आप अपना निर्णय सुरक्षित रखें। हम लोग भी संविधान को पढ़ रहे हैं और कई नजीरें संसदीय इतिहास में मेरे सामने आयी हैं। तो कल तक इस निर्णय को सुरक्षित कर दें और आज इसका फैसला न दें। यह राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके तर्क को ठीक मान लिया जाये तो काम रोको प्रस्ताव में यह प्रश्न होता है और उनके स्वीकार करने पर चर्चा समाप्त होने के एक घंटा पहले विवाद होता है। तो मेरे सामने यह प्रश्न है कि क्या इस प्रश्न के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये जाये। तो मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। यह ऐसा प्रश्न है, जिसके लिए कार्य स्थगन नहीं लाया जा सकता है...।

मंत्री को नियुक्ति और मंत्री का हटाया जाना यह राज्यपाल का कार्य है श्री अजय कुमार मुखर्जी के मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है जो कि १९६६ के ए० आई० आर० में छपा है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद १६४ में व्यवस्था है कि मंत्री लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगे। इस अधिकार का प्रयोग गवर्नर किस प्रकार से करेंगे, इसकी संविधान में कोई शर्त नहीं लगायी गयी है और न उनके इस विवेक पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है। गवर्नर यदि अपनी प्रसन्नता को वापस लेता है तो उनकी दृष्टि में यह मामला स्वयं गवर्नर के विवेक का है और उसी खंड में यह दिया हुआ है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। लेकिन इसका मतलब किसी प्रकार से यह नहीं होता है कि गवर्नर के विवेक पर कोई प्रतिबन्ध लगता हो। इसका मतलब यह है कि मंत्रि-परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है तो वह किसी भी समय पर अविश्वास प्रकट कर सकता है लेकिन जहां तक विधान सभा का सवाल है संविधान में कोई ऐसा प्रतिबन्ध किसी स्टेज पर नहीं दिया है कि वे किसी मंत्रि परिषद् की नियुक्ति के ऊपर आपत्ति कर सकें। मुख्य मंत्री को नियुक्त करना और उनकी सलाह पर मंत्रि परिषद् के अन्य सदस्यों को नियुक्त करना और साथ ही साथ मिनिस्टरों को अपने पद से हटाना १६४ (१) के अन्तर्गत ऐसा अधिकार है जो पूर्णतया राज्यपाल का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय, प्रश्न यह नहीं है । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मुख्य मंत्री अपने मंत्रि-मंडल में किसको रखें या न रखें, उन्होंने यह कहा कि यह मुख्य मंत्री का संवैधानिक अधिकार है, उन्होंने राज्यपाल का कहीं भी जिक्र नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष--

धारा १६४ में मुख्य मंत्री के परामर्श पर मंत्रियों को रखा जाता है और उन्हीं के परामर्श पर हटाया जाता है । तो इस पर अब मैं विवाद की कोई अनुमति नहीं देता हूं । अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री उचित नारायन (जिला हमीरपुर)--

माननीय, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ?

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

माननीय, मुझे एडजोर्नमेन्ट मोशन के बारे में कुछ नहीं कहना है गवर्नर ने जो किया वैध किया या अवैध किया उसके बारे में आपने निर्णय दिया । आज यह सदन जानना चाहता है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण मुख्य मंत्री ने अपने कुलीग को डिसमिस किया । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । मुख्य मंत्री जिन्होंने एक मंत्री को हटाया, वे अपना स्टेटमेन्ट दे दें और जो हटाये गये वे अपना स्टेटमेन्ट सदन में दे दें कि किन परिस्थितियों में एक मंत्री ने मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया है ममकिन है न किया हो, अगर सारी परिस्थितियां ऐसी हैं तो ऐसी बात नहीं है जिसमें वैधता अवैधता की बात हो । मैंने साफ कह दिया कि ऐडजर्नमेन्ट मोशन से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है । और सदन जानना चाहता है कि वह कौन सी चीज उन्होंने पाई जिसे एक मंत्री को बरखास्त करना अनिवार्य हो गया, मंत्री में कोई खराबी हो, कोई करप्शन है, भ्रष्टाचार हो, कोई पर्याप्त कारण हो तो मैं मुख्य मंत्री जी को स्टेटमेन्ट देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए और जो मंत्री हटाये गये हैं उनको भी स्टेटमेन्ट देने का मौका होना चाहिए । इसमें सदन की गरिमा नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है । मुझे इतना ही कहना है ।

श्री उचित नरायन--

मुझको भी एक मिनट सुनिये । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न को सही रूप में नहीं लिया जा रहा है । श्रीमन्, यहां पर गवर्नर का जो ग्राउंड है उसको चुनौती नहीं दी जा रही है । इस प्रकार १६४ के ऊपर जो लागू करने की कोशिश की गयी है तो वह सही हो सकता है बशर्ते कि हम यह कहें कि गवर्नर का कार्य उचित नहीं था । तो अनौचित्य का प्रश्न यहां पर नहीं है । यह सदन इसके लिए बनाया गया है कि यहां पर मंत्री के कार्य के औचित्य और अनौचित्य को देखा जायगा और उस पर बहस भी होगी विचार भी होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिला उनको संकेत किये कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिये, जो अपनी मंत्रणा, अपनी सिफारिश गवर्नर के पास भेज दी वह कहां तक उचित था, वह उचित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह प्रश्न है । इसलिए १६४ इसमें हायल नहीं होता । वह गलत हवाला दिया जा रहा है ।

यहां पर औचित्य का प्रश्न केवल एक है कि आज तक की परम्पराओं के अनुसार जब कभी मुख्य मंत्री को इस बात की आवश्यकता हुई कि वह किसी मंत्री को पद-मुक्त करे तो उससे पहले उन्होंने मुनासिब समझा है और परम्परा रही है कि उनसे पूछा जाय, इस्तीफा देने के लिए कहा जाय । यदि आप सुनेंगे अच्छी तरह तो मैं कानून की एक-एक धारा निकाल करके दे दूंगा । इसी कानून के अन्दर और आपकी नियमावली के अन्दर यह बात है जिससे स्पष्ट हो जायगा । तो बिना मालवीय जी को इस बात का इशारा किये बिना उनसे इस्तीफा मांगे सीधे गवर्नर से जो कहा कि मुख्य मंत्री जी ने कि इनको बरखास्त कर दीजिये यह प्रतिबोधात्मक कार्यवाही थी । उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर हम बहस मांगते हैं । आप सुनेंगे नहीं लेकिन इसमें मौका दीजिये मालवीय जी को कहने का और मुख्य मंत्री जी को कहने का । सब को इजाजत हो । क्योंकि लोगों के मन उद्वेलित हैं । यह काम गलत हुआ या ठीक हुआ, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और उसके लिए मौका मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बिल्कुल पृथक् है । एक प्रश्न तो था कामरोको का और दूसरा राजमंगल जी ने उपस्थित किया है जिसमें मैं बहुत कुछ औचित्य देखता हूं । श्री राज मंगल पांडेय को यह अधिकार है जानने का कि श्री मालवीय जी को क्यों बरखास्त किया गया । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन को जरूर अवगत कराना चाहिए । लेकिन जब आपने यह प्रश्न मेरे सामने रखा काम रोको तो मैंने सब पहलुओं पर विचार करने के बाद मैंने पहले भी अपने निर्णय में कहा था कि मैं मालवीय जी को हटाने के औचित्य और अनौचित्य के बारे कोई अपना निर्णय नहीं दे रहा हू और न मुझको ऐसा निर्णय देने का अधिकार है । मैंने अपना निर्णय यहां सीमित रखा कि इस प्रश्न को जो गवर्नर का कृत्य है उस पर कोई काम रोको प्रस्ताव करके विवाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और मैंने यह भी संकेत किया कि यदि आप समझते हैं कि मुख्य मंत्री ने अपने विवेक का दुरुपयोग किया और उन्होंने उनको गलत बरखास्त किया तो किसी भी मौलिक प्रस्ताव के द्वारा आप उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर के उसका प्रश्न कर सकते हैं । जहां तक मालवीय जी का सवाल है, उन्होंने अभी तक नियमानुसार कोई वक्तव्य मुझे नहीं दिया है । जब कोई मंत्री त्याग-पत्र देता है तो वह वक्तव्य दे सकता है और उसको अपने वक्तव्य की एक प्रति मुझे तथा एक माननीय नेता सदन को देनी पड़ती है । मालवीय जी ने त्याग-पत्र नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मालवीय जी स्वयं मुझसे मिले भी थे, यदि वे वक्तव्य देंगे तो मैं अवश्य उस पर अपना निर्णय दूंगा । मालवीय जी जब मुझसे मिले थे तो मैंने उनसे कहा भी था कि अगर वे कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा ।

श्री उदित नरायन जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया, मैं अभी उसको रोक तो नहीं रहा हूं, न रोका ही है । माननीय राजमंगल जी ने जो प्रश्न रखा है वह ऐसा प्रश्न है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं और यह उचित होगा कि वे आज या कल जब वे उचित समझें, इस पर अपना वक्तव्य दे दें : मालवीय जी ने भी कहा था कि कल आपको अपना वक्तव्य दूंगा । जब उसकी प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी को दी जायगी तो उस पर विचार अवश्य होगा । माननीय राजमंगल जी ने जो कहा है

[श्री अध्यक्ष]

मैं उसे ठीक समझता हूं कि सदन को यह तो मालूम होना ही चाहिये कि मालवीय जी को क्यों बरखास्त किया गया। पहले एक बार जब माननीय गुप्ता जी ने श्री अलगू राय शास्त्री को त्याग-पत्र देने को कहा और उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया तो उन्होंने उनके डिस्मिसल के लिये सिफारिश की थी। अन्त में श्री अलगू राय शास्त्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। माननीय सुचेता जी के कार्यकाल में एक बार ऐसा हो चुका है। जब एक मंत्री से त्याग-पत्र मांगा उसने दे दिया। तो ऐसा पहले भी हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री को मंत्री की नियुक्ति करने का जब अधिकार है तो उन्हें हटाने का भी अधिकार है। वे उसके लिये उनको सलाह दे सकते हैं। अब इसको तूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय राजमंगल पांडेय जी ने जो प्रश्न रखा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वे सदन को अवश्य इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्रीमन् एक संवैधानिक प्रश्न है। अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत जो माननीय राज्यपाल महोदय को अधिकार है उसका प्रयोग करते हुये उन्होंने एक निर्णय लिया है। तो क्या उस पर यहां माननीय मुख्य मंत्री जी कोई वक्तव्य दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। यहां राज्यपाल के निर्णय को कोई चुनौती देने का प्रश्न नहीं है। राज्यपाल महोदय ने तो स्वयं लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री की मंत्रणा से। तो इस पर कोई बहस नहीं होगी, मगर माननीय मुख्य मंत्री जी स्थिति तो बतला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं निर्णय पिछले दिला सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य पर कोई बहस नहीं हो सकती। न कोई विवाद का विषय ही बनाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री उदित नरायन--

एक मेरा संवैधानिक प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यवस्था आप श्रीमन् दे चुके हैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा कर्तव्य है कि जो आपकी व्यवस्था हो जाये उसे शिरोधार्य कर लें। तो क्या आपकी व्यवस्था के विरुद्ध कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था पर नहीं उठाया जा सकता । जो मैंने निर्णय दिया है, उस पर कोई विवाद का प्रश्न नहीं है ।

श्री उदित नरायन—

मैं संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसकी चर्चा हो रही है जो श्रीमन् ने कहा और जो उन्होंने कहा । हमारी नियमावली में तो न मालूम कितने ऐसे विषय हैं, लेकिन यदि हम किसी औचित्य का प्रश्न उठाते हैं, किसी माननीय मंत्री ने जो कार्य किया है, वह उचित है कि नहीं, तो इसके ऊपर चर्चा तभी हो सकती है, जब वह प्रश्न उठेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि मैं काम रोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने कहा कि कोई भी मौलिक प्रस्ताव जो लाया जाय, उस पर विचार हो सकता है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान...

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

माननीय मालवीय जी के मंत्रिमंडल से हटने के बाद...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिये ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

माननीय मालवीय जी के हटने के बाद एक राजनैतिक विवाद खड़ा हो गया है राजनैतिक समस्या का राजनैतिक स्तर पर हल निकालने का प्रयास भी हो रहा है । मालवीय जी अनेक लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा अर्जित कर चुके हैं, आज उनके जिन्दाबाद के नारे भी लगे । मैं यह चाहूंगा कि आपने जब एक अपेक्षा की है कि मुख्य मंत्री जी ने मालवीय जी को किन कारणों से हटाया और मालवीय जी अपना स्पष्टीकरण इस सदन में रखें । मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी से और मालवीय जी से अपने कक्ष में बात कर लें ।

(व्यवधान)

और कक्ष में बात करने के बाद यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हो जायं कि दोनों पक्षों की बात इस सदन में रखना आवश्यक है न भी कहे, कल तक राजनैतिक घटना क्रम क्या मोड़ ले लेगा, इसको कोई नहीं जानता है । इसलिए मान्यवर, जब वक्तव्य की तिथि निर्धारित करने लगें, तो माननीय मुख्य मंत्री जी और मालवीय जी से बात कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६०—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७—ऋण और अग्रिम—विद्युत्

*विद्युत मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६०—विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२५,०१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९७—ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५१,९१,६७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, इस मांग को प्रस्तुत करते समय मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, जैसा हम सभी जानते है कि मानव मात्र की इच्छा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने की है और इसी नाते यह प्रदेश दिनों दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है । मान्यवर, यह दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश जो अपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जो स्वाधीनता के पूर्व कई क्षेत्रों में अग्रणीय था वह पिछले कुशासन में कई क्षेत्रों में जहां पिछड़ा वहां विद्युत् के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ गया । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष १९७५-७६ में हमारे प्रदेश के प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग केवल ७२·७ यूनिट रहा जब कि अखिल भारतीय स्तर पर १०८·२९ यूनिट का था । पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र क्रमशः २३४·३, १८९ तथा १७४·१ यूनिट तक पहुंच चुका था ।

प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित हिमालय की नदियों में जल राशि की प्रचुरता एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिये पर्याप्त उपलब्धता रहने के बावजूद भी यह प्रदेश आज इस स्थिति में है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों के रहते हुये भी मांग और पूर्ति के अन्तर को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आज भी लगभग ६०० मेगावाट बिजली मांग और पूर्ति के बीच में एक गैप बनकर खड़ी है जिसे पूरा करने के लिये हमें सभी क्षेत्रों में २४ घंटे बिजली देना कठिन हो जाता है । यही कारण है कि इस अदूरदर्शिता के कारण इस गैप को कैसे पूरा किया जाय ? इस पर गम्भीरता से विचार न करने के कारण पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर खर्च लगाया था और बिजली की कटौतियां विभिन्न क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर पारिवारिक उपभोग के क्षेत्र में भी लगी थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय १ बजकर ५० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, यह सब कहते हुये हर्ष का अनुभव हो रहा है कि नई सरकार के आते ही पिछले जून से स्थिति में परिवर्तन हुआ । पिछले मई के महीने में जो जनसाधारण की तड़पड़ाहट थी, जो अनिश्चितता थी उसे पूरी तरह तो दूर नहीं किया जा सका लेकिन काफी हद तक दूर कर चुके हैं । इसलिए मान्यवर, दिनों दिन इस पर हम एक वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हुये अग्रसर होने लगे जिसका परिणाम हुआ कि बिजली की कटौतियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगीं । और आज स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि जहां पिछले दिनों में सीमेन्ट और फर्टीलाइजर जैसी उपयोगी वस्तुओं पर भी, उनके उत्पादन में कटौती थी, जहां रोलिंग मिल आदि पूरी तरह से बन्द थी, आज वह कटौतियां हमने समाप्त कर दी हैं । मान्यवर, पिछले दिनों में सभी उद्योगों में एक तिहाई कटौती थी चाहे कारखाने हों उन्हें भी सप्ताह में केवल चार दिन चलाना पड़ता था बाकी दिनों बिजली नहीं मिलती थी, वे सारी कटौतियां आज समाप्त हैं । जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है इस बात की पूरी कोशिश की गयी कि गांवों में भी बिजली घन्टों को बढ़ा कर दें यद्यपि हमारी ट्रान्समिशन की दिक्कतों, हमारे ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न उपकरणों से उत्पन्न दिक्कतों के कारण हमें औसतन सात घन्टों की कटौती करनी पड़ी है गांवों के लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहें हैं कि गांवों के लिए १७-१८ घन्टे बिजली मिले ताकि किसान अपने खेतों में अनाज पैदा कर सकें ।

श्रीमन्, इतना ही नहीं जब इस मांग को हम इस सदन के समक्ष रख रहे हैं तो एक सूचना और देना मुझे उचित प्रतीत होता है कि हम यह मान कर चल रहें ह कि प्रदेश से गरीबी मिटाने में बिजली का एक ऐतिहासिक योगदान होगा और बिना इसके व्यापक विस्तार के हमने जो प्रदेश की गरीबी से जूझने का संकल्प किया है उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पायेंगे । इसलिए श्रीमन् पिछले शासन ने जो कटौतियां लागू कर दी थी उन सब को समाप्त करके औद्योगिक जगत में हमने एक नया उत्साह पैदा किया...

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

बहुत बड़ा ... !

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सारी कटौतियों के हट जाने से एक वातावरण बना, एक विश्वास बना विद्युत् आपूर्ति होने के कारण । उसी के साथ-साथ मान्यवर पिछली सरकार ने जो कटौती लगा रखी थी एक हौर्स पावर के कनेक्शन के देने पर भी, आर्डिनेन्स जारी कर के, उसे हटा करके औद्योगिक जगत में एक नई क्रान्ति पैदा कर दी । उसका परिणाम यह हुआ, आप देखेंगे, कि पिछली सरकार ने जो अनुबन्ध किये थे हमने उन अनुबन्धो को पूरा करने की कोशिश की । जिन लोगों के अनुबन्ध बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन लगाने के लिए थे लेकिन आर्डिनेन्स के नाते उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, कटौती हो गई थी, हमने उन्हें भी बिजली दी, पुराने अनुबन्धित कनेक्शनों को भी बिजली दी । हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे किसान, हमारे छोटे उद्यमी अगर काम करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी केन क्रेशर लगाना चाहेगा, जो भी चावल की मिल लगाना चाहेगा उसे सामान्य तौर पर

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही--]

पचास हार्सपावर हम कनेक्शन दे देंगे । मुझे खुशी है यह सूचित करते हुये कि लगभग चार सौ इस तरह के नये कनेक्शन हम ने दिये । कोल्ड स्टोरेज के साथ भी यही न्याय किया । पिछली सरकार ने दुर्भाग्यवश किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखा था जैसे आलू रखने के लिए कितने कोल्ड स्टोरेज बनाये जायें ? आलू का क्षेत्रफल बढ़ा तो कितना आलू पैदा होगा और आलू पैदा हो गया तो साल भर प्रदेश का उपभोक्ता उसे इस्तेमाल कर सके उसके रखने के लिए, उसके रख-रखाव के लिए कितने कोल्ड स्टोरेज बनाये जायें, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । नतीजा यह हुआ कि घोर संकट खड़ा हो गया । हमने यह घोषणा की कि कोल्ड स्टोरेज के नाम पर जितने कनेक्शन्स मांगे जायं कनेक्शन दिये जांय । मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में काफी काम हमने किया ।

इसके अतिरिक्त जनता पार्टी लघु उद्योगों को हिमायती है और ग्रामीण उद्योग के सपने को हम साकार करना चाहते हैं जिसे स्वर्गीय बापू ने देश के स्वाधीनता संग्राम के दिनों में देखा था । इसलिए हमने जापानी पेटर्न पर कुटीर उद्योगों को खड़ा होने हेतु यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि गांवों में जो लोग लघु उद्योग लगाना चाहें उनको बिजली दी जाय। पूरे सूबे में ७ डिवीजन्स हैं । इन ७ डिवीजन्स के अन्दर हमने एक-एक मेगावाट बिजली आवंटित कर दी और वहां के जिलाधीश तथा एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को यह अधिकार दे दिया कि फर्स्ट कमफर्स्ट सर्व के आधार पर वह बिजली कनेक्शनस दे दें । इस वितरण के अन्तर्गत ६० मेगावाट बिजली आवंटित की गयी और ८ हजार छोटे उद्योग थोड़े ही दिनों में लोगों ने खुशी से लगाये और इस प्रकार हमको लघु उद्योगों का जाल बिछाने में भी सफलता मिली है । उपभोक्ताओं को सुविधा मिले इस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं ताकि बिजली कर्मचारी सेवा भाव से बिजली देने में जुट जायं । इसके लिये दो विशेष चीजें की गयीं । एक तो यह किया गया कि आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मंत्री जी का भाषण बिना कोरम के हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, कोरम के लिये घंटी बजाई जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां हमने इस बात की कोशिश की कि विभिन्न कटौतियों को समाप्त करें वहां हमने इस बात की भी कोशिश की कि उत्पादन को बढ़ावें । क्योंकि एक दिन में तो हम कोई नई मशीन नहीं खड़ी कर सकते थे और इसी का परिणाम है कि १९७५-७६ और १९७६-७७ की अवधियों में जहां कम बिजली पैदा की जा रही थी उसके मुकाबले में इस महीने में हम ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं ९०० से १००० और ११०० से १७०० मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १३८३
६०-विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७--ऋण और अग्रिम-विद्युत्

श्रीमन्, इस बार हमने कुछ और उपलब्धियां करने की कोशिश की और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि, मुझे यह कहने में गौरव है कि तकनीकी ज्ञान में हमारे उत्तर प्रदेश के इंजीनियर आगे हैं और हिन्दुस्तान में पहली बार ४०० के० वी० लाइन इस उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के अभियन्ताओं ने सुल्तानपुर और गोरखपुर में खड़ी कर दी है। मुझे यह कहने में भी गर्व है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सारे देश से आगे बढ़कर एक तापीय भठ्ठी चालू करने का श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश को है। इस वर्ष यह उपलब्धि हुई और इसलिये यह साल अधिक महत्व का है। आगे चलकर हम २०० मेगावाट की भठ्ठियां बढ़ायेंगे। वैज्ञानिकों के चरण जैसे-जैसे बढ़ते जायेंगे दो सौ की जगह पांच सौ पर पहुंच जायेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार यह दोनों काम हुए हैं।

श्रीमन्, आज भी गांवों में इस बात की कोशिश हो रही है कि जो लाइन लोसेज हैं, जो आपके जमाने में २६ प्रतिशत से अधिक थे कम हो रहे हैं हमारी कोशिश है कि वह घटते चले जांय। मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे लाइन लोस घट जायेगा हम अपनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी को प्राप्त कर लोगों की सेवा कर सकेंगे। मुझे श्रीमन्, इस सिलसिले में यह भी कहना है कि पिछली गर्मियों में मई में जो बिजली की बेचैनी थी उसमें कमी हुई है। रिहंद को जो बिना विचारे रिन्न दिया गया था इलेक्शन के लिए या हिन्डालको को बिजली देने के लिए और गांव का आदमी तरसता रह गया। उसमें भी सुधार हुआ है। रिहंन्द के जलाशय में यद्यपि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष पानी कम भरा। परन्तु १-४-१९७७ को जहां जलस्तर ८०९.३ फीट था वह १-४-१९७८ को ८४३ फीट पर हमने उपलब्ध किया है। इसका परिणाम यह होगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा ४४२० लाख यूनिट बिजली अधिक हमने सुरक्षित कर रखी है। गर्मियों के दिनों में उद्योगों और किसानों के हित में तथा घरेलू उपयोग के हित में हम उसका उपयोग करेंगे।

श्रीमन्, अपनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी में भी पिछली सरकार ने २६१५ मेगावाट हमें दिया था। हमने आज उसे काफी आगे बढ़ा लिया है। २६१५ से बढ़कर २९८२ मेगावाट वह हो जायेगा। इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि हरदुवागंज के छठे चरण में ६० मेगावाट का जो तापीय विद्युत् घर था वह नष्ट हो गया उस ६० मेगावाट के साथ-साथ वह दूसरे ६० मेगावाट को भी ध्वस्त कर चला गया। पनकी के अन्दर जिस मशीन के लिए रशा से सामान आना था जो पिछली सरकार के दिनों से बन्द पड़ी है उसकी क्षमता का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं बहुत सारे पुर्जे ओब्सलीट हालत में पड़े हैं जिनके बारे में पहले विचार होना चाहिये था कि कैसे उनकी मरम्मत करें। कैसे उनका उपयोग करें। नतीजा यह हो रहा है कि हम उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिष्ठापित क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना में तेजी से बढ़ें जिससे हम डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसको हम पूरा कर सकें।

माध्यवर, इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ नये कदम उठाये। पिछली सरकार ने तीस वर्षों का समय निकाल दिया और उन्होंने २६ सौ मेगावाट कुल अधिष्ठापित क्षमता लगाया। इस सरकार ने कोशिश किया है कि अधिष्ठा-

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही--]

पित क्षमता बढ़ाएं । इसके लिए नयी परियोजनाएं भी भारत सरकार को भेजी हैं । मुझे खुशी है कि २२-२३ सौ की नयी परियोजनाओं में कुछ परियोजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । जो ६ सौ का गैप है, यह आगे बढ़ता चला जायगा और १९८३-८४ में १५ सौ तक हो जायगा । लेकिन इन सब परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें लम्बे धन की जरूरत है । विद्युत् की भारी कमी का सामना करने के लिए विभिन्न तापीय और जल विद्युत् योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी हैं । २×११० मेगावाट परिच्छा (जिला झांसी) परियोजना (अनुमानित लागत ८३.७२ करोड़) की स्वीकृति प्राप्त कर उस पर तीव्र गति से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । ३×२१० मेगावाट आनपारा (जिला मिर्जापुर) (२३६.५६ करोड़), ४×११० मेगावाट टांडा (जिला फैजाबाद) (१५२.५६ करोड़ रु०) तापीय परियोजना तथा ४×६५.५ मेगावाट विष्णु प्रभाग (१०४.५ करोड़) एवं ५२×३ मेगावाट मनेरी भाली चरण-२ (८२.६३ करोड़) जल विद्युत् परियोजना की भी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और यह परियोजनाएं योजना आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं तथा इन पर अग्रिम कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त २×२१० मेगावाट ऊंचाहार (जिला रायबरेली) (१५१.७० करोड़),, २×२१० मेगावाट दोहरी घाट (जिला आजमगढ़) (१५६.२१ करोड़) तथा २×५०० मेगावाट आनपारा विस्तार (३५६.३६ करोड़) तापीय परियोजनाएं और ३×४७.५ मेगावाट पाला मनेरी जल विद्युत् परियोजना (१.५० करोड़) के परियोजना प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तथा ३×२७ मेगावाट खारा सुरंग (६०.७४ करोड़) एवं ४×५० मेगावाट किसाऊ बांध (४५९.८४ करोड़) जल विद्युत् परियोजनाओं के प्राक्कलन शीघ्र ही भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं । जल विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण में अधिक समय लगने के कारण तापीय परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है । मान्यवर, कुल मिलाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन्सटाल्ट केपासिटी वहां पहुंच जाये जहां पर डिमान्ड और सप्लाई का अन्तर न रह जाये ।

विद्युत् परिषद् के आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वर्ष १९७७-७८ की २५८.८८ करोड़ रुपये की विद्युत् विकास परियोजनाओं के समक्ष लगभग २२८ करोड़ रुपये का व्यय हो पाया है । इसमें विभिन्न कारणों पर सिंचाई विभाग द्वारा जल विद्युत् परियोजनाओं पर लगभग २१ करोड़ रुपये के व्यय में कमी भी सम्मिलित है ।

वर्ष ७८-७९ के लिए विद्युत् परिषद् तथा प्रदेशीय सरकार द्वारा ३५४.२३ करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गयी थी, जिसके समक्ष केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल ने ३००.१४ करोड़ रुपये की संस्तुति की है परन्तु अभी तक योजना आयोग ने १७६.८९ करोड़ रुपये की ही वार्षिक योजना की अनुमति प्रदान की है जिसमें से १३९.०५ करोड़ रुपये प्रजनन कार्यों पर ९७.५४ करोड़ रुपये परीक्षण तथा वितरण कार्यों पर ३७.८० करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर तथा १.५ करोड़ रुपये सर्वेक्षण एवं अनुसंधान आदि कार्यों पर व्यय करने का प्रस्ताव है । योजना आयोग से उपरोक्त २४.२५ करोड़ की कटौती को मध्यकालीन पुनरीक्षण के समय आवंटित कराने के प्रयास जारी हैं ।

१९७८-७९ के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान १३८५ संख्या ६०-विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७-ऋण और अग्रिम विद्युत्

गत वर्ष म ४०० कि० वा० की ३७५ कि० मी० लम्बी ओबरा-सुल्तानपुर लखनऊ लाइन चालू की गयी है । वर्ष १९७७-७८ तथा उसके पिछले दो वर्षों में चालू की गयी परेषण लाइनों की मात्रा निम्न प्रकार है--

	१९७५-७६	१९७६-७७	१९७७-७८
४०० किलोवाट	..	..	३७५
२२० किलोवाट	८७	२२९	१४२
१३२ कि० वा०	५०३	३०९	२००
६६,३७.५ तथा ३३ के० वी०	५०७	४२१	५८४

ओबरा-कानपुर-नरोरा-मुरादनगर, मुरादनगर-ऋषिकेश, लखनऊ-मुरादाबाद तथा मुरादाबाद-ऋषिकेश ४०० कि० वा० लाइनों तथा अन्य २२० के० वी० एवं १३२ के० वी० लाइनों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है ताकि विद्युत् उत्पादन कार्यक्रम से सुदृढ़ पारेषण एवं वितरण प्रणाली संगठित की जा सके । वर्ष ७८-७९ के लिए २२० कि० वा० की २७० कि० मी०, १३२ कि० वा० की १५२७ कि० मी० तथा ६६,३७.५,३३ कि० वा० की १८६४ कि० मी० पारेक्षण लाइनें चालू करने का प्रस्ताव है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय कोरम नहीं हैं ।

अधिष्ठाता—

कोरम पूरा नहीं है । पूरा होने दीजिए ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, इस बात की बराबर कोशिश की जा रही है कि बिजली को केवल बड़े-बड़े लोगों के उपभोग की सामग्री न बने बड़े-बड़े लोगों तक ही सीमित न कर दी जाय । कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़े ह और इसका प्रमाण है कि पिछले वर्ष विद्युली सरकार के समय १९७६-७७ में ११८५३ ट्यूबवेल्स लगे थे परन्तु इस वर्ष हमने २३,६६२ कुएं एनरजाइज किए हैं और अगर हमरे पास सामग्री रही होती तो और करते । पिछली सरकार ने जाते जाते कहां देना कहां नहीं देना, कुछ ध्यान नहीं रखा, सामान खरीदने का भी कोई तौर तरीका नहीं रखा । हमने सामान मंगाकर ११,०२४ कुएं बनवाये और अगर सामान रहता तो ५ हजार और कुएं मार्च तक पूरे करा देते । अगले वर्ष ४००,०० ट्यूबवेल्स को और बिजली देंगे और उनको बिजली देकर इतना एडीशनल लोड हम अपने ऊपर डालते चले जायेंगे ।

[रवीन्द्र किशोर शाही—]

इसी तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण में वर्ष १९७६-७७ में १२३६ ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ। तभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि रूरल एलेक्ट्रीफिकेशन में उत्तर प्रदेश ब्लैकलिस्ट हो गया है। अखबारों में यह समाचार भी छपा था। बड़ी चिन्ता हुई और जब जानकारी की तो यह पता चला कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर लिया गया पैसा दूसरे ढंग से उपयोग किया गया। नतीजा यह हुआ कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन न हमें पैसा देने से एक तरह से इन्कार कर दिया लेकिन बाद में उनके जमाने का १० करोड़ रुपया जब डाइवर्ट किया तो इससे गांवों में बिजली लगी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से पैसा मिलने का वचन आज हमारे साथ है। यह उसी का परिणाम है कि इसमें इतना विलम्ब हुआ। हम अक्तूबर तक क्लियरेन्स नहीं करा पाये थे कि पैसा मिलेगा या नहीं। तब भी पिछले चुनाव तक १२३६ गांवों का विद्युतीकरण हुआ। इस वर्ष १६५८ गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा। हरिजन बस्तियों में भी काम हुआ। जहां पर पिछले वर्ष १३०४ हरिजन बस्तियों में बिजली लगी वहां इस वर्ष १७८४ हरिजन बस्तियों तक हम पहुंच पाये। श्रीमन्, जहां हम ये सारे काम कर रहे हैं, वहां हमारे सामने आर्थिक जटिलता के कई प्रश्न उभर कर खड़े हो जाते हैं। इस साल जो कर्मचारियों को रिलीफ दिया, विद्युत् परिषद् के जो हमारे मंत्री थे। १९७४ में वेज कमेटी वेतन के सम्बन्ध में बैठाकर जिनको इस सम्बन्ध में समाधान करना चाहिये था कर्मचारियों का और इमरजेंसी के जमाने में जिनकी जबान के ऊपर ताले लगा दिए गए, जब जनता पार्टी की हुकूमत में वे अपनी मांगों को लेकर आये तो हमने उन पर ताला लगाने की कोशिश नहीं की। लोकतंत्र में उनके अधिकारों का स्वागत किया। इतनी बात जरूर थी कि जब उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को अंधेरे में डाल देंगे तो सरकार ने बड़े ही विश्वास के साथ इसी सदन में इस बात की घोषणा की कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश को अंधेरे में नहीं जाने दिया जायगा। हमने उनकी बहुत सी मांगों को माना और उसके परिणामस्वरूप एक वित्तीय भार हमारे ऊपर पड़ा। तो एक तरफ तो यह वित्तीय भार बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ सामान, कोयला, लोहा, ट्रांसफारमर में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल ये सब मंहगे होते जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी दो पैसा प्रति यूनिट एक नया जनरेशन टैक्स बढ़ाकर हमको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि इस प्रदेश की विद्युत् की प्रगति के लिए, उस समस्या का जल्दी से समाधान करने के लिए हम इस बात को सोच रहे हैं कि जहां हम दूकानदारों और किसानों को बिजली के रेट बढ़ाने की संभावना की जांच करें, क्योंकि सामान महंगा होता जा रहा है परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, लेकिन जहां हम यह कह रहे हैं वहा किसानों की कई तरह की छूट दे रहे हैं। इस वर्ष हमारी योजना है कि बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों में जहां अब तक ३०० मीटर की छूट मिलती थी किसानों को, अगर ट्यूबवेल लगायेंगे तो उन्हें ४०० मीटर की हम छूट देंगे। ४०० मीटर की छूट देने से १ करोड़ रुपये से ज्यादा विद्युत् परिषद् पर अतिरिक्त भार बन कर आ जायगा। इस तरह से श्रीमन्, मीटर चार्ज जो या २ रुपया प्रति माह का किराया बढ़ा हुआ था उसको घटा रहे हैं और थ्री वे का जो ४ रुपया था उसको घटा कर ३ रुपया कर रहे हैं और दो रुपये से उसका डेढ़ रुपया कर रहे हैं। यह कुल मिला करके १ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार और हम पर पड़ेगा।

किसानों को पयूज बदलने के लिए दो रुपया देना पड़ता था, इसको भी हम घटा रहे हैं और अब उसके लिए एक रुपया देना पड़ेगा।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त बहुत सारी रुकावटें जो किसानों पर थीं ट्यूबवेल लगाने की दूरी की और सबसे बड़ी रुकावट थी कि अगर वह एक बार डिफाल्टर हो गया, अगर उसने परमानेंट डिस्कनेक्शन उसने करा लिया तो उसके नीयर रिलेशंस को भी कनेक्शन नहीं दे पाते थे। अगर चकबन्दी में एक भाई से दूसरे भाई का बिलगाव हो गया और एक ने परमानेंट डिस्कनेक्शन की दरख्वास्त दे दी और ट्यूबवेल दूसरे के हिस्से में आ गया तो उसको दूसरा कनेक्शन नहीं दिया जा सकता था। लेकिन इस बजट के माध्यम से हम घोषणा कर रहे हैं कि इस रोक को हटा रहे हैं और वह परमानेंट डिस्कनेशन की रोक हट जायगी और उसे फिर ट्यूबवेल पर बिजली मिलेगी।

मान्यवर, हमारी एक और मुसीबत है। समाज के द्वारा और पत्रिकारिता के द्वारा हमारा जब मूल्यांकन किया जाता है तो सही तथ्य प्रकाशित नहीं किये जाते। विद्युत् परिषद् के साथ पूरा न्याय नहीं किया जाता। विद्युत् परिषद् के बकायों की एक समस्या है। हमारी मजबूरियां हैं। हमारे पास कलेक्टर जैसी पावर्स वसूली के लिए नहीं हैं। न हम किसी की जमीन ही कुर्क करा सकते हैं, न ही कोई अन्य कार्यवाही कर सकते हैं, केवल कनेक्शन ही काट सकते हैं, किन्तु वह भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी व्यावसायिक मनोवृत्ति है। आज जितने बड़े-बड़े कन्ज्यूमर्स हैं वे समय से बिजली का बिल अदा नहीं करते, अगर उद्योगपतियों की बिजली काट दें तो लेबर प्राब्लम खड़ी हो जाती हैं। फिर वे लोग भुगतान में अड़चने डालने के लिए मामले को आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं और कभी-कभी स्टे भी ले आते हैं। इस कारण हमारी वसूली रुक जाती है। इस प्रदेश के अन्दर तमाम अधिष्ठान ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। उनके पास या तो कोई सम्पत्ति है ही नहीं, है तो वह पहले से ही प्लेज की हुई है।

हमारे किसानों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी फसल खड़ी हुई है, पानी की तुरन्त जरूरत है, बिजली का बिल अगर नहीं दिया तो हम ऐसा नहीं कर पाते कि उनकी बिजली काट दें। उनकी परेशानियों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। सोशियल जस्टिस के नाम पर, किसानों की बरबादी के नाम पर, हम कट नहीं कर पाते। हमने आदेश दे दिये कि ३१ अप्रैल तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। कारपोरेशन की भी यही हालत है। बहुत सारी नगर महा-पालिकायें हैं जिन्होंने हमारे बिलों का लाखों रुपयों का भुगतान नहीं किया है। अब अगर हम आगरा या लखनऊ जैसे शहर की बिजली काट दें तो शहर का जन जीवन दूभर हो जायगा। कारपोरेशन्स पर भी अच्छी खासी भारी रकम पड़ी हुई है। इन सब कारणों से हमारी बकाये की वसूली जो पड़ी हैं नहीं हो रही हैं। यह बकाये की रकम बढ़ती चली जाती हैं।

इसके अलावा हमने अब ३०० मीटर की जगह ४०० मीटर की छूट भी दे रखी है। करोड़ों रुपये खर्च करके हम गांव में विद्युतीकरण करने के लिए लाइन ले जाते हैं, पर आर्थिक स्थिति किसानों की अच्छी न होने के कारण वे कनेक्शन के लिए एप्लायी नहीं करते जिसके कारण हमारा करोड़ों रुपया जो खर्च होता है बेकार चला जाता है। लोगों की जेबें इजाजत ही नहीं देती कि वे कनेक्शन्स के लिए एप्लायी कर सकें। इस कारण भी बोर्ड को घाटा होता है। बकाये की कहानी मैंने अभी आपको सुनायी है,। लेकिन श्रीमन्, इन सब बातों के रहते हुए मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विद्युत् परिषद् में व्यापक सुधार की गुंजाइश नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें व्यापक सुधार लाये जायं। कहां से ऋण हमें सुलभ हो जायगा, बाजार से कितना प्राप्त होगा, सरकार कितना

[रवीन्द्र किशोर शाही—]

वेगी ? सरकार भी अपने इन्टरेस्ट को चार्ज करती है और आप श्रीमन् ताज्जुब करेंगे कि अब तक १०० करोड़ से ज्यादा १३२ करोड़ रुपये केवल इन्ट्रेस्ट दे चुके हैं ।

तो यह हमारी स्थिति है और दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने की मांग, सुविधाओं की मांग और जैसे-जैसे काम का विस्तार होता जा रहा है प्रोजेक्ट बढ़ाते जा रहे हैं, आदमियों की हमें जरूरत पड़ती जा रही है । लेकिन इसमें हम सुधार कर रहे हैं । हम इस प्रयास में हैं कि विद्युत बोर्ड का ढांचा हम किस तरह से बदल दें कि इसमें और सुधार आ सके । अब तक बोर्ड में अस्थिरता की स्थिति की चर्चा की जा रही थी, श्रीमन्, बात भी कुछ सही ही रही है । पिछले अक्तूबर से अब तक चौथे चेयरमैन परिषद् में बैठे हैं और यह ठीक है कि हर आदमी अंतिम छोर तक अपनी जिम्मेदारी तो निभाता ही है । लेकिन उस बीच में आने और जाने में काम तो सफर करता ही है । श्रीमन्, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिजली के माने में सारे देश की जनता जिस आशा में है, गांव के अंधेरे में थ्रेशर चल रहे हैं, पहले से ज्यादा बिजली जा रही है । इसको और ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा लोगों को सुलभ बनाने की सरकार पूरी-पूरी कोशिश करेगी। मान्यवर, मैं आभारी हूं अपने सभी माननीय सदस्यों का जो इधर या उधर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी और जो मैंने मांग प्रस्तुत किया है, उसे वे इस परिप्रेक्ष्य में पास करेंगे, जो सुझाव के रूप में वह मुझे देंगे, अन्त में इस बजट को पास करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६०—विद्युत विकास, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६७—ऋण और अग्रिम-विद्युत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं माननीय शाही जी से यह कहना चाहता हूं कि जरा अपने विभाग से पता लगावें कि आज हम लोगों को यह पुस्तिका मिली है, हमने पिछले सप्ताह सोमवार तक पता लगाया, अपने घर पर, सचिव के यहां, स्पीकर के यहां मुझे बताया गया कि कोई ऐसी पुस्तिका नहीं बंटी है । शनिवार को श्रीमन् मैं यहां ३ बजे तक था, ३ बजे तक ऐसी कोई पुस्तिका नहीं बंटी थी । मैं शनिवार की शाम को नहीं था, हो सकता है रात में बटी हो कम से कम यह परिपाटी बनाइये ही जैसे और विभागों ने बनाया है कि यह प्रतिवेदन कम से कम ३ दिन पहले अनुदानों के पहले हम लोगों को मिल जाना चाहिए । माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तारपूर्वक, मधुर भाषा में बहुत धीरे-धीरे, बहुत चुटकी लेते हुये, बहुत सफाई से और आगे की सफाई देते हुये और पिछली बुराइयों को निकालते हुये कहते चले गये । मुझे बड़ी खुशी होती यदि पिछले साल जो उन्होंने कहा था कि २४ घंटे हम बिजली देंगे, पूरा होता तो मैं समझ रहा था कि नये मंत्री होकर आये हैं इसलिये जोश में वक्तव्य दे दिया और वही हुआ कि साल भर हो गया २४ घंटे तो दूर अब १७ घंटे की बात कहते हैं । तो मैं तो कहता

हूं कि १७ घंटे भी नहीं, कहीं-कहीं तो ७ घंटे और कहीं ३ घंटे भी बिजली नहीं मिलती है । माननीय देव बहादुर सिंह जी होते तो बताते कि किच्छा में २-३ घंटे बिजली नहीं है ।

मान्यवर, मैं अपने इलाके की बात बताता हूं कि वाराणसी में औराई में जहां मंत्री जी कहते हैं कि १७ घंटे बिजली है तो वहां ७-८ घंटे बिजली है । जहां ७-८ घंटे है वहां २-३ घंटे बिजली है । ७ घंटे और २-३ घंटे बिजली जहां है वह दो तीन बार में है एक बार में नहीं । आपके विभाग वाले टेस्ट के कैसे मरीज हो गये हैं कि जहां कहीं बिजली नहीं है वहां कहते हैं कि टेस्ट हो रहा है । एक घंटे बिजली आयी फिर फेल हो गयी । आप तो क्रांति लेकर आये थे तो जो आपने क्रांति का वायदा किया है तो उसको दिखायें । आपने कहा कि २० वर्ष २५ वर्ष में इस प्रदेश में बिजली में क्या हुआ । इस पुस्तिका को देखें तो जो आपने कहा उसका इसमें विपरीत है । आपने तमाम बातें जो जबानी कहीं और जो किताब में है वह विपरीत है । वर्ष १९५१ में उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली थी इसके आंकड़े १९७६ की सांख्यिकीय जो पुस्तिका है उसमें आप देखें तो केवल १८० मेगावाट बिजली थी । जो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ७ यूनिट्स आती थी लेकिन आज २५ वर्ष म कम हुआ । मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं । लेकिन उत्पादन करीब ६५ और खर्च करीब ५८ जो कि पिछले साल का आंकड़ा है । यह देश के आंकड़े से कम है लेकिन आप कह रहे थे कि १३०० उत्पादन १९७६ में और उसको १७०० आज कर दिया । २६०० इंस्टाल्ड कैपिसिटी थी और अब २९१५ किया । मैंने प्रश्न पूछा इनसे कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में क्या होगा ? तो कह नहीं पाये और कहा कि उतना होगा जितनी जरूरत होगी । यह कहते-कहते तो वह गवर्नमेन्ट चली गयी ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सही बात यह है कि यह योजना आयोग जिस हिसाब से पहले था वही हिसाब से आज है। पहले था कि योजना पहले आयोग बनाता है और उसके पश्चात् बिजली की योजना बनती है । होना यह चाहिए कि बिजली पहले बननी चाहिए और उसके अनुसार अगर योजना बनाई जाय तो सचमुच में एक बहुत बड़ी योजना हो सकती है । एक सर्वे कमेटी के बारे में हमने अखबार में पढ़ा, प्लान कमेटी या पावर कमेटी थी । उसने रिपोर्ट दी और योजना आयोग ने कह दिया नहीं काट दीजिए इतनी बिजली की जरूरत नहीं होगी । क्या हम मान सकते हैं कि बिजली की जरूरत नहीं होगी, मैं तो कहना चाहता हूं कि कम से कम ६००० मेगावाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी आप छठी पंच वर्षीय योजना तक नहीं कायम करते और कम से कम ३००० मेगावाट ५०० मेगावाट का उसका उत्पादन नहीं होता तो आप की पूर्ति नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती । क्यों, उसका मुख्य कारण है । जितनी इन्सटाल्ड कैपेसिटी होती है अगर पचास फीसदी आप पैदा करते हैं पिछले दफे अपने भाषण में आपने वायदा किया था और कहा था कि ७० फीसदी तक करेंगे लेकिन ७० फीसदी आप किये नहीं । ५० फीसदी ५५ फीसदी हो गयी है । ७० फीसदी हो जाय तो सचमुच बहुत अच्छा होता । फिर उसमें है क्या ?

एक सबसे बहुत बड़ी बात यह है श्रीमन्, कि जितनी इनके पास क्षमता है उसका आधा ही पैदा करते हैं । करीब-करीब आधा पैदा किया तो एक चौथाई नुकसान हो जाता है, ट्रान्समिशन लाइन चोरी या अन्य पचास तरह की बातें । तो होता क्या है । श्रीमन्, होता यह है कि उत्पादन का करीब-करीब ४० फीसदी काम

[श्री श्यामधर मिश्र---]

में आता है सात फीसदी काम में नहीं आता है। उत्पादन का नहीं क्षमता का। मुझे माफ करें, ऐसी सूरत में यह जो कहा जा रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना तक ६००० की क्षमता लायेंगे में तो यह कहूंगा कि योजना आयोग आपकी बात नहीं मानेगा। आपका ही रंग उस सरकार का भी है जो केन्द्र में है। आप जाइये और लड़िये। यही भाषा जो आप बोल रहे हैं बजट की पहले भी थी सन् ७१ में ७२ में और ७६ तक जब कांग्रेस की सरकार जाती थी और लड़ती थी केन्द्र से बिजली की कटौती के बारे में श्रीमन् उस समय हम पार्लियामेन्ट में थे। १०० मेगावाट कटौती केन्द्र कर देता था इस समय भी घटा देगा।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

हम तो १४०० ले चुके हैं।

श्री श्याम धर मिश्र---

बहुत धन्यवाद। कार्य रूप में दिखाइये। चौबीस घंटे जब आप बिजली देंगे तब हम मानेंगे। किच्छा के बारे में मैंने आपसे कहा। सात घंटे के बजाय तीन घंटे, दो घंटे बिजली मिल रही है। आप इसका जवाब दे दीजियेगा अलग से।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत बुनियादी खराबी है। वह आपकी हमारी नहीं है। योजना की खराबी है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

आपकी परम्परा है...

श्री श्यामधर मिश्र---

अगर आप लायक हैं तो उस परम्परा को ठीक करिये। यदि आप नालायक हैं तो आप उसे ठीक नहीं कर सकेंगे। आप लायक बनिये, ठीक करिये। मैं सुझाव देना चाहता हूं। आप ऐसे लायक बनिये कि हम पांच वर्ष की बिजली की योजना बनाते थे आप सचमुच दस वर्ष की बनायें। आपने टिहरी डैम और अन्य डैमों का नाम लिया, कहीं योजना पांच वर्ष, कहीं दो वर्ष कहीं चार वर्ष की है। इस प्रकार योजनायें फलीभूत होने वाली नहीं हैं। दस वर्ष की आपको बनानी चाहिए। इससे काम चलने वाला नहीं है कि हर बात में कांग्रेस को कोसें कि आपके ही जमाने में हुआ। जनता भूल गई उस जमाने को। वह जमाना गया। भूत अब आप पर सवार है। वह छोड़ दीजिये। वह भूत गया। भूत या तो आप को खायेगा या आपको उठायेगा। उसके लिए तैयार हो जाइये तो ठीक है वरना आप को खा जायेगा। अपनी अयोग्यता केवल कर्मचारियों पर मत लगायें। आप परस्पर विरोधी बातें करते हैं। विद्युत् मंत्री ने क्या कहा और केन्द्रीय सरकार ने क्या बयान दिया इसे आप देखें। अखबार में मैंने पढ़ा कि पिछले साल जनता पार्टी की सरकार के जमाने में एक साल के अन्दर बिजली की कटौती के कारण ३ हजार करोड़ रुपये का उत्पादन कम हुआ और यहां बयान आया कि उद्योग में ३० फीसदी कमी हो गयी। मैं लायब्रेरी से कटिंग लाकर दिखा सकता हूं। (व्यवधान) मंत्री के पास पी० आर० ओ० है वह क्या हल चलाने के लिये हैं--उससे आप जवाब दिलवायें।

पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि ८ गैस टरबाइन खरीदेंगे और साल भर में समस्या का निदान कर दिया जायगा । ८ गैस टरबाइन खरीदे या नहीं, मुझे मालूम नहीं । ८ गैस टरबाइन ५०० मेगावाट हुए । मंत्री जी बतलायेंगे कि ८ में कितने खरीदे । मंत्री जी व्यंगात्मक बहुत बोलते हैं । उन्होंने कहा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ७२ करोड़ रुपये का बकाया था लेकिन इस किताब में यह लिखा है कि ७२ करोड़ का वह घाटा बढ़कर ९२ करोड़ हो गया यानी २० करोड़ और बढ़ गया । उनको यह योग्यता है । बिजली के उद्योग में इस प्रदेश में १७०० करोड़ रुपये लगे हुए हैं । यह सबसे बड़ा सरकारी उद्योग है लेकिन काफी घाटा इसमें होता है । यह घाटा क्यों होता है इस पर आपको सोचना होगा । इस पुस्तिका से यह ज्ञात हुआ कि ५० फीसदी बिजली उद्योगों को मिलती है, १५ फीसदी खेतों के लिये मिलती है और बाकी डोमस्टिक यूज के लिये । यह एक साल पहले की तुलना है । आप २५ फीसदी बतला दें तो फिर घाटा क्यों है ? मैं समझता हूं कि उनका शासन टाप हैवी है । ७४ में ५० सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे बोर्ड के पास और ७७ में १५० सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो गये ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

आपके रखे हुए थे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप योग्य हैं तो निकाल दीजिये । जो पुस्तिका बटी है उसमें विवरण है कि ८०, ९० अथवा १०० रुपये वेतन है चपरासियों का । आज जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर कैसे यह सब हो पाता है ? बड़े-बड़े लोगों की तनख्वाह हजार, डेढ़ हजार तथा दो हजार तक है । दूसरे, अखबार में बिजली की चोरी के बारे में भी निकला कि उत्तर प्रदेश में ५ लाख रुपये की चोरी बिजली में रोज होती है । हो सकता है यह गलत हो और फिर सामान आप रद्दी खरीद रहे हैं । जैसा आपने कहा आप बेच क्या रहे हैं ? आपके जमाने का कोई वैल्युयेशन है ? आपने क्या किया ? सामान के रख-रखाव के लिये आपने क्या किया है ? सामान कहां रखा है, कितने का सामान रखा है ? उसकी बैलेंसशीट होनी चाहिए । कितने सामान का रख-रखाव हो रहा है ? श्रीमन्, मैं मद्रास, तामिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में गया और मैंने वहां के बिजली विभागों के बारे में पूछताछ की । मालूम हुआ कि वहां भी घाटा हो रहा है । मेरा ख्याल है वहां भी घाटा होता रहेगा । इस सम्बन्ध में मैं बाद में सुझाव दूंगा ।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में घाटा क्यों हो रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी आज्ञायें नीचे के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं । आपने कहा है कि ४-४ और ५ ५ पंपिंग सेट को लेकर गांवों के विद्युतीकरण के लिये क्लस्टर प्रोग्राम बनाओ । मैं तो समझता हूं कि उस क्लस्टर की दुहाई हो रही है । आज होता क्या है ? नीचे के जो लोग इंस्पेक्टर आदि हैं वे एस्टीमेट बना देते हैं और दूसरे ढंग से पैसा पा जाते हैं । इसी तरह से ट्रांसफारमर के बारे में है । आप जरा सोचें, मैं नुक्ता चीनी नहीं कर रहा हूं । आप एक लायक डाक्टर के रूप में यहां पर आये हैं, इसकी परीक्षा कीजिये । नालायकों की लाइन में खड़े न हों ।

एक सदस्य--

माननीय मिश्रा जी बार-बार नालायक लफ्ज का प्रयोग कर रहे हैं, क्या यह मुनासिब है ?

श्री अधिष्ठाता---

पार्लियामेन्टरी है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या इतना फ्लक्चुयेशन हो रहा है । हम घरों में देखते हैं कि रोज बल्ब फ्यूज हो रहे हैं । आपने इंजीनियरों की तारीफ कर दी । वोल्टेज क्यों इतना फ्लक्चुयेट करता है, इसे आपने कभी सोचा ?

(सदन से बिजली चली जाने पर) यही देख लीजिये । यह क्या हो रहा है ? आज तो कम से कम ठीक रखिये ।

बाबा राम आधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

इसीलिये कह रहा हूं, झूठ मत बोलो ।

श्री श्यामधर मिश्र---

आपके फेवर में बोल रहा हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, आधे घंटे के लिये स्थगित कर दीजिये । बिजली का बजट है और बिजली गायब है । यह है आपकी कार्यकुशलता ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, जो लोग हड़ताल के लिये उकसाते हैं उसी का परिणाम होता है ।

श्री अधिष्ठाता---

चूंकि बिजली नहीं आ रही है । इस लिए १५ मिनट के लिए हाउस स्थगित किया जाता है ।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई । मार्शल ने सदन को सूचित किया कि सदन की कार्यवाही श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार १० मिनट और स्थगित रहेगी । मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही ५ मिनट और स्थगित रहेगी । ३ बजकर ३९ मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, श्री जगन्नाथ प्रसाद के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, आपने स्वयं देख लिया कि जो मैं कह रहा था वह सही निकला । अभी सदन में ३ बार बिजली गायब हुई, गांव में तो बराबर गायब रहती है, ऐसी ही गायब रहती है । जब गांवों में पानी देने का समय होता है, लगवाई का समय होता है तो इसी प्रकार से बिजली गायब रहती है । मैं तो मांग करता हूं कि न केवल ऐसे अवसरों पर बल्कि जब भी किसानों को जरूरत हो उन्हें बिजली दी जाय ।

मैं तो चाहूंगा कि टेस्ट्स और फ्यूज बन्द किए जायं । आज तो यह सरकार ही फ्यूज हो गयी है । मैं तो यह कहूंगा कि उन अधिकारियों को चाहे वे पहली सरकार द्वारा नियुक्त हों या अब की सरकार द्वारा नियुक्त किए गये हों, उनको

निलंबित किया जाय । इनको आप अवश्य हटाइये । एक ओर तो यह है कि इसमें गलत आदमी घुसे हुए हैं और दूसरी ओर हमें यह पता चला कि एडहॉक एप्वाण्ट-मेन्ट्स हो रहे हैं, प्रोमोशन्स हो रहे हैं । अगर आप उनके कैरेक्टर रोल्स देखें जिनके एक साल में एपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं तो पायेंगे कि ठीक नहीं हैं । अगर उनका प्रोमोशन कर दिया गया तो कैसे काम चलेगा, सुना है कि एक भी शिव शाही को ओवरा में नियुक्त कर दिया गया । मैं तो चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए ।

यह भी सुना गया है कि फिरोजाबाद में, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जहां पर लाखों रुपयों का औद्योगिक उत्पादन होता है, ३ तारीख से वहां पर बिजली नहीं है, कटी हुयी है । यह कैसे हो सकता है कि हर जगह मंत्री जी देखगे, या अध्यक्ष जी देखेंगे । मैं तो चाहूंगा कि जो परिपाटी इस सरकार में चल रही है उसमें तबदीली होनी चाहिए । जो इस समय इन्जीनियर्स का स्ट्रक्चर है, उससे यह पता नहीं चलता है कि वह जिला स्तर पर है, रीजन के स्तर पर है, प्रदेश के स्तर पर है या पावर हाउस के स्तर पर है, ब्लाक स्तर पर है या तहसील के स्तर पर है । बिलिंग कोई करता है, कलेक्शन कोई करता है । हमारी तहसील ज्ञानपुर में बिलिंग तो वाराणसी से होती है लेकिन रुपये का कलेक्शन किसी और के द्वारा होता है । अगर किसी न १०० रुपये जमा किए हैं तो वे जमा नहीं हो पाते हैं । फिर उसकी कुर्की होती है वारन्ट निकलते हैं । तो क्या कारण है कि जितने भी विभाग में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स हैं उनकी तहसील लेविल पर या जिला स्तर पर न रखा जाय ? आप केन्द्र से, जैसा कि तामिलनाडू ने किया है, पंजाब सरकार ने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है, मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था, कि वहां पर जनरेशन कम दिखाई देता है । लेकिन खपत ज्यादा है । तो इसमें स्नैक क्या है ? बात यह है कि केन्द्र से बिजली उत्पादित बिजली उनको मिलती है । हमारे यहां केन्द्र उत्पादित बिजली बहुत कम मिलती है । अब समय आ गया है । उत्तर प्रदेश में पहले भी मन्त्री जी जो आये वे केन्द्र से लड़ें, लेकिन कामयाब नहीं हुआ । आज के मन्त्री लड़ें कि हम से कम अपने रुपये से १ हजार मेगावाट का गोरखपुर में या मुगलसराय में या नरौरा में एक पावर स्टेशन बनाइये । और जगह बनाएं हमें एतराज नहीं, लेकिन यहां भी बनायें ।

साथ ही साथ घाटे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि घाटा करोड़ों में है । इस बात से मैं सहमत हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले विभाग में घाटा होना बड़ा स्वाभाविक है । लेकिन उतना नहीं जितना कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की वजह से करना पड़ता है । उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग तो सफेद हाथी हो गया है । इसकी वजह से बहुत ज्यादा घाटा है इसमें दुरुस्ती कीजिये और जरूरत है कि इस बात की मांग की जाय और सरकार चूंकि एक रंग की सरकार है जितना केन्द्र का रुपया आवे वह इन्टेरेस्ट फ्री, ब्याज रहित आवे । क्योंकि २०-२५ करोड़ सालाना घाटा कब तक दिया जा सकता है ।

माननीय मन्त्री जी ने बड़े हलके-फुलके ढंग से कहा कि जब से यह वे आये हैं बड़ी तेजी लाये हैं । मुझे खुशी होती कि लाये होते । इसी किताब में तीन साल के आंकड़े हैं, जरा देख लिया जाय । इस साल २७० करोड़, पिछले साल २३० करोड़ और उसके पहले २१० करोड़ । करीब-करीब मोटे तौर से १५ फीसदी बढ़ोत्री हुई बजट में । उसके पहले भी १५, १५, १५ फीसदी हुई । आप कौन सा तीर मार दिये ? आप २३०-२७० कर दीजिये, मैं बधाई तब दूंगा जब बिजली आप २ हजार जनरेशन कर दें । किसानों को और उद्योगपतियों

[श्री श्यामधर मिश्र---]

को, जिस समय कि माननीय मन्त्री जी को बड़ी जिम्मेदारियां हैं पूरे प्रदेश को, यह हलके ढंग से कहना कि उद्योगपतियों को बिजली नहीं देंगे, लेकिन इनकी सरकार ने, इनके पहले की सरकार ने बड़ों को, छोटों को बिजली दिया है। बिजली इनको देनी होगी और छोटे उद्योगों को देना है। हाई कोर्ट में जो यह हार गये तो यह बतावें कि इतने करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ उसको कौन देगा जो इनकी वजह से हुआ ? कौन उसका जिम्मेदार होगा। सरकार देगी, मन्त्री जी देंगे ? और जो उत्पादन में कमी होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा विद्युत् विभाग का जो अनुदान रखा गया है उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम विद्युत् मन्त्री जी को बधाई दे दूं कि जबसे इन्होंने कार्यभार संभाला है तबसे उत्तर प्रदेश जो गांवों का प्रदेश है और जहां पर धरती के बेटे किसान रहते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान गया है। जो भी समस्यायें पैदा की जा रही है, चाहे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, चाहे विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा अथवा नौकरशाही के कुछ लोगों के द्वारा उनको पार करते हुए हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने जो कुछ १० महीने में उपलब्धि की है वह किसी से छिपी नहीं है। आज हम गांवों में देखते हैं कि किसान कितना खुशहाल है। आज किसानों की फसल खेतों और खलिहानों में लहलहा रही है। उसे इस समय बिजली की अत्यन्त जरूरत है ताकि उसकी फसल को पानी मिल सके।

हमें मालूम है कि बिड़ला और बड़े पूंजीपतियों ने विद्युत् मन्त्री को बदनाम करने के लिए क्या-क्या षड़यन्त्र किये, विधान परिषद् के चुनाव में हमने देखा कि उनको हराने के लिये क्या-क्या किया। वह एक शर्मनाक घटना है। लेकिन मैं विद्युत् मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिड़ला जैसे लोगों को कतई नहीं चलने दी। उनकी सारी बिजली काट कर गांव में दी और किसानों का हित किया। मैं चाहता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार से कहें कि हम उनके साथ हैं अगर हिंडालको का अधिग्रहण कर लिया जाय। बिड़ला जैसे लोगों ने तो किसानों का शोषण किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है। विधान परिषद् के चुनाव में उनको करारा थप्पड़ लगा है। वह किसी से छिपा नहीं है। मैं माननीय श्यामधर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे पूंजीपतियों का कतई समर्थन न करें। वर्तमान सरकार ने गरीब किसानों के लिए जो कुछ किया है वह सराहनीय है। थोड़े ही दिनों में जनता पार्टी की सरकार ने ४०० ऐसे कनेक्शन्स दिये हैं जिनसे आधुनिक उद्योग लगे हैं। कोल्ड स्टोरेज वालों को जो बिजली मिल रही है उससे भी हमारे किसानों को लाभ हुआ है और आज आलू सड़ने से बच सका है। आज किसान इससे भी बहुत खुशहाल है।

आज गांव वालों को जो बिजली मिल रही है उससे पूंजीपतियों के कलेजों पर सांप लोट रहा है। उन्होंने तो हमेशा ही गरीबों का शोषण किया है और करेंगे। ३२ पूंजीपति जो हैं वे हमेशा ही किसानों का शोषण करते रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार के जमाने में उनकी एक नहीं चल सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा माननीय विद्युत् मन्त्री जी से यह भी निवेदन है कि पूंजीपतियों को उत्पादन रेट से कम दर पर बिजली न दी जाये और जिस रेट पर किसानों को दी जाती है उसी रेट पर इन पूंजीपतियों को भी दी जाय। इस ओर भी हमारी सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है।

यहां पर आज तीन बार विधान सभा में बिजली गयी यह भी कहा गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। कभी हड़ताल के नाम पर, कभी और किसी तरह से, ये लोग प्रदेश की जनता को धोखा देना चाहते हैं। मैं हड़तालो लोगों से कहना चाहता हूं कि आज किसानों को बिजली की बहुत जरुरत है, नौकरशाही के लोग किसानों के साथ साथ इस समय विश्वासघात न करें। ऐसे विश्वासघातो लोगों के विरुद्ध माननीय मन्त्री जी कड़ा से कड़ा कदम उठायें, प्रदेश की जनता उनके साथ है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अन्त में मैं माननीय विद्युत् मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आगे इसी प्रकार से हम अपने विद्युत् विभाग को आगे बढ़ायें।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व इसके कि मैं विद्युत् अनुदान के सम्बन्ध में अपनी वार्ता प्रारम्भ करूं, मैं विशेषत: माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने जब से विद्युत् विभाग सम्भाला है निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि चिन्तन की एक नई धारा की ओर मोड़ दिया है। हमारे प्रदेश में उत्पादन से लेकर जो चिन्तन था, वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों तक सीमित था, इसी लिए ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। सदैव बड़े-बड़े केन्द्र, बड़े-बड़े उद्योगों और बड़े-बड़े नगरों को बिजली गिरवी रख दी गयी, लेकिन जब से इस विभाग को हमारे माननीय मन्त्री जी ने सम्भाला है गांवों की ओर उनका ध्यान गया है। जब हम विद्युत् की कल्पना करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के जीवन में विद्युत् कितनी उपयोगी हो गया है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। हमारी अर्थ व्यवस्था में विद्युत् का किस तरह से वितरण होना चाहिए, इस तरफ हमने ध्यान दिया। बड़े-बड़े उद्योगपति न केवल बिजली का उत्पादन करते रहे, बल्कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, उनके ऊपर जो बिजली का बकाया था, उसको भी उन्होंने नहीं दिया। हमने १९५९ में एक समझौता किया और वह ऐसा समझौता था कि जिसकी कि विश्व में दूसरी मिसाल भी नहीं मिल सकती। हम हिंडालको को पौने दो पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे ऐसा समझौता किया गया था। इस समझौते के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हमारे प्रदेश को उठाना पड़ा। अगर मारकेट रेट पर बिजली दी जाती, तो हमे जो १०० करोड़ का घाटा हो चुका है, तो हमारा प्रदेश उससे बच सकता था और यह राशि हमारे प्रदेश के विकास में लग सकती थी। हमने इसी सम्बन्ध में शिव राज सिंह समिति जो बैठी थी, उसकी रिपोर्ट को भी देखी। उसमें यह दिखाया गया कि वह इग्रीमेन्ट सही नहीं है। इस पर पुनः विचार करना चाहिए। बिड़ला को हिंडालको के नाम पर जो बिजली दी गई है, उस एग्रीमेन्ट को निरस्त कर दिया जाय। इसी लिए प्रथम बार साहस करके हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने निरस्त करने का प्रयास किया। हाई कोर्ट का फसला दूसरा हुआ था, जिसका जिक्र माननीय श्याम धर मिश्र ने किया था। उसकी अपील भी हो रही है। हमारी खेती की तरक्की के लिए बिजली की आवश्यकता है। हिंडालको को अल्मोनियम पैदा करने के लिए बिजली चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--]

ख्रुश्चैव जब भारत में आये थे, तो उस समय नेहरू जी से विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि स्टील पैदा करने से क्या फायदा जब देश में खाने को अन्न नहीं पैदा होता, तब सोचा था कि बड़े उद्योगों के द्वारा देश का कल्याण किया जा सकता है। लेकिन जब रूस में परिवर्तन हुआ, खेती पर विशेष ध्यान दिया, चीन से आन्दोलन चला, कृषि के विकास के लिए तब नेहरू जी की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। एक वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया कि देश में अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिए, मूल आधार व्यवस्था है कि कृषि में सुधार किया जाय। जो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों तक बिजली सीमित रह सकती थी, उसको आम जनता को सुलभ बनाने के लिए हमारे मन्त्री जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है।

जहां तक रिहन्द का प्रश्न उठता है तो न केवल हिन्डालको को ही बिजली दी गयी बल्कि पिछले इतिहास को देखें तो उस समय तत्कालीन सरकार ने जो विद्युत कनेक्शन उसको दिया उसके बाद एक इस प्रकार का षड़यन्त्र रचा गया कि आस पास के जनपद में गरीबों को बिजली न मिल सकी। यही नहीं जो बिजली का अनुदान होता था उससे हिन्डालको को बिजली मिलती थी लेकिन आस पास के लोगों को बिजली नहीं दी गयी। उसका प्रभाव हुआ कि जहां से पूरे प्रदेश को बिजली सप्लाई होती है वहीं के आस पास के लोगों की जो दशा पहले थी वही दशा आज भी बनी हुई है और वहां के बेरोजगार लोगों को इम्पलायमेन्ट तक नहीं मिला है। मान्यवर, विद्युत मन्त्री ने जो साहसिक कदम उठाया उसकी भूरि-भूरि प्रसंशा होनी चाहिए। इसी तरह प्रदेश के अन्य भागों में बड़े बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया। कानपुर में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बिजली दी गयी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में कुछ ऐसे स्थान जरूर हैं जहां पर लघु उद्योगों के नाम पर बिजली दी गयी लेकिन उसमें जो सामान बना वह कोई सस्ते दामों पर हमको नहीं मिला। जो आम जनता के लिये चीजें बनीं उनसे भी यह किया कि किसी तरह से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाय।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय जब श्री श्याम धर मिश्र जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि इस अनुदान को वह भी सराहना कर रहे हैं। विरोध पक्ष में बैठे हैं इसलिए विरोध की भूमिका तो निभा रहे थे यह बात दूसरी थी। लेकिन विद्युत की दिशा में जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है यदि कटौती का प्रश्न न होता तो उनकी मंशा थी कि इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है हमारी जनता सरकार ने विद्युत मन्त्री ने सबसे पहले ग्रामों पर ध्यान दिया है। हम विचार करें तो पायेंगे कि हमारे देश और प्रदेश का कल्याण तभी हो सकता है जबकि ग्रामों का और उद्योगों का विकास करें। हमारे देश की परिस्थितियां दूसरे देशों से भिन्न हैं। पश्चिमी देशों को देखें तो वहां पूंजी की बहुतायत है और व्यक्ति की कमी है। हमारे देश में पूंजी की कमी है, और व्यक्तियों की बहुतायत है। इसलिये यहां ऐसी योजनायें बनायी जायं जिससे लोगों को काम अधिक मिल सके और यह भी होगा जबकि लघु उद्योगों का विकास होगा। इस लिये मन्त्री जी ने कृषि के लिये और घरों में जो दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग है, जो कि किसी से छिपा नहीं है, उसके लिय सोचा है कि हर हाथ को काम मिले और कृषि को पानी मिले तभी हमारे देश और प्रदेश का विकास होगा।

मान्यवर, मिश्र जी ने जो आंकड़े दिये थे - जिसके आधार पर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के द्वारा इस विभाग के साथ जो अन्याय किया गया, यदि उसको साफ शब्दों में कहूं तो जो कुकर्म किया गया उससे इस प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, इस लिये जो सहायता मिलनी चाहिये थी उससे हम वंचित रह गये। हम सराहना करते हैं इस बात के लिए कि विद्युत् मन्त्री जी ने इस दिशा में प्रयास किया और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन को ऋण देने के लिए सहायता देने के लिए, स्वीकार कर लिया है। इस कारपोरेशन से हम सहायता मिलेगी और प्रदेश का विकास निश्चित रूप से हो सकेगा।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है, गांवों में शिक्षा अच्छी न होने के कारण बिजली के महत्व को न जानने के कारण गांव का आदमी कनेक्शन नहीं ले पाता। जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे कि बिजली की चोरी बहुतायत में होती है, जहां पर कनेक्शन नहीं ले पाते वहां पर तार को काट करके बिजली की चोरी और तार की चोरी की घटना और भी ज्यादा होती है। मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी को फर्रुखाबाद....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

वहां एक ब्लाक में एक व्यक्ति के द्वारा बिजली के तारों को गला कर के एल्यूमिनियम का सामान बनान का काम किया जाता है। सब जानते हैं कि पुराने कांग्रेसी ह, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। उन्होंने फर्रुखाबाद में जनता पार्टी के एक व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट लिखाई, उसको मारा पीटा। लाखों रुपये के तारों को चोरी से गला-गला कर उन्होंने एल्यूमिनियम का सामान बनाया है। इस प्रकार चोरी से बिजली का कार्य हो रहा है। उसका निश्चित प्रभाव बिजली के विकास में रुकावट पैदा करना और गांवों म विद्युतीकरण को धीमा करना है। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं और वह यह कि जिस ब्लाक में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा जाता है उसे ब्लाक के ब्लाक डवलपमेन्ट आफिसर को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि अगर लक्ष्य पूर्ति नहीं करेंगे तो उनका प्रमोशन रोक दिया जायगा और उन के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करिये।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखते हुये हमारे प्रदेश में विद्युत् की क्षमता बढ़ी है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि १९७७ तक कुल विद्युत् की क्षमता २६१५ मेगावाट थी इस में से १०६८ बिजली विद्युत् द्वारा १५३२ कोयले द्वारा और शेष डिजेल द्वारा पैदा की गयी। वर्ष १९७७-७८ में हमने ३७० मेगावाट का जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा किया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

[श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---]

कई नई परियोजनायें आरम्भ की गईं जैसे मनेरी आदि । मान्यवर जहां तक बिजली की कटौती का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठ जाइये । आप को बहुत समय हो गया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

जिस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा का पिछला चुनाव हुआ था उस समय आज जो कांग्रेस विपक्ष में हैं उस के पास एक ही मुद्दा था और कहते थे कि जब से जनता सरकार आई है बिजली की दुर्दशा हो गई है अगर आप देखें तो बिजली की स्थिति में पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है । जो ३३ के० वी० की लाइन थी उन पर कटौती समाप्त कर दी गई है, जो रोलिंग मिलें थीं, जिनमें लोहा और सरिया बनती थीं उन को बिजली दे कर उन का उत्पादन बढ़ाया गया है । कृषि पर. . . .

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें । आप बैठे नहीं तो इस के बाद कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

१९७६-७७ में केवल ११८५३ मिगावाट. . . .

श्री अधिष्ठाता---

राजेन्द्र कुमार जी आप शुरू करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

[* * *]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, विद्युत मन्त्री द्वारा प्रस्तावित मांगों के [समर्थन में तथा श्यामधर मिश्र द्वारा प्रस्तुत कटौती की मांगों के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं । आंकड़े अपने स्थान पर हैं लेकिन आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और कोई तर्क भी उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक वर्ष के शासन काल में बिजली विभाग ने चाहे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन और एचीवमेंट न किया हो लेकिन यह बात सही है कि हम ने परिस्थिति के बदलने में भारी सफलता प्राप्त की है । पिछली बार चुनाव के समय जब हम गांवों में जाते थे काश्तकार हम लोगों के पीछे पड़ जाता था बिजली की क्या स्थिति है लेकिन आज गांवों में जा कर देखा जाय तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा । लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग बिजली विभाग की आलोचना कर रहे हैं उसके पीछे एक

नोट---[**] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेष कारण है और वह यह कि जनता पार्टी ने जिन नीतियों को अपनाकर एक परिवर्तनशील दिशा को अपनाया है उसको यथार्थवादी लोग पसन्द नहीं करते। कुछ पूंजीपति और शासन के वरिष्ठ कर्मचारी जिनको आपातकालीन स्थिति के दौरान असीम अधिकार प्राप्त हो गये थे आज उनके उन अधिकारों पर चोट पहुंच रही है और इस कारण वे हमारी नीतियों का तथा पार्टी का विरोध करते हैं और आपातकालीन स्थिति में राजनीतिक कारणों से जिनके स्वार्थ निहित हो गये थे वह भी आलोचना में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उस आलोचना को इस संदर्भ में देखा जाय जो हमारी नीति है गांव की ओर बढ़ने की उसके कारण कुछ लोगों के हितों पर टकराव हो रहा है। यह बात स्वाभाविक है कि सरकार सीमित साधनों के कारण बिजली की क्षमता बहुत नहीं बढ़ा सकी लेकिन जो प्रतिबन्ध लगे हुए थे बिजली के कनेक्शन्स पर उनको तोड़ कर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज को उसने प्राथमिकता दी है। इस बात की घोषणा कर दी गई कि गांव में लघु उद्योग के लिए जो आदमी बिजली लेना चाहेगा उसको बिजली मिलेगी। इससे स्वाभाविक है कि इससे किसी दूसरे के हित का टकराव होगा लेकिन शासन को अपनी नीति के अनुसार निर्णय लेना ही पड़ा।

श्यामधर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको बड़े लोगों को बिजली देनी पड़ेगी। यह बात निर्विवाद है कि बड़ों, छोटों तथा काश्तकारों सबको हम बिजली देना चाहते हैं। लेकिन जब हितों का टकराव होगा तो यह स्वाभाविक है तो उस समय गरीब आदमी व किसान की कीमत पर पूंजीपति को प्राथमिकता देने का सवाल बिलकुल पैदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बड़ा उद्योग पनपे लेकिन छोटे उद्योग को अगर वह खाने को तैयार हो जायगा तो हमको कोई सीमा खींचनी होगी। हिंडालको की बड़ी चर्चा की गयी। मैं एक बात कहूंगा कि जो एग्रिमेंट पुरानी सरकार ने किया उसको इस सरकार ने माना और यह बात भी साफ है जिस समय हिंडालको को बिजली देने का फैसला किया गया था तो उस समय उनके पास अपना कोई जनरेशन प्लांट नहीं था। लेकिन यह जब बात मालूम हुई कि १२५ मेगावाट बिजली वे खुद बनाते हैं। हमारी वर्तमान सरकार ने जो उत्पादन घटा हुआ दिखाया है तो उसका कारण यह है कि चोर बाजारी से माल भेजने की सुविधा समाप्त हो गई है। उद्योगपति अपने माल को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। होना यह चाहिए कि इन उद्योगपतियों की एकाउन्ट्स बुक देखी जाय, आमदनी के स्रोत देखे जायं और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिये। अगर कोई बड़े लोगों के हितों का पक्ष लेते हैं तो यह उसी प्रकार होगा जैसे कि किसान और मजदूर का शोषण करना होता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बोर्ड के जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं वे हड़ताल के रास्ते पर चले गये हैं। उनकी मांगे न्यायसंगत हो, सकती हैं। हम भी चाहते हैं कि उनकी वेतन वृद्धि हो, टाइम बाउन्ड वेतन मिले उनके प्रति हमारी भी सद्भावना है लेकिन शासन की भी अपनी वित्तीय सीमायें हैं, आवश्यकतायें हैं। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य में बताया था कि इसमें दो करोड़ अनावर्तक और ३० लाख आवर्तक खर्चा होगा। वे अपनी मांगों को रखें, परिश्रम करें लेकिन अगर किसी आदमी को अपनी बात रखने का इस तरह से मौका दिया जाये कि हिंसा के आधार पर वह प्रदेश के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करके ऐसा करे तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। मंत्री जी से आशा है कि वे भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

आपातकालीन स्थिति के दौरान जो असीमित अधिकार उन्हें प्राप्त हो रहे थे, वे समाप्त हो गये हैं। उसी की झुंझलाहट उन्हें लगी हुई है। मान्यवर, सीतापुर के पावर हाउस में हम लोग देखने के लिये गये, पता लगा कि बरेली से जितनी बिजली आनी चाहिए वह आ रही है लेकिन वहां पर रेस्टोरिंग हो रही थी। बिजली कहां चली गई? प्रदेश के जनजीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, काश्तकार और गरीब वर्ग के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वे जानते हैं कि किसान का अनाज खलिहानों में पड़ा है और उसी के साथ जनता में असन्तोष पैदा करना चाहते थे। मंत्री जी से आशा है कि उनकी यह बात पूरी नहीं होने दी जायेगी और कड़ाई के साथ वर्ताव उनके साथ किया जायेगा। बड़े कर्मचारी जो हैं, उनका वेतन भी काफी है, साधन भी बहुत हैं। यह बात अपनी जगह पर सही है कि उनको वेतन मिले लेकिन इस तरह का असन्तोष जनजीवन में नहीं फैलने दिया जायेगा।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के जो छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके बच्चे भी सुखी हों, उन्हें प्रमोशन के चांसेज मिलें, इस बात का विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। एक उदाहरण माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं जो सहायक सुपरवाइजरों के सम्बन्ध में हैं। मान्यवर, जिस समय डिप्लोमा होल्डरों की कमी थी उस समय भारी तादाद में इन सहायक सुपरवाइजरों को लगा दिया गया था। वे वही काम करते थे जो कि जूनियर इंजीनियर करते हैं। वही वेतन उनको मिलता है लेकिन उनको वह कैडर न दिये जाने के कारण उनको प्रमोशन के चांसेज नहीं दिये गये। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी स्थिति पर विचार करके जूनियर इंजीनियर के कैडर में उनको रखा जाय। उन्हें अब वही वेतन मिलता है, वही काम वे करते हैं तो फिर यह पक्षपात ठीक नहीं है। उनका एक शिष्टमंडल मन्त्री जी को और बोर्ड के चेयरमैन को मिला भी था और उन्हें आश्वासन भी दिया गया था लेकिन उस दृष्टि से उसमें प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये मैं पुनः माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। आज जो शासन की योजनायें हैं, नीतियां हैं, सिद्धान्त हैं, महत्वाकांक्षी कल्पनायें हैं वे बोर्ड की अव्यवस्था के साथ धूमिल हो जाती है। यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिये हो रहा है कि उन लोगों को जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक क्षमता है उसके ऊपर सही नियन्त्रण नहीं हो रहा है। उत्पादन जहां बढ़ना चाहिये वह घटा है, छीजन बढ़ी है। इसलिए बोर्ड को ठीक ढंग से नियन्त्रित करने की जरूरत है। माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर भ्रष्टाचार है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारी सरकार ने उसके लिए वहां पर एक सेल बनाया है। जो शिकायतें मन्त्री जी को भेजी जाती हैं वह उस सेल को भेजी जाती हैं। वह सेल जो है वह बोर्ड के मातहत है। तो स्पष्ट है कि सही जांच होकर नहीं आयेगी। इसलिए मेरा मन्त्री जी से सुझाव है कि उस जांच सेल को अलग करके शासन के अधीन किया जाय जो कि निष्पक्ष जांच कर सके और शासन को रिपोर्ट दे सके। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं बिजली विभाग की मांगों पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिजली की आवश्यकता मानव जीवन में कितनी बढ़ गई है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसकी भूख आज बढ़ती ही जा रही है लेकिन उसका उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। यह अगर नहीं हुआ तो निश्चित है कि गांवों में जो परेशानी है वह अपनी जगह पर बनी रहेगी।

बिजली के दो रूप हैं मान्यवर, एक तो पूंजीपतियों को सस्ती बिजली दी जाती है और किसानों को महंगे रेट पर दी जाती है। इसमें जमीन आसमान का फर्क किया गया है। समझ में नहीं आता है कि सरकार की वर्तमान नीति के आधार पर जो इन्होंने गांव की ओर चलने का नारा दिया है उसकी पूर्ति कैसे होती है। गरीब, दुखी और अभावग्रस्त मानव की सेवा करनी है और उसका विकास करना है तो उन्हें सस्ते साधन देने होंगे ताकि जो उनकी क्षमता हो उसको वह प्राप्ति कर सके। देखा यह गया है मान्यवर, कि जो ग्राहक हैं जो २५ रुपये प्रक्रिया के रूप में पूरा कर देते हैं उनके साथ जूनियर इंजीनियर सौदे करते हैं। जैसा बाजार में कोई सौदा होता है उसी तरह से वह भी करते हैं। समय पर पैमाइश नहीं करते हैं। इससे इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है कि शायद मन्त्री जी को इसका ज्ञान न हो लेकिन उस विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको ज्ञान है। नीचे के स्तर से इसकी शिकायतें आती रहती हैं। २५ रुपये जमा करने के बाद कितने ही दिनों तक उसे विभाग की परिक्रमा करनी पड़ती है जिससे ग्राहक आजिज आ जाता है। आपकी जो नियमावली है उससे जहां उसको ५ हार्स पावर की आवश्यकता है वहां वह १५ हार्स पावर लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वह कहता भी है कि मेरी इतने हार्स पावर कम कर दी जाय तो भी वह नहीं होती। लामुलाहजा वह बिजली कनेक्शन कटाने के लिए मजबूर हो जाता है। बिजली के लोड को कम नहीं करा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी मन्त्री जी बदले उसे अपनी बिजली का लोड घटाने की सुविधा दी जाय।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में जो कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं उसके सामने समस्या खड़ी है जब वह नलकूपों की हालत देखता है कि बिजली समय से नहीं उपलब्ध होती है। बिजली का जो रोस्टर है उसको देख कर उसकी परेशानी में वृद्धि होती है कि कहीं छोटे कुटीर उद्योगों को बिजली की यही उपलब्धि रही तो निश्चित रूप से इन उद्योगों में घाटा होगा और जहां तक बड़े उद्योगों के काम्पेटीशन में छोटे उद्योगों को चलाने का प्रश्न है गांवों में चौबीसों घंटे बिजली गायब रहती है, महीनों तक काश्तकारों को बिजली नहीं मिल पाती है। तो आखिर कुटीर उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति कैसे की जायगी आज यह आशंका की भावना बनी हुई है काश्तकारों में, या छोटे लोगों में, और छोटे उद्योग चलाने वालों में कि बिजली की आपूर्ति हो सकेगी या नहीं। सरकार की तरफ से एक ऐसा माहौल पैदा किया जाना चाहिये जिससे बिजली आपूर्ति की आशंका जो है वह दूर हो सके।

(इस समय ४ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मेरे जिले में एक अधीक्षण अभियन्ता कुरेशी साहब हैं, उनके बारे में सदन में प्रश्न भी उठा, तमाम शिकायतें भी आ चुकीं। उनके करप्शन से फैजाबाद

[श्री मित्र सेन]

जिला गंधा गया है । माननीय मन्त्री जी के भी कान भर चुके, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया । सदन में इस बात की चर्चा हुई, सैकड़ों उनके कर्मचारियों ने नगर फैजाबाद में सत्याग्रह किया और जेल भी गये । जेल में भूख हड़ताल किया । इसके बावजूद माननीय मन्त्री जी या इन के प्रशासनिक कर्मचारियों के कान में जूं नहीं रेंगी । वह अपने अनैतिक कुकृत्यों से बना हुआ है । उस पर कितने ही लांछन लगाये गये हैं, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने और उनके प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका है । अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ऐसा नर्म दृष्टिकोण सरकार का रहेगा तो निश्चित रूप से जो घटनायें हो जाती हैं, यह घटनायें वहां पर जो परिस्थिति पैदा हो गई है, अगर ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो निश्चित रूप से कर्मचारी ऐसे कदम उठा लेते हैं जहां लाठी, गोली, डंडा चल जाता है और सरकार बाद में विचार करती है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की और विशेष रूप से ध्यान रखें । अक्सर दुर्घटनायें हो रही हैं, कर्मचारियों को अपनी तानाशाही और भ्रष्ट आचरण से हो रही हैं जिसको वहां की जनता और प्रशासन के कर्मचारी बरदाश्त नहीं कर पाते और डंडा और गोली चलानी पड़ती है, मजदूरों को मजबूर हो कर जेलों में जाना पड़ता है ।

जहां तक बिजली की चोरी का सवाल है, हो सकता है कि सतर्कता विभाग या इस तरह का कोई सेल कायम किया हो जो चोरी पकड़ता हो, लेकिन अक्सर बिजली के उपकरणों की चोरी, चाहे ट्रांस्फार्मर हों या अन्य उपकरण हों, चोरी होती है जिसमें कुछ उनके विभाग का कर्मचारियों का हाथ रहता है । इस बारे में जिस तरह से सक्षम हो सकें इन चोरियों को पकड़ने के लिए, सतर्कतापूर्वक कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि यह उपकरण मामूली कीमत के नहीं होते । उनको गायब करके तालाबों में, कुओं में डाल देते हैं । पुलिस भी मिली रहती है । इस बारे में निश्चित रूप से सरकार को सजग होना चाहिये । बहुत सी जगह चोरियां पकड़ी गई हैं लेकिन पुलिस और विभाग ने मिल कर उनको छिपा लिया है । जो मीटर वाले हैं वह मीटरों की चोरी करते हैं । बिना मीटर के बिजली चलवाते रहते हैं मेकनिक लोग । इस तरह की भी चोरियां करते हैं । किसानों के सामने आज बिजली के सम्बन्ध में एक समस्या है । उनको आशंका है । इस वर्तमान सरकार कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए प्राथमिकता दे रही है उसमें वह सफल नहीं हो सकती है, जब तक बड़े उद्योग के लिए बिजली सस्ते रेट पर रहेगी और कुटीर उद्योगों के लिए बिजली का रेट महंगा है, पूंजीपति को बिजली सस्ते रेट पर दी जायगी और काश्तकारों को महंगे रेट पर दी जायगी तो सरकार का चरित्र पूंजीवादी चरित्र होगा । और यह नहीं कहा जा सकता है कि किसानों को विकास करने वाली यह सरकार है । यह केवल नन्हा मात्र है । इन शब्दों के साथ में बिजली विभाग के बजट के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अब साढ़े चार बज रहा है । इसलिए अपने सुझाव दो दें और ५ मिनट का समय लें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

चूंकि इस विभाग के अनुदान पर चर्चा में लोगों की काफी रुचि है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९७८–७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ६०–विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९७–ऋण और अग्रिम–विद्युत् (क्रमागत)

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विद्युत् बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज के युग में यदि यह कहा जाये कि बिजली जीवन है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । किसी देश की सुख, सुविधा और संपन्नता का यदि कोई मापदंड है तो वह बिजली है । बिजली की स्थिति जो है अपने प्रदेश में खासकर उत्पादन की दृष्टि से जितनी कम है उतनी शायद ही और किसी देश में हो । आज लाखों प्रयासों के बावजूद भी बिजली की पूर्ति जो है उसमें किसी प्रकार भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं । पिछले कई वर्षों से बराबर प्रति वर्ष बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उसके अनुपात से बिजली के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है । और बिजली की स्थिति में सुधार न लाया गया तो आने वाले भविष्य में हम संसार के प्रत्येक देश से पीछे चले जायंगे । आज हमारे देश में जो बिजली उत्पादन की स्थिति है वह सीमित है । पहले से जो बिजली पैदा की जाती है, उसका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसलिए मेरा सुझाव है कि नदियों को बांधकर बिजली का उत्पादन किया जाये । इससे बिजली में वृद्धि होगी, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर मंद गति से गया है । पिछले समय में जो रिहन्द डेम बनाया गया था, उसमें जो बिजली उत्पादित होती है उसकी दशा कई सालों से बिगड़ती चली गयी, और ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि पानी की कमी रही । रिहन्द में बिजली पानी की कमी के कारण पूरी क्षमता से नहीं पैदा की जा सकी । अगर यही बांध उत्तर भारत में बनाया गया होता तो शायद पानी की कमी न रहती । एक तरफ पानी बाढ़ रूप में बह जाता है और दूसरी ओर पानी की कमी के कारण बिजली के उत्पादन में कमी हो रही है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक धन जल विद्युत् में खर्च किया जाये और विद्युत् क्षमता को बढ़ाया जाये ।

जब से हमारे वर्तमान विद्युत् मंत्री ने इस विभाग को संभाला है तब से बिजली का वितरण किसानों में हो रहा है । उन्होंने किसानों को भरसक बिजली देने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक बिजली देकर जनता में एक विश्वास पैदा किया है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तमाम आदेशों के बावजूद भी १४ और १६ घंटे की अवधि में गांवों में मुश्किल से ४–६ घंटे ही बिजली देहातों में पहुंच पाती है । देहातों में तो यह भी देखा गया है

[श्री बाबू राम धर्मा]

कि ४-४ रोज तक बिजली गायब रहती है। इसका मूल कारण यह है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से बिजली गायब रहती है और यह लापरवाही दिन प्रति दिन बढ़ रही है क्योंकि अभी तक जो लाइनमैन होता था और जो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते थ वे बहुत कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन जो पढ़े लिखे आज नियुक्त किए जाते हैं, आई० टी० आई० से पास होते हैं वे लोग खम्ब पर नहीं चढ़ते हैं, तारों को ठीक नहीं कर पाते हैं और आराम करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि किसानों की जो शिकायतें होती हैं, उनको अटेन्ड करने के लिए नहीं जाते हैं।

जो लोग विभाग में ८-८ और १०-१० साल से काम कर रहे हैं, मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं, उनको रेग्युलर नहीं किया जाता है। बल्कि उनकी जगह आई० टी० आई० के पासशुदा लड़कों को रखा जाता है जो चोरी और डकैती का काम करते हैं। उन विद्यार्थियों को वहां पर कट्टा बनाना सिखाया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि विद्युत विभाग में इन छोटे कर्मचारियों को रेंग्युलर किया जाय और इन पढ़े लिखे लोगों को उनके नीचे न रख कर काम कराया जाय। अगर आप ऐसे लोगों को देहात में रखेंगे तो जो आज बिजली मिल भी रही है वह भी नहीं मिल पायेगी और आपके सारे प्रयास विफल हो जायेंगे।

आज आपके विभाग में नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक बड़ा असंतोष व्याप्त है। यद्यपि उनकी मांगें पूरी की जाती हैं लेकिन वे फिर दिन प्रति दिन बढ़ती जाती हैं। आपको चाहिए कि आप विभाग में निश्चित रूप से एक वेतन-मान निर्धारित करें और उनकी सुख सुविधाओं का सदैव ध्यान रखें लेकिन उनसे यह भी कह दिया जाय कि अगर वे बिजली का उत्पादन मन माने ढंग से, हड़ताल करके, घटायेंगे तो उनको सजा भी दी जायगी। उनको अगर हर विभाग की तरह से छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से एक अनर्थ होगा। मेरी यह भी प्रार्थना है कि उनकी जो समय-समय पर समस्यायें उठ खड़ी होती हैं, उन पर विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जाय। और यदि फिर भी वे हड़ताल करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय। जब सीजन आता है, किसान को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तो बिजली का उत्पादन घटा दिया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का बहुत कम समय लूंगा और उस बहुत कम समय के दौरान २-३ बातें रखूंगा। इसके पहले सदन में माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जितने भी गांव २०-२५ हजार आबादी वाले हैं, वहां पर बिजली चालू कर दी जायगी लेकिन आज तक भी वहां पर बिजली नहीं पहुंच पायी है। बच्चों के एक्जामिनेशन्स समाप्त हो गये हैं, पढ़ाई लिखाई का समय समाप्त हो गया ह लेकिन आज तक भी ७ से १० बजे के बीच १० मिनट भी बिजली नहीं मिल पायी है। जटिया, सिहाली, बकिया जट, डिलारी और कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं ह। सर्दी के जमाने में जब किसान मिट्टी डालता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब इस काबिल फसल हो जाती है, यहां आता है। पूरी तहसील के अन्दर कहीं भी एक कनेक्शन कोई बिजली का नहीं दिया गया न देहात में बिजली जा रही है। इसकी आप इंक्वायरी करालें।

तीसरी बात यह है कि लिखित में रिपोर्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मुरादाबाद को दो। वह दिलचस्पी से काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं मुझे। मीटर रीडर आता है लेकिन मिलता नहीं चाय के होटल पर बैठा हुआ नाश्ता करता है। साढ़े चार का बिल आया, चक्की वाले ने दे दिया। अपने आप चला गया और अपने आर० डी० एस० ए० से वैसे ही हर दुकानदार, क्शर वाले, चक्की के बिल भेज दिये। लोगों ने नारे लगाये, एम० एल० ए० मुर्दाबाद, एस० डी० एम० मुर्दाबाद। मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, यह कैसे "मुर्दाबाद" हो रहा है तो उन्होंने बताया कि यह बात है। एस० ई० ने एस० डी० ओ० को भेजा, चेकिंग कराई तो सिद्ध हो गया कि जो उसने और असिस्टेंट इंजीनियर ने दोनों न रीडिंग ली उसमें मत-भेद था। जो मीटर रीडर ने रीडिंग ली वह अन्दाज से लिख कर भेज दिया। तो गरीब आदमी जो साढ़े तीन सौ देता ह वह साढ़े ११ सौ का बिल कहां से अदा करे ?

एक दूसरी रस्म हाईडिल की नयी बनी है जनवरी से कि अगर १०० रुपये का बिल है तो ११० रुपया ले जाइये। १० रुपया बाबू को नहीं देंगे तो वह गलत एंट्री कर देगा, बिल नहीं जमा करेगा। टाकुर द्वारे से एक आदमी गया। साढ़े चार रुपया आने का और साढ़े चार रुपये जाने का ९ रुपये लग गया और दिन भर काम बन्द रहा। अगर नहीं जायगा तो नोटिस आ जायगा, रिपोर्ट खराब हो जायगी, या कनेक्शन कट जायगा। तो छोटे तबके का जो स्टाफ है, क्लर्क है या मीटर रीडर या सुपरवाइजर य देहात के लोगों को इतना तंग करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस बात का तो आपको बखूबी अन्दाजा होगा कि देहात का आदमी रीडिंग नहीं जानता। ०.५६ क्या लिखा हुआ है उसको पता नहीं चलता। वह मीटर रीडर से बात करता है तो मीटर रीडर कहता कि एक सींक ले आ और "यहां को आ' तुम अकल से पैदल हो। मीटर रीडर्स सींक लगा देता है और ३० रुपया उससे बांध लेता है। लेकिन अब तक किसी ट्यूबवेल इंचार्ज या इंजीनियर ने यह तकलीफ गंवारा नहीं की कि पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम में कितना फर्क ह इसको देखा जाय। मैंने मेहनत की और यह फर्क निकाला कि बिजली के अन्दर पिछले साल से इस मर्तबा १३ फीसदी साल भर में ज्यादा ली गयी और आमदनी आपको जो हुई पिछले साल में वह उस साल से इस साल ५२ परसेंट रुपया शासन को मिला, क्योंकि सींक लग गयी बीच में ! लिहाजा आमदनी तो मिली ५२ फीसदी, ४८ फीसदी कट गयी और १७ फीसदी बिजली ज्यादा दी, लेकिन इम्तहान के जमाने में गरीब देहात के लोगों को जिनका नारा लगाकर आप बोलते हैं और जिनका सहारा लेकर शासन को उभारना चाहते हैं उनको एक दिन, एक घंटे के लिए बिजली नहीं दी, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है।

दूसरी बात, वर्करों के बारे में। हाइडिल डिपार्टमेंट में आदमी की जिन्दगी में और मौत में—जब कि नाक और आंख म ४ अंगुल का फर्क है—एक अंगुल का भी फर्क नहीं है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लछमण झूला, टेहरी गढ़वाल, लैंसडाउन से मैं आया हूं। मैंने देखा कि ३०० आदमी १५०० फिट की ऊंचाई पर खम्भा खींच रहे थे और "हैईसा, हैईसा" कर रहे थे और मुझे पता लगा कि मस्टर रोल में, जब कि उनको सिर्फ रोज साढ़े चार रुपया दिया जाता है दिखाया

[श्री मुकीमुर्रहमान]

जाता है ७ रुपया और अंगूठा लगवा लिया जाता है । मैंने जूनियर इंजीनियर से लेकर ऊपर के अफसरान तक तलाश किया, एक आदमी मुझे घर पर नहीं मिला । सारा स्टाफ घर छोड़ कर भाग गया । सारे दिन परेशान रहा और टेहरी से आ गया । यह अपनी आंख से देखा कि साढ़े चार रुपया रोज गरीब मजदूर को देता है जूनियर इंजीनियर और जितनी वह बदमाशी कर सकते हैं वह कर रहे हैं । खम्भा उठाने वाले लोगों के कंधों पर ठट्ठे पड़ गये हैं । जबसे काम शुरु हुआ है १५-१६ आदमी पहाड़ से गिर कर मर गये और साढ़े चार रुपया उनको रोजी-रोटी मिलती है । लाइनमैन, पेट्रोलमैन हैं, मीटर रीडर हैं, ए० एस० एस० हैं, यानी कि सब-स्टेशन की रीडिंग लेने वाले ये सबसे अच्छे होते हैं । जब मैं गया पहाड़ पर तो मैंने रजिस्टर देखा, जितनी शिकायतें थीं देखीं । पूछने पर बताया गया कि महीने में एक दिन चेकिंग होती है । एक एस० डी० ओ० शेरवानी साहब मिले, उन्होंने कहा २० दिन तो काम करते हैं, रोजाना काम देख ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में आप जो कुछ रखते हैं, जो कुछ कहते हैं, अगर उसका १० फीसदी भी सही अमल हो तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि १० साल तक इस जनता पार्टी की सरकार को हिलाने वाला कोई नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय विद्युत मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में १० हजार कन्ज्यूमर्स ने बिजली के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं पर उनको बिजली नहीं मिल रही है । कहा जाता है कि सामान नहीं है । आपने कहा कि हम गांव में विद्युतीकरण कर रहे हैं, मगर १० हजार लोगों ने जिन्होंने काफी समय पहले प्रार्थना-पत्र दिये थे आज तक बिजली नहीं मिल पा रही है । ग्रामीण हरिजन बस्तियों में कहीं भी बिजली नहीं पहुंची है । आपके आदेशों के बावजूद भी उन पर आपके अधिकारियों द्वारा अमल नहीं किया जाता । हंडिया तहसील के कई लोगों ने बिजली के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं, पर किसी को बिजली नहीं मिली है । एक भी हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण नहीं हुआ है । हरिजन जनता आज परेशान है । यह बात सही है कि आपने पूंजीपतियों की बिजली काट कर किसानों को दी है । पर हमारे यहां बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं मिली है । धनुकपुर, हंडिया, इमामगंज आदि तमाम गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं मिली है । जनता ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं । २०-२० आदमियों ने पैसा भी जमा कर दिया है पर बिजली नहीं मिल पा रही है । मैं चाहूंगा माननीय विद्युत मंत्री जी इधर ध्यान दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आपके अधिकारी काफी लापरवाही बरतते हैं यह बात सही है। हंडिया तहसील में एक सहायक एस० डी० ओ० हैं जिन्होंने शराब के नशे में एक बिन कर्मचारियों की बुरी तरह पिटायी की। कर्मचारियों ने थाने में रिपोर्ट भी लिखायी, पर उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह सहायक एस० डी० ओ० आज भी वहीं पर हैं। मैं चाहूंगा मंत्री जी इसकी जांच करायें और देखें कि कर्मचारियों ने जो रिपोर्ट लिखायी उस पर कार्यवाही आज तक क्यों नहीं हुई।

यह सही है कि आपने बिजली की व्यवस्था गांव में की है, पर आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों की बिजली काट दी जाती है। आज किसान को बिजली की बहुत जरूरत है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इलाहाबाद जिले में पानी की घोर समस्या है। वहां एक भी कुंआ गांव में पीने के पानी का नहीं है। गंगापार के इलाकों में, फूलपुर, हंडिया आदि गांव म, एक भी कुए में पानी नहीं है। वहां पर अगर बिजली आप बराबर नहीं देंगे, तो किसान पानी पीने के लिए भी परेशान हो जायगा। मैं आप से निवेदन करूंगा कि हंडिया तहसील में आप बिजली की विशेष व्यवस्था करें ताकि जो वहां पर ट्यूबवेल चल रहे हैं, वहां पर जनता को पानी पीने को मिल सके। इन शब्दों के साथ जो बिजली विभाग का बजट है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो बिड़ला की बिजली की कटौती किया है यह मामूली काम नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि अव्वल तो उन्होंने स्टेट वर्सेज हिंडालको के मामले में जो साहस दिखाया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं, साथ ही मैं आशा भी करता हूं कि अगर वह यही कदम अपने अधिकारियों के संबंध में भी, इसी तरह से मजबूती का कदम उठायें, तो शायद अरबों रुपये का लाभ जो है आपके बिजली बोर्ड को, तो वह लाभ नहीं रहेगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि वह रुपया बजाय सरकारी खजाने में आने के, वह आपके कुली से लेकर चीफ इंजीनियर तक चला जाता है। विभाग दम बदम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आज हर गांव में खम्भे दिखलाई पड़ते हैं। आज प्रदेश में सबसे बड़े मोहकमें में बिजली का मोहकमा शुमार है और यह सब होने के बावजूद जिस तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इतनी आपने तरक्की करली, गांव-गांव में आप की बिजली फैल गयी, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, जो प्रायरिटी की बात है, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। १९७१-७२ की बात है १५ हार्स पावर की बिजली के लिए मैंने अप्लाई किया था, उस समय वहां पर इंजीनियर गोयल थे, उन्होंने इस्टीमेट ७००-८०० रुपया बताया था, लेकिन मेरा भाई जब दफ्तर में गया, तो क्लर्क ने कहा ४००० रुपये होंगे, फिर उसी इस्टीमेट के लिए एक रजिस्टर्ड लेटर आया एस० डी० ओ० साहब का, तो वह २४०० रुपये का था। जब मैं यहां से गया तब गोयल साहब से मिला, तब उन्होंने एक-एक चीज का कैलकुलेशन करके ९५० रुपये बताया। तो इस तरह से इस्टीमेट का जो मामला है, उसमें आपके विभाग में यह देखा जाता है कि कैसा क्लायंट है। कैसा आदमी इस्टीमेट देने वाला है। कैसा इंजीनियर है। वह सब चीजें आ जाती हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]—

हमारे मुरादाबाद में ए–वन इंजीनियर है, व्यवहार में और काम में। एक आर्डर गवर्नमेंट से चलेगा तो वह हमारे जूनियर इंजीनियर तक नहीं पहुंच पाता। उसके पीछे-पीछे दूसरी पालिसी जारी हो जाती है। जूनियर इंजीनियर तो उस पालिसी के बारे में बात करेगा, जो उस तक सूचना पहुंचेगी, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है या लखनऊ से है, तो वह उसी तरीके से बात करने लगते हैं, तो इतनी जो आपकी स्टेज है, इतनी स्लो चलती है कि एक आर्डर, जूनियर इंजीनियर तक नहीं पहुंच पाता है, दूसरा आर्डर जारी हो जाता है। उसी सारी चीजों के बदौलत इस्टीमेट हो या डिपाजिट हो, क्या डिपाजिट हो, ट्रान्सफारमर की कीमत, पालिसी की बात, वायरिंग, खम्भे, इनकी कीमत के सिलसिले में हो।

बिलग के सिलसिले में या कोई चीज हो उनके बारे में पालिसी का जो कफ्यूजन रहता है उसकी वजह से साधारण जनता को, किसानों को बिरला को कटौती करके जिनको बिजली देना चाहते हैं उनको वह सुविधा नहीं पहुंच पाती है। पिछली बार जो कटौती का प्रस्ताव बिजली में हमने रखा था तो घोषणा किया था कि ३१ मार्च, १९७८ तक आर० इ० के मातहत देहातों में जो बिजली फैली हुई है उनको हम मुकम्मल करा देंगे लेकिन अभी वह काम पूरा नहीं हुआ है। आर० इ० के मातहत जो हैं उसमें ५० प्रतिशत से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। उस वादे को आप देखें। जिला स्तर पर जो आपने कर दिया है कि २५ हार्स पावर पर जिसके डी० एस० एथारिटी हैं कि वह बिजली की वहां प्रायरिटी फिक्स करके सैन्कशन कर देंगे। उसके साथ जो नान आफिशियल मेम्बर जैसे विधायक हैं उनको जोड़ें। यह मेरी प्रार्थना है कि जो सन्कशन करने की एथारिटी है जो कुटीर उद्योगों में आ सकते हैं उनको बिजली देने के लिये जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय।

मान्यवर, हरिजन कालोनी की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल समाप्त हो गया है। कालोनी का इलेक्ट्रीफिकेशन करने के लिये जो कहा था उसमें काम बिल्कुल ठप हो गया है। आप शायद इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि उनको बिजली की जरूरत नहीं है। वह सबसे कमजोर तबका है इसलिये उस पर आप ध्यान दें। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने हिन्डालको में मजबूती से स्टेप लिया है उसी तरह आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी आप हिम्मत के साथ ऐक्शन लेंगे ताकि आपकी स्कीमें सही माने में लागू हों।

*श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को और उनके सहयोगी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष से अच्छा बजट पेश किया है और पिछले वर्ष की कारगुजारियों को लक्ष्य करते हुये इस वर्ष के बजट में और अधिक प्राविधान किया है। मैं मानता हूं कि जन जीवन से बिजली का अभिन्न योगदान है। बिजली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। खाने से लेकर खेत खलिहान तक, सड़क से राज महल तक बिजली का प्रवेश है। इस महत्वपूर्ण अंग के होते हुये यदि कोई व्यवधान उपस्थित होता है तो न केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है बल्कि उत्पादन पर भी उसका असर होता है । पिछले वर्ष जो गांव और देहातों में बिजली में काम हुआ है वह अच्छा है और पिछले ८-१० वर्षों की अपेक्षा पिछले साल अधिक कार्य इसमें हुआ है ।

हम यह भी मानते हैं कि जब नारा दिया है 'गांवों की ओर चलो' तो गांवों की ओर तभी जा सकेंगे जबकि सड़कें हों और रास्ता देखने के लिये बिजली हो । इसलिये गांवों में जाने के लिये बिजली की नितान्त आवश्यकता है मैं समझता हूं इस साल के बजट में गांव में जाने के लिये बिजली की सुविधा अधिक प्रदान की गयी है । इसके साथ ही मैं कुछ मंत्री जी को सुझाव भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं । पिछले साल बजट के दिनों में हमें यह बताया गया था कि आपके यहां ५ गांवों में बिजली दी जायेगी । मैंने चांदपुर, किशनपुर, अम्बाल, पथरी आदि ५ गांवों के नाम दिये थे । माननीय मंत्री जी को भी और अपने रुड़की तहसील के सुपरिन-टेन्डिंग इंजीनियर को भी लेकिन मुझे यह जवाब दिया गया कि इस प्रकार की घोषणा तो सरकार ने कर दी है लेकिन पैसा सरकार ने नहीं दिया है । आप मंत्री जी से कहिये कि वह पैसा दें बिजली हम देने के लिए तैयार हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि अगर इस प्रकार की रुकावट पैसों की आती है तो उसे दूर करने की कृपा करें ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रानीमाजार, सुल्तानपुर और इक्कड़कला ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां बिजली का सामान पहुंच गया है, दो साल से खम्भे जमीन पर पड़े हैं लेकिन वहां पर तार की फिटिंग नही की जा रही है । गांव वालों को बड़ा असंतोष है । गांव वालों ने विभाग की जितनी शर्तें हैं उनको पूरा कर दिया है । सभी जगह कनेक्शनों की फीस भी जमा हो गयी है लेकिन अधिकारियों से बार बार कहने पर भी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि अपने अधिकारियों को हमारे जिले की ओर भी ध्यान देने के आदेश देंगे ।

मैं एक निवेदन यह भी करूंगा कि जो हमारे शहर में बिजली कटिंग होती है अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेन्ज और वाटर वर्क्स भी आ जाते हैं । मैंने जब वहां के इंजीनियर से कहा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए नई लाइन लेनी पड़ेगी..

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राज कुमार शर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मरीजों के लिए, एक्सचेन्ज के लिए बिजली की व्यवस्था की जाय । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारा विद्युत वितरण खण्ड रुड़की में है उसे हरिद्वार में लाने की कृपा करें क्योंकि देहात में लगभग तीन लाख आदमी हैं जो अनपढ़ और सीधे सादे हैं । उनको रुड़की जाने में कठिनाई होती है । हरिद्वार नजदीक पड़ता है । जो हमारे देहात में खास तौर से मेरे इलाके में जो पम्प लगे हुये हैं, नल कूप लगे हुये हैं, वे इस प्रकार से नहीं लग सके हैं जिस प्रकार के आपने योजना में प्रदर्शित किया है । वहां पर इस बात से आदेश प्रसारित करने चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप से इस कार्य को किया जा सके । इतना कहने के बाद मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नाथू राम शिक्षक—(जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जिस समय किसानों को बिजली देने का कार्यक्रम चालू हुआ था उनसे जो शर्तनामा लिखाया गया था उस समय यह किया गया था कि जितनी बिजली उपयोग करेंगे उतना ही दाम उनको देना पड़ेगा किन्तु इसके बाद यह व्यवस्था बदल दी गयी है और फिक्स कीमत उनको देनी पड़ती है बिजली मिले या न मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस व्यवस्था को अपनी शर्तों के मुताबिक ही लागू करने का कष्ट करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में किसी भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। इसका कारण है कि बिजली विभाग के कर्मचारी अपने घरों को बना कर सजे सजाये बैठे हैं गांव की ओर जाने की उनकी तबियत नहीं करती। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि सम्पूर्ण शासन के कर्मचारियों को तहसील स्तर पर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और इनके पास एक रोजनामचा की शक्ल में किताब होनी चाहिए जिसमें प्रतिदिन के कारनामों को दर्शाया जाय जिससे यह पता चल सके कि कितना काम करते हैं।

मान्यवर, बिजली विभाग ने बड़े-बड़े गांव के जो लोग हैं उनसे पैसा जमा किया है और आज वर्षों से उनका पैसा जमा है, खम्भा गाड़ा गया, तार खींचा गया लेकिन वह जमीन पर गिर गया है और विभाग ने उसे उठाने की कोई कार्यवाही नहीं की। बिजली विभाग द्वारा इन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये और जो हमारा लक्ष्य है गांवों के उत्थान का उसकी पुर्ति के लिए गांवों का सर्वे कराया जाय और गांव के लोगों को बिजली देने की दिशा में प्राथमिकता दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुमेरचन्द गोयल (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बिजली की समस्या को काफी हद तक हल करने की कोशिश की है। पिछली जून में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश में बिजली के लिये हाहाकार मचा हुआ था। कांग्रेसी नेता उस समय कहते थे कि केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गयी है तभी बिजली का यह हाल है। दरअसल बात यह थी कि उस समय कांग्रेस सरकार बिजली का बिलकुल दीवाला पीट कर गयी थी। न गांव वालों के पास, न शहर वालों के पास और न उद्योगों के पास बिजली थी। अगर पिछले वर्ष के आंकड़े उठाये जांय तो ज्ञात होगा कि उससे कई गुना मात्रा में आज ग्रामों व शहरों में बिजली प्राप्त है। यह जरूर है कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी हुई है लेकिन इस विभाग में काफी भ्रष्टाचार है। मेरा सुझाव है कि कंज्यूमर के लिये मीटर रीडर्स बड़ी समस्या बने हुए हैं। कंज्यूमर के यहां एक बही होनी चाहिये जिस पर हर महीने अथवा दो महीने में रीडिंग अंकित होनी चाहिये और जब मीटर रीडर जाय तो उस घर वाले के उस पर दस्तखत या अंगूठे का निशान लगवाये और मीटर रीडर ऐसा न करे विभाग उसे बरखास्त कर दे। विभाग को इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन यह आवश्यक कार्य है क्योंकि होता यह है कि मीटर रीडर घर पर बैठ कर रीडिंग भर देता है और इस प्रकार अनपढ़ लोगों को तंग करता है। ऐसा होने पर वह तंग नहीं कर सकेगा। अगर मीटर रीडर रिपोर्ट दे कि कंज्यूमर मिला नहीं तो मीटर रीडर के लिये जरूरी होगा कि वह उसके पड़ोसी के दस्तखत या अंगूठा निशान लेकर आये। सहारनपुर में एक शिकायत यह सुनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कुछ लोगों ने ५ महीने हो गये दरखास्त दिये बिजली के कनेक्शन के लिये लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली जबकि दूसरे को १५ दिन के भीतर ही दरख्वास्त देने पर स्वीकृति मिल गयी। इसके लिये यह आदेश दिये जाने चाहिये कि हर दरख्वास्त क्रम से रजिस्टर में दर्ज की जायगी और अगर किसी को उस हिसाब से कनेक्शन नहीं दिया गया है तो कारण बतलाना होगा कि कंज्यूमर के पार्ट पर कोई गलती है जैसे पैसा जमा नहीं किया या वायरिंग नहीं करवाई या विभाग की गलती से उसे कनेक्शन नहीं मिला। होता यह है कि जो आदमी एप्रोच नहीं कर पाता उसकी दरखास्त धक्के खाती फिरती है और जो आदमी उनको खुश कर ले तो उनकी बिजली फौरन लग जाय। एक बात और महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। हमने देखा है कि पांच-पांच और दस-दस हार्स पावर के लिये लोग भाकते रहते थे। छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये जैसे आटा चक्की है, ऐसे कार्यों के लिये बिजली नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछले ६ महीने से हम देख रहे हैं कि १० हार्स पावर तक बिजली मिल रही है और किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ आने की जरूरत नहीं है। इससे छोटे उद्योग धन्धों को बड़ी भारी राहत मिली है। भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें और ज्यादा उन्नति होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद समाप्त करना होगा।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--(जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के दो मुख्य शहर हैं—मंसूरी और देहरादून। आज से कुछ वर्ष पहले मसूरी में एक बिजली बोर्ड था जिसमें एक इंजीनियर और दो जूनियर इंजीनिअर होते थे। दोनों शहरों में बिजली की अच्छी व्यवस्था थी, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जबसे उत्तर प्रदेश बोर्ड के अधिकार में ये शहर आये तो तभी से मसूरी की आमदनी नहीं हो रही है। मसूरी उजड़ गया है। दोनों शहरों में कई सुपरिन्टेंडिंग इन्जीयर्स और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तथा जूनियर इंजिनियरों के होने के बावजूद भी दोनों नगर आज अंधेरे में रहते हैं। दुर्घटनायें होती हैं। बिजली न मिलने की वजह से पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

इसके अलावा मंसूरी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिये जो क्वार्टर बनाये गये हैं उनमें एक भी नाली नहीं निकाली गई है जिसकी वजह के बिजली विभाग के प्रतिवर्ष लगभग ८/१० कर्मचारी टीबी से मर जाते हैं। इसलिय मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। पर्वतीय क्षेत्र में आपके विभाग के कई पावर हाउसेज और डेम बन रहे हैं, जसे टेहरी डेम है यमुना परियोजना है। इन योजनाओं से वहां पर गरीबी बढ़ रही है। बड़ी योजनाओं का फायदा मैदानी इलाके को होना है। यहां तक कि मजदूर भी मैदानी इलाके से वहां जाता है जिसकी वजह से वहां गरीबी बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि पीने के पानी की वहां पर व्यवस्था की जाय। जैसे आपने गांवों में पीने के पानी के लिये बिजली दी है, उसी तरह से शहरों में भी व्यवस्था की जाय। चौथी बात यह है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--]

कि हमारे यहां एक रेशम की फैक्टरी है जिसमें २५० महिलायें काम करती हैं उनको मंगलवार को छुट्टी होती है और उनके जो बच्चे होते हैं, उनको वे देख भी नहीं पाती हैं। मजदूर जो हैं उनकी छुट्टी इतवार को होती है। हमारी मांग है कि जहां पर भी महिलायें काम करती हैं वहां पर इतवार को बिजली दी जाय और इस रेशम विभाग की महिलाओं की मंगल के बजाय इतवार को छुट्टी दी जाय।

जमुना स्कीम जोकि सारे देश को बिजली देने वाली योजना है वह ग्रामीण इलाके को अभी तक बिजली नहीं दे पायी। मैं शहर से जरूर आया हूं किन्तु मेरा घर गांव में है। वहां पर २५ रुपये के हिसाब से लोगों ने बिजली का रुपया जमा किया है, खम्भे खड़े हो गये हैं लेकिन अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि छोटी योजनाओं को भी वह अपने हाथ में लें ताकि लघु उद्योग भी पनप सकें और उनका भी विकास हो सके।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव हमने रखा है उसका और जो मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करते हुये दोनों तरफ के सदस्यों ने भाषण दिए। उन दोनों का मिलान किया-जाय तो जो भाषण किये हैं उन सभी में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन हुआ है। भले ही अंत में आपका समर्थन किया हो।

श्री अध्यक्ष--

अंधेरा कौन चाहेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

तीन बार बिजली गई। इसका आपको पहले ही ज्ञान हो गया होगा इसलिए चले गये।

श्री अध्यक्ष--

यह इसलिए हुआ कि मंत्री जी को चेतावनी दी जाय और वह ज्यादा सतर्क हों।

श्री श्यामधर मिश्र--

इसमें यह कारगर हो जाय तो खुशी होगी। यह बड़ी भारी चेतावनी नहीं है। अभी दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि इस तरह से कटौती हो रही है यह हर जगह हो रही है। इनकी इंजीनियर्स की रिपोर्ट आ गई और उसको देख लिया और कह दिया कि यह टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन यह देख लें बड़े इंजीनियर्स छोटे इंजीनियर्स से देख लेते हैं। लेकिन हम लोग तो गांवों में देख रहे हैं। हर जगह कटौती हो रही है कहीं दो घंटे, कहीं चार घंटे कहीं 10 घंटे। गांवों में 10, 12 घंटे तक बिजली नहीं मिलती है। किसी न किसी वजह से कट जाती है। यह मैं आपको बुराई के ख्याल से नहीं कह रहा हूं।

दूसरी बात, जितने भाषण हुए हैं उससे एक बात का पता चलता है कि यह व्यवसायिक विभाग है, व्यापारिक विभाग है। लेकिन जो व्यापारिक विभाग होता है वह कस्टमर्स का ख्याल करता है। इस समय चाहे खेती हो या दूसरे उद्योग हों वह रोते रहते हैं। कितने ही लोगों ने 25 रु० जमा कर रखे हैं कई साल उनको हो गये उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आप अपने

हल्द्वानी की बात कह रहे हैं । में आपकी बात क्यों कहूं मैं बनारस की बात कहता हूं । यह सब वर्गों में हो रहा है इसका पता लगाया जाना चाहिये यह कोई नई बात नहीं है यह बराबर हो रही है । यह बैकलाग क्यों हो रहा है इसको कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

अब मैं मिनिमम चार्जेज के बारे में कहना चाहता हूं । दोनी तरफ से लोगों ने कहा जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन किया उन्होंने भी और जिन्होंने अनुदानों का समर्थन किया उन्होंने भी कहा कि मिनिमम चार्ज जो है यह ठीक नहीं है। अगर एक आदमी चाहे एक हार्स पावर ले या ज्यादा चाहे उसको बिजली मिले या न मिले उसको मिनिमम चार्ज देना होगा । श्रीमन्, यह दुर्भाग्य की बात है कि मिनिमम चार्ज तो लगा हुआ है लेकिन मिनिमम पावर की गारंटी नहीं है । मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी या तो मिनिमम पावर की भी गारंटी दें नहीं तो चार्ज भी न लें । केवल तीन रुपया कम करने से काम होने वाला नहीं है । यह किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है ।

दूसरी बात जो माननीय रियासत साहब ने कही जिला सलाहकार समिति के बारे में । वह अच्छी बात कही है उसको आप जरूर करें । अन्य विभागों में वह व्यवस्था है । आप क्यों नहीं करते है, इसकी आप जरूर करें ।

कुटीर उद्योगों के बारे में कहा गया कि रोस्टरिंग हो रहा है । यह रोस्टरिंग नहीं हो रहा है कहते हैं कि रोस्टिंग हो रहा है, लोग भून रहे हैं । आप किसी तरह से मेहरबानी करके निश्चित कर दें कि 5 घंटे बिजली कम मिलेगी । इसको किसान मान जायेगा । लेकिन उसको निश्चित घंटे तो मालूम हो । आपने आदेश दे दिये कागज पर लेकिन वह नहीं हो रहा है । जैसे मन आया करते हैं ट्रांसमिशन स्टेशन से जब मन आया तब दे दिया उसको । यह परिपाटी बहुत खराब है । कहीं चार गुना, कहीं छः गुना, कहीं आठ गुना, जिस तरह से चाहा उन्होंने कर दिया । बिजली के बिल जमा करने की बात सामने आयी । हमने स्वयं कहा था, उसकी लोगों ने ताईद की । बिजली का रुपया कहीं जमा होता है, हिसाब कहीं रखा जाता है । नतीजा यह होता है कि दो सौ रुपया हमने जमा कर दिया, लेकिन दोबारा तिबारा बिल आता है । या तो 50 रुपया खर्च करके उसको ठीक कराएं । तहसील के स्तर पर या ब्लाक स्तर पर व्यवस्था करें । ऐक्जिक्यूटिव इंजीनियर को बड़े बड़े शहरों से तहसील के स्तर पर लाइये अगर ब्लाक के स्तर पर नहीं । यह हम लोग कांग्रेस के जमाने से कह रहे हैं । जो शहर मे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि शहर में बड़ी सुविधाएं होती हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, मकान नहीं है तो छोटी जगह रहें ।

हरिजन बस्ती के सम्बन्ध में बिजली देने की बात हुई । हरिजन बस्ती के नाम पर बड़ी तेजी से विद्युतीकरण हुआ । लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, साल डेढ़ साल से, मैं नहीं कहता कि आपने खास तौर से ऐसी नीति अपना रखी है, मेरा आरोप आप पर नहीं है । लेकिन आप देखें कि कौन ऐसा कर रहा है कि जो नीति हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में थी वह नीति भी लागू नहीं हो रही है । (व्यवधान) मैं बैठ जाऊं आप कह दें । मुझे मौका मिल जाता जवाब देने का ।

एस्टीमेट्स की बात थी । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं सचमुच ऐसे बनाये जाते हैं, कि बड़े साहब तो बड़े साहब, छोटे साहब सुभान अल्लाह । लोग छोटे साहब से बड़े परेशान हैं । अगर यह आपसे मिल जायं तो वही एस्टीमेट चार सौ रुपये में न मिलें और थोड़ी सी अकृपा हो

[श्री श्याम धर मिश्र]

जाय तो वही एस्टीमेट चार हजार रुपए में ऐसा समझा बुझा कर कागज में रख देते हैं, कि भ्रष्टाचार को पैसा देना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, आप सिर्फ चार मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री श्यामधर मिश्र --

मैं तीन मिनट में समाप्त करूंगा, चार मिनट के बजाय । एक बात और माननीय मन्त्री जी ध्यान दें । कांसट्रक्शन, मेंटिनेंस ऐंड एकान्उट्स इन तमाम के अफसर नीचे स्तर तक अलग-अलग हैं । तहसील स्तर पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सब अलग अलग हैं । एक लाइन बनानी होगी, तो कांस्ट्रक्शन डिवीजन अलग है, मेंटिनेंस अलग है और एकान्उट्स अलग है । एक गांव वाले को तीन तरह के छोटे अफसरों के पास जाना पड़ता है । यह क्या गलत व्यवस्था है ? एक अफसर तहसील लेविल पर होना चाहिए । एक से काम पूरा नहीं होता तो उसी स्तर के दो अफसर होने चाहिए लेकिन साथ होंगे । कांस्ट्रक्शन, मेंटिनेंस और एकाउन्ट्स पूरा वहीं होना चाहिए । बिलिंग और पेमेंट वहीं होना चाहिए । बिलिंग यहां होगी जमा अलग होगा । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने बातें कहीं । उधर ध्यान नहीं दिलाऊंगा । मैंने आपको बचन दिया है । अन्तिम बात कह कर बैठ जाता हूं । वह यह है कि मुझे मालूम हुआ कहीं आपकी नाक के तले लखनऊ में विद्युतीकरण हो रहा है ग्रामीण ।

मैंने एक कागज आपको दिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं, इतना कह देना चाहता हूं कि आप इसको देखें । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक बात है, छोटे-छोटे किसानों से अफसर २००-२०० और ४००-४०० रुपए लेते हैं और उनको परेशान करते हैं । उन लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है, जो ज्यादा गरीब होते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । एक यू० पी० इलक्ट्रिसिटी एडवाइजरी काउन्सिल बनी है, उसका जिक्र किसी किताब में देखा । उसमें १०-१५ मेम्बर हैं । आपने किस तरह से मेम्बरों को छांटा । मैंने देखा कि उसमें विधान सभा के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं । आपने उनन्ड मनोनयन कर दिया किस बुनियाद पर यह काउन्सिल बना है, उसका माप दन क्या है । हम आपको सहयोग देना चाहते हैं और हम आपकी सहायता करस चाहते हैं । आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है । मैं जानना चाहता हूं कि किस बुनियाद पर बाबू बदरे को नहीं रखा है । मान सिंह जैसे लोगों को आपने छो दिया । इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय विद्युत मन्त्री जी । आप कृपा करके २५ मिनट में समाप्त कीजिए, ज्यादा समय न लीजिएगा ।

*विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मान्यवर, मैं आभारी हूं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और अपनी प्रशस्तियों से हमारी हिम्मत बढ़ाई । जिन्होंने उप-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लब्धियों की प्रशस्ति में कुछ बाते कहीं, स्वाभाविक है कि मेरा हौसला बढ़ा है और जिन मित्रों ने कमियों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है, उससे मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ है कि हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी चेष्टा से इस कमी की दूर करना चाहता हूं और आगे बढ़कर सोचने लगा हूं कि यह बिजली की कमी केवल सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ही दूर नहीं हो पाएगी बल्कि हम सभी लोग इस ओर प्रयास करें तो यह बिजली की कमी दूर हो सकती है।

इस सिलसिले में एक बात मुझे कहनी है, माननीय मिश्र जो बोल रहे थे, मेरे मन में उनके प्रति आदर की जगह है। महाभारत की कथा की याद आती है, भीष्म पितामह जो स्वयं धर्मराज माने जाते हैं, वह भी कौरवों का नमक खाने के कारण कौरवों के साथ चले गए। तो जो मिश्रा जी ने कहा उसमें कोई ज्यादा सार नहीं रहा। मैं समझता हूं कि कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए और कई मित्रों ने उठाए। मैं एक-एक बात का जवाब दूंगा, भाषण नहीं दूंगा।

एक चीज यहां पर कही गई कि जेनरेसन में ६०-७० का अन्तर है। मैं बहुत संक्षेप में याद दिला दूं और आप सबको स्मरण होगा कि अपने यहां पर तापीय और जल विद्युत नदियों के पानी के स्तर पर निर्भर करता है। यदि पानी पूरा रहा तो जेनरेशन हन्ड्रेड परसेन्ट और यदि घट गया तो परसेन्टेज कम हो जाता है। १०६८ मेगावाट हमारी हाइड्रो की जेनरेशन की क्षमता है यदि पानी पर्याप्त रहे और यदि पानी घट जाय तो यह २५० और १५० में बहुंच जाता है। यह हमारी मजबूरी है। तापीय क्षमताओं के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी भी मशीन जब ठीक से चले तो जेनरेशन ७० और ८० प्रतिशत और कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो हन्ड्रेड परसेन्ट जेनरेशन करती हैं। इसके कई फैक्टर्स हैं। अगर हमें कोल में डम्पनेस मिलती है, ३० प्रतिशत मौअसचर का अगर कोयला हमको मिलेगा उसी के हिसाब से परसेन्टेज औफ जेनरेशन होगा। मशीनों में ट्यूब लीकेज या रख रखाव में दुर्लक्षता के कारण भी हमारे यहां पर कम जेंनरेशन हो जाता है। लेकिन जो भी स्थिति ही हम अधिक से अधिक जैनरेशन करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं।

मैंने इसी सदन में चर्चा की थी आरम्भ में कि हमारे वहां पर गैस टर-बाईन लगाए जांय, लेकिन कुछ दिक्कतें समझ में आ रही हैं। मैं स्वयं उह!-पोह की स्थिति में पड़ा हुआ हूं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यह है कि मिनिस्ट्री आफ आयल एंड केमिकल्स यह चाहती है कि हम विदेश से तेल मंगायें। अगर हम बाहर से तेल मंगाये भी तो मंहगी बिजली को बनाकर जिसकी जैनरेशन कोस्ट ७५ पैसे के लगभग आएगी तो शाम के समय उन गांवों की डिमान्ड को मीट कर सकते हैं जिनकी आबादी २५ और ३० हजार है लेकिन लिंकज आफ आयल का सवाल फंसा पड़ा हुआ है। कुछ घंटों के लिए हम स्टेन्ड बाई के लिए तो प्रयोग कर ही सकते हैं लेकिन इससे खेती और उद्योग को बढ़ाने में इससे दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टरबाइन मिल जांय। आयल की लिकेज की क्लियरेन्स का भी मामला मिनिस्ट्री आफ आयल, रिफाइनरी एन्ड केमिकल्स दे दे तो बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर इम्पोर्ट करके तेल मंगाना पड़ा तो सोचना पड़ेगा।

तो इसलिए सबसे पहले जब मैं निवेदन कर रहा था मैंने शंका व्यक्त की थी लेकिन आनापार आदि स्थानों में बहुत जल्दी ही तापीय घर स्थापित करने

[श्री रवीन्द्रकिशोर शाही]

जा रहे हैं लेकिन उनमें भी ३ या ३ १/२ वर्ष लगेंगे । अगर ये गैस टरबाइन भी लगाये जांय तो इनमें भी कम से कम १४–१५ महीनें का समय लगेगा । हम दोनों काम कर रहे हैं । जो हमारी हैसियत है उसके अनुसार टिहरी डैम बनाने में कम से कम १० वर्ष लगेगा लेकिन हर साल हमें इसमें पैसा डालना होगा । इसी प्रकार से विष्णु प्रयाग और मनेरी भाली में भी पैसा डालना होगा । हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो हमारा जैनरेशन बढ़े ताकि हम जो बढ़ाने वाली डिमांड है उसको भीट कर सकें । लेकिन उस मोह में आकर हम तापीय बनाते रह गए । तो वे बड़े प्रोजेक्ट्स बढ़ा ले जाएंगे और पैसे के लिए जैसे काबुली वाला सूद होता है वह हम दे रहे हैं गवर्नमेंट भी लेती है इंश्योरेंस कारपोरेशन से ऋण लेते हैं तो वह भी लेते हैं और एक और फारमला है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा करते हैं, उसमें भी हमको रिटर्न, सूद देने की अपेक्षा है । बिना सूद के कुछ मिल नहीं रहा है जितना कर्जा उठाएं वह सब पैसा सूद में ही दे दें तो फिर बिजली घर कितने बढ़ायें ? इसलिए भारत सरकार के उद्योग मन्त्री को मैंने लिखा है और ऊर्जा मन्त्री को कि सारे देश में एक बिजली का रेट करो । मेरी स्वयं की मांग है । मेरी धारणा है कि जब तक एक रेट नहीं होगा हम वर्किंग इम्बेलेंसेज को खत्म नहीं कर पाएंगे । क्योंकि हर उद्योगपति यह तलाश करता है कि कहां लगाऊं । हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में क्या रेट है ? जैसे और फैक्टर्स हैं उद्योग के हटाए न जाने में बिजली भी एक फैक्टर बन जाता है । लेकिन अगर एक नेशनल पालिसी बन जाय तो अच्छा होगा और उसी के साथ साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश मे जो भी उद्योगों से हम ले रहे हैं, रोलिंग मित्स से वह और प्रदेशों के मुकाबले में कम है । जहां और प्रदेशों में १९ से २१ पैसे रेट है वहां हम पहले १६ पैसे लेते थे वह जब २० घंटे सिंचाई दी तो २४ पैसा लिए । किसानों की जो बात कर रहे हैं, मिश्र जी ने कहा कि ३ रुपए घटाने से क्या काम चलेगा? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब ३ रुपए का कैलकुलेशन किया गया तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि गांव औसत दो घंटे बिजली जाएगी इस कैलकुलेशन पर ३६५ दिन अगर २ घंटे बिजली कनज्यूम की किसान ने तो जो पड़ेगा वह १५ रुपया हुआ ।

श्री श्याम धर मिश्र––

आप जरा ईल्ड कीजिए बैठ जाइए । एक प्रश्न कर लूं आपसे । आप यह कैसे समझते हैं कि किसान ३६५ नहीं ३६० दिन ही सिंचाई करेगा, क्योंकि सिंचाई के दिन तो सीमित हैं और उसके कार्य के दिन सीमित हैं ?

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

मिश्रा जी कैसे बोलने लगे, ये तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मन्त्री जी बोल रहे हैं इस समय ?

श्री अध्यक्ष ––

मन्त्री जी बैठ गए । इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

मिश्रा जी को आने जाने की बात याद है अब जमाना काफी बदल गया है और किसान को अपने ट्यूब वेल पर जहां ट्यूबवेल चलेंग वहीं पर उसे अपने

चैफ कटर चलाना है, कोल्हू चला लेंगे, मड़ाई की मशीन चला लेंगे वह सब १२ रुपए में शामिल है। उसके अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं है और इसलिए यह हुआ है।

दूसरी बात में यह कह रहा हूं कि पहले से घंटे अगर अधिक मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा में इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि १७ घंटे के १४ क्यों किए लेकिन अगर सबसे ज्यादा बिजली मिल रही है किसान को पहले अधिक अश्योर्ड सप्लाई हो रही है तो मैं नहीं समझता कि किसान को कोई घाटा है और न तो और आगे चलकर सोच रहा हूं कि हमारे पास पिछले साल तक २ लाख ७० हजार करीब ट्यूबवेल्स थे। २४ हजार और बन गए। करीब ३ लाख प्राइवेट ट्यूबवेल्स हो गए। ३ लाख जब छोटे उद्योग बनकर खड़े हो जाय उस दिन सूबे की तकदीर बन जायगी।

यह सुझाव दिया एक माननीय सदस्य नें कि बिजली के हार्स पावर को कम किया जाय और कहा कि जब किसान चाहता है तो इजाजत क्यों नहीं दी जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस हार्स पावर का एक स्टैंड '१०' तो रखना ही चाहता हू। १० से ५ और ५ से ३ और ३ से २ उसमें बिजली चोरी की बहुत गुंजायश है और मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब कांग्रेस का राज्य रहा होता और उस समय कोई बिजली की हार्स पावर घटाने की बात होती तो मैं समझता, लेकिन अगर आज कहते हैं कि १० हार्स पावर से घटाकर ५ कर दीजिए तो मुझे यह सूचना मिली है कि बहुत सारे बाजारों में फर्जी नम्बर प्लेट्स बनाकर बेची जा रही है। इससे लाइन लास बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमने ढाई हार्स पावर तक के अधिकार एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को दे रखे हैं।

माननीय मिश्रा जी ने मजदूरों की बात कही बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ कि कैपिटलिस्ट थिंकिंग के लोग भी आज मजदूरों की बात करते हैं, मैं सोचता हूं कि चलो आज उनकी दिशा में कुछ बदल तो आया (व्यवधान)। श्रीमन् जिस दिन मैंने बिजली बोर्ड का चार्ज लिया उस दिन न्यूनतम वेतन एक कर्मचारी को २६७ रुपए मिलता था जो आज ३४१ रुपए हो गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम शोषण की गुन्जायश कतई नहीं होने देंगे। जहां रेमीसन्स की गुन्जायश है वह भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी है तो हम उस ओर कदम उठाने में कभी हिचकते नहीं हैं। लेकिन उनकी मांगों के पीछे कोई बल भी होना चाहिए।

अभी हमारे इन्जीनियर्स की चर्चा की गई। नियम ५१ का आज नोटिस भी है। मैं तब कहूंगा। लेकिन इस समय यह जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी मांगे सामयिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वेतन में एनमिलीज हैं हमने कहा कि बोर्ड की सब कमेटी बिठा दें। बोर्ड की सब कमेटी ने कहा कि हैं, पर सुप्रीम बाड़ी ने कहा कि उस रिपोर्ट को हम नहीं मानते। इन्जीनियर्स आए, मैंने कहा कि हम जज को नियुक्ति कर दें और वह देखेगा कि हैं या नहीं। अब वे लोग मुझे डिक्टेट करने लगे कि उसमें यह होना चाहिए कि सब कमेटी की फाइंडिंग्स बाइन्डिंग होंगी। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है। कोई भी पे कमीशन जब बैठता है तो यह कहा जाता है कि यू हेव टू रिकमन्ड एबाऊट सब एन्ड सच। तो मैंने कहा कि मैं उनका डिक्टेशन नहीं मान सकता। आखिर जुडिशियरी के

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

प्रति हमें सबको नत मस्तक होना चाहिए । अब यह कह देना कि हम जैनरेशन घटा देंगे, किसान के गेहूं को खलियानों में सड़ा देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे आदि आदि बातें कहना बिलकुल बरदास्त नहीं की जा सकतीं । दो दिन पहले कहा कि हम हड़ताल वापस लेते हैं, फिर कह दिया करेंग । तो मैं नहीं समझता कि आज की उनकी भाषा सामयिक है और कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ।

उनकी एक मांग टाइम बाउन्ड पे स्केल की है । मैंने पूछा कि हिन्दुस्तान में कितने बोर्डस में यह है, उन्होंने तीन के नाम लिए । मैंने यहां तक कहा कि सेन्ट्रल अथारिटी को हम भेज देंगे अगर वे कहेंगे तो हम विचार करेंगे मगर उसके लिए भी वे नहीं रुक पाए । लीव इन्केशमेन्ट की बात उन्होंने कही, मैंने कहा वह मैं माने लेता हूं । एनामली की बात के लिए मैं इस पर तैयार हूं कि जज की जो बात होगी वह माननी होगी, जो रिपोर्ट वह देगा उसे मानिए। अगर उसको हम न माने तो आपको आन्दोलन करने का अधिकार होगा ।

यह हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल हो, लेकिन जब हड़ताल का पक्ष उभड़ता है, तो इधर के लोगों की जो जिम्मेदारी है, उधर के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है । पिछले दिनों में जो हड़ताल उभाड़ी गई और जब यह तय किया जा रहा था कि पोल्स को गिरा दिया जायगा, दीपावली अंधेरी होगी, तो उधर के बैठने वाले कई मित्रों ने कहा था ।

श्री श्याम धर मिश्र--

विरोधी तो आप ही के यहां है । आप ही सरकार है और आप ही बिरोधी दल हैं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इसके आगे एक बात और कहना चाहता हूं बिजली के कनेक्शन्स के बारे में । अभी मेरे इलाहाबाद के अपने एक माननीय विधायक कह रहे थे, मैं जरूर उस बात को जांच करा लूंगा । लेकिन उसके साथ-साथ यह भी दिक्कत हो जाती है कि हमारा विभाग जिस मुस्तैदी के भाव से जाना चाहिए नहीं जाता है । जब रिटर्न आने वाला है ४५ आदमियों पर, न तो कोई बताने गया, न कोई लिया । २५ आदमी महानगर में डूबे बैठे हैं कि भाई हमने तो २५ रुपए जमा कर दिया, नहीं मिल रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)

४५ के होने पर भी नहीं कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

अभी चर्चाओं में यह भी शिकायत रही कि कई जगह कनेक्शन नहीं लगे । मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से हमने अपने सूबे को ऐसा बनाया ही नहीं । ट्रान्सफारमर छोड़ कर बाकी सामान बिजली के खम्भे आदि हम हरियाणा से मंगा रहे हैं और सारे स्टेट्स ने इन्फ्लूरी जिसको कहते हैं डेवलप किया, अब वह काम करें कि प्रोजेक्ट बनाए कि तनख्वाह बढ़ायें, उनको दें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों में सुधार आवे और बाकी चीजें ठीक से चलें। एक विजीलेंस सेल की चर्चा की गई । विजीलेंस सेल हमारे पास है । उसका मूल काम चोरी रोकना है । उसका मूल काम ट्रान्सफारमर और तार की चोरियों को पकड़ने का है । मैंने उससे

थोड़ा सा काम जांच संबंधी भी लिया है। जब मुझे शिकायतें पहुंचती हैं, किसी असिस्टेंट इंजीनियर की, किसी दफ्तर की, तो मैंने उनकी रिपोर्ट मंगाई है। यह बात सही है कि चूंकि चेयरमैन के अन्डर वह स्टाफ है, एसलिए चेयरमेन उनसे कहते हैं कि तुम मंत्री जी को डायरेक्ट रिपोर्ट क्यों देते हो। बोर्ड से वह रिपोर्ट मेरे पास आयेगी, तो वह ज्यादा कारगर होगी। यह हमारा सेल बने और अच्छा काम करे, बिजली की चोरी, ट्रान्सफारमर की चोरी, तार की चोरी यह एक जघन्य अपराध बन गया है। मुझे यह भी सूचना मिलती है कि डिपार्टमेंट के कुछ इने गिने कर्मचारी इसमें शरीक हैं। श्रीमन् इस चोज की मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिजली की चोरी, सामानों की चोरी कम से कम हो। एक बात स्पष्टीकरण के रूप में फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारा किसी के साथ कोई द्वष नहीं है। हिन्डालको की बिजली किसानों के हित में काटी गयी। हाई कोर्ट ने साढ़े ४२ कहा और सुप्रीमकोर्ट ने १४ से २० मेगावाट बिजली कहा। मजबूरी है कि बिजली नहीं है, किसान मड़ाई के लिए खड़ा है, इसलिए २० मेगावाट बिजली कहीं न कहीं से काटकर निकालकर उनको भेजेंगे। मान्यवर, बिजली विभाग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कई वर्षों के बाद पिछले इंजीनियर्स की हड़ताल की धमकियों के बाद और उनके नान कोआप-रेशन को छोड़कर उद्योगों में कोई कटौती नहीं है। इसलिए पहली बार उद्योगों का वातावरण बना है। यह सारा चित्र समाज के सामने जाता है तो बिजली विभाग की उपलब्धि एक बन जाती है और जो कमियां हैं उनको धीरे-धीरे दुर करेंग और आने वाले समय में यह काम आपके सहयोग से होगा।

मान्यवर, आपने कहा कि एम० एल० एज की कमेटी बने। तो यह बात हमारे दिमाग में पहले थी। हमने एक बार आप लोगों को पत्र भेजा था। जब कमेटी में आप लोगों को डाले तो जैसे ४ कनवशन आपने कहा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाते आपने कह दिया कि इसको ठीक है, इसको दे दो और ६ माह वह अपने मन से दे लेंगे। इस वर्ष एक पत्र डी० एम० को लिखा कि हर महीने में एम० एल० ए० को बुलाया जाय और जिसमें सुपरिन्टेडेन्ट इजीनियर को भी बुलाया जाय और जिसमें आप लोग देखें। रजिस्टर को देखें कि कहां कमी है और कहां ज्यादा है। तब आप कहेंग कि डिस्ट्रीब्यूशन में कमेटी बना दें और आपको रखें तो मैं रख दूंगा। आपने जो सुझाव दिये मैं उसके लिए आभारी हूं और मैं आपके सहयोग की कामना करता हूं कि हमारे जो सब-स्टेशन बने हैं उसमें जायं। वहां रजिस्टर हैं उसको देखें कि कितनी कहां बिजली की कटौती की गयी है, कब मरम्मत हुई इन सब चोजों को देखें। जो गाव से शिकायतें आती हैं उनको कब अटन्ड किया गया है यह सब देखें। इससे आपकी समझ में वर्किंग आजायेगी। सब स्टेशन में जान पर वहां के लोगों से बात करने पर समस्या का समाधान जल्दी हो जायगा। जो आप मुझसे कहते हैं उसके बारे में यहां से पत्र जाते-जाते काफी समय हो जाता है और शायद इंजीनियर उसको न भी पढ़े। वहां जाने पर हमारे विभाग का प्रत्येक कर्मचारी आपको सम्मान देगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह नहीं रहेगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि आज जो मैंनें मांगें रखीं हैं उसे एक स्वर से पास करेंगें और माननीय मिश्र जी जो पूरी तरह से कन्विन्स हो गय होंगे वह अपन कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंग।

श्री अध्यक्ष—

मिश्र जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र---

मान्यवर, आप जानते हैं और मैं स्वयं जानता हूं कि मुझे कोई भरोसा इनकी बातों से नहीं हुआ है । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिला मुरादाबाद के अन्दर देहात के लोगों को इस समय पर जबकि थ्रेसिंग का काम हो रहा है ४ घंटे बिजली मिल रही है तो इसका क्या कारण है ? इस कमी को दूर करने को क्या आप कोशिश करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, यह जानकारी मुझे दी गयी है । आपके मुरादाबाद में वोल्टेज का प्राबलम थी । पश्चिमी जिलों में जहां से बिजली जाते जाते वोल्टेज डाउन हो जाता है दिल्ली से आज रात को बिजली मिलने वाली है और अगर दिल्ली ने आज रात बिजली दे दी तो कोई समस्या नहीं रह जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६०---विद्युत विकास सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६०-विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२५,०१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९७-ऋण और अग्रिम-बिद्युत्-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९७-ऋण और अग्रिम विद्युत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५१,९१,६७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाता है ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह तथा उसी में श्री श्याम धर मिश्र की भी सूचना है कि दिनांक ५ मई, १९७८ को जिला गोंडा के चुनाव क्षेत्र मनकापुर में श्री राम कृष्ण द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद् पर प्राण घातक हमला तथा कांग्रेस कार्यालय के सामान का लूटा जाना । मैंने इसको स्वीकार किया है । माननीय गृह मंत्री जो इस पर वक्तव्य कब देंगे ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)

११ तारीख को दे दुंगा ।

श्री अध्यक्ष—

दुसरा श्री डी० पी० बोरा का है, दिनांक ५ मई, १९७८ के सर्वोच्य न्यायालय के फैसले के बावजूद रेनूकोट स्थित हिन्दुस्तान एल्यूमोनियम कारपोरेशन के १००० मजदूरों की छटनी के कारण घोर असन्तोष के विषय में है । २६-४-७८ को इस विषय पर शासन के द्वारा यह अनुरोध किया गया था और इस पर १२-५-७८ को माननीय विद्युत् मंत्री ने वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया है । इसलिए इस पर पुनः वक्तव्य के लिए माननीय विद्युत् मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

अब एक और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री उठई राम, श्री बाबू सिंह यादव, श्री सुल्तान सिंह, श्री भाभो यादव, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री प्रदीप कुमार श्री नाथू राम शिक्षक का दिनांक १ मई, १९७८ को इलाहाबाद में कचहरी स्थित दीवानी के रिकार्ड रूम में भीषण अग्निकाण्ड के विषय में हैं । इस संबन्ध में मैं पहले भी आदेश दे चुका हूं कि सरकार वक्तव्य दे दे । माननीय मंत्री जी इस पर वक्तव्य कब संभव होगा ?

श्री राम सिंह—

इस पर भी ११ तारीख को वक्तव्य दे दुंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) —

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता था कि नियमावली में यह व्यवस्था दी हुई है कि नियम ५१ कार्य समाप्ति पर इस समय लिया जाया करेगा लेकिन पहले यह व्यवस्था थी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जहां लिए जाते थे उसके बाद नियम ५१ लिए जाते थे । यह परिवर्तन इसलिए किया गया था कि अविलम्बनीय तथा तत्कालिक समस्या होने के कारण संबन्धित मंत्री को वह भेज दिया जायगा और इस समय सांयकाल को वह वक्तव्य देना चाहें, तो दे सकते थे लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि नियम बदलने की भावना तिरोहित हो गयी और सांयकाल को भी वक्तव्य न दे कर माननीय मंत्री अग्रेतर तिथि बतलाते हैं । इसलिए आपसे निवेदन करुंगा कि नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर या तो सांयकाल को ही वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करायें या फिर कार्य स्थगन के साथ ही उनको लिया जाया करे ।

श्री अध्यक्ष—

नियम समिति की बैठक तीन बार बुलाई गयी लेकिन कोरम के अभाव में तीनो बार स्थगित की गयी । नियम समिति में इस प्रश्न को रखा जायगा तभी इस पर कोई विचार किया जा सकेगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उन्नाव में साढ़े ८ बजे एक एडवोकेट राज किशोर की गोलीमार कर हत्या कर दी गयी । नियम ५१ में इसे मैंने दिया था । उस पर कम से कम वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह है तो । लेकिन बेहतर होगा कि आप इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें ।

काशीपुर जिला नैनीताल में श्री तुलाराम तथा उनके पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*(गृह मंत्री)—श्री राम सिंह

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १९-४-७८ को रात्रि के ८-३० बजे श्री रघुनन्दन ने जिला नैनीताल के थाना काशीपुर पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि उसी दिन रात्रि के करीब आठ-सवा आठ बजे दो व्यक्ति काशीपुर बाजार में स्थित श्री तुलाराम आढ़ती की दुकान में सौ रुपये का नोट भुनाने के बहाने से घुसे जहां श्री तुलाराम, उसका पुत्र विनोद कुमार तथा वादी श्री रघुनन्दन, जो दुकान का सेल्समन है, बैठे थे । एकाएक उनमें से एक व्यक्ति ने उनको तमंचा दिखाकर एवं धमकाकर उन्हें जबरदस्ती दुकान के अन्दर वाले कमरे में ले गया तथा नकदी लूट लिया । एक आदमी ने उन्हें कमरे में बन्द करने का प्रयास किया परन्तु जब श्री विनोद कुमार ने इसका प्रतिरोध किया तो उन्होंने पहले श्री विनोद कुमार पर फिर श्री तुलाराम पर गोली चला दी । उसके पश्चात दोनो आदमी एक कार में बैठ कर भाग गये । श्री विनोद कुमार के शोर मचाने पर अन्य व्यक्ति आये । उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा ३९४/३०७ भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई एवं अभियुक्तों को पकड़ने के लिए सीमावर्ती जिलों को सूचना दी गयी । अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही श्री विनोद कुमार की मृत्यु हो गई । श्री तुलाराम को गम्भीर हालत में मुरादाबाद अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई । मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियोग में धारा ३०२ भा० द० वि० भी जोड़ दिया गया । घटना की सूचना पाते ही तुरन्त पी० ए० सी० के दो प्लाटून तैनात कर दी गई तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तत्तकाल घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होने नागरिको से बातचीत की तथा आश्वासन दिया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जायेंगे । पुलिस अधीक्षक तथा डी० आई० जी० भी घटनास्थल पर गये । नगर की चौबीसों घंटा पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई । इन्सपेक्टर इंचार्ज थाना काशीपुर का तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उनके स्थान पर अनुभवी इन्सपेक्टर तैनात कर दिया गया है । एक हेड कान्सटेबिल लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा एक पुलिस ड्राइवर का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थानान्तरण कर दिया गया है । अब तक की विवेचना से अपराधियों का पता नहीं चल सका है परन्तु ज्ञात हुआ है कि घटना में प्रयोग की गई कार हरिद्वार से चुराई गई थी । मामले की विवेचना प्रचलित है तथा अपराधियों के खोज के प्रयास जारी है । यह कहना सही नहीं है कि काशीपुर बाजार में भय और आतंक व्याप्त है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह घटना १९ तारीख को घटी और बीच बाजार में घटी और दुःसाहसिक काम किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि १९ तारीख के बाद जो विशेष व्यवस्था की गई, तो यह आदेश किस तारीख को पारित किए गए ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, घटना की सूचना पाते ही, जैसा मैंने वक्तव्य में पढ़ा, ये अधिकारी वहां पहुचे और उसके तुरन्त पश्चात व्यवस्था कर दी गई ।

श्री अध्यक्ष--

१९ तारीख की घटना है । वे पूछते हैं कि किस तारीख में पहुंचे, ये अधिकारी ?

श्री रामसिंह--

इस संबन्ध में निश्चित तारीख तो इस वक्त नहीं बता पाऊंगा ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि जिस समय यह घटना हुई और लोग एफ० आई० आर० लिखाने गए तो उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया । लेकिन यह वक्तव्य संतोषजनक है । मंत्री जी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह--

जैसा मैंने निवेदन किया कि एक सुराग यह मिला है कि १८ तारीख को हरिद्वार से एक कार चोरी की गई है और उसमें बैठकर ये अभियुक्त भागे हैं । उसी के जरिये यह कहा गया है कि इस कार का मालिक दिल्ली में रहता है इसकी कोशिश की जा रही है कि ये वहां से आये और किस तरह से यह वारदात हुई ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि फौरन पुलिस तैनात कर दी गई । गोली चलाने का वाक्या हुआ है ७.५० बजे । गोली चलाकर दोनों आदमी हलाक हो गये । पुलिस के अधिकारी लगभग साढ़े दस बजे एक तवाइफ के यहां थे.....

श्री अध्यक्ष--

आप सीधे सवाल पूछें कि क्या मंत्री जी को सूचना है कि इस घटना के दो ढ़ाई घंटे बाद तक पुलिस अधिकारी किसी वेश्या के घर में थे.....

श्री मुकीमुर्रहमान--

चुंकि वक्तव्य में दिया है कि वहां पर पुलिस फौरन पहुंच गई थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां पर प्रदेश और मंत्रि-मंडल के स्तर से आदेश हुए। इतना घपला हो गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हादसे के कितने घन्टे बाद पुलिस वहां पहुंची ?

श्री राम सिह--

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी और जो विवरण मैंने दिया है, अगर उसमें कोई अन्तर होगा तो मैं अवश्य उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

पुलिस अधिकारी एक वेश्या के घर के अन्दर थे और जनता स्वयं उनको पकड़ कर ले गई, क्या इस तरह की आपके पास सूचना है ?

श्री राम सिंह--

ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन मैं जानकारी करा लूंगा और ऐक्शन लूंगा।

श्री देव बहादुर सिह (जिला नेनीताल)--

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि श्री रघुनन्दन ने थाने पर लिखित रिपोर्ट दी। मैं जानना चाहता हूं कि लिखित रिपोर्ट थाने में कितने बजे दर्ज की गई ? दूसरी बात यह है कि थाने में उस वक्त कौन-कौन पुलिस अधिकारी मौजूद थ ? इसमें कहा गया है कि इन्सपेक्टर इंचार्ज, हेड कान्सटेबिल तथा ड्राइवर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। किस अपराध में स्थानांतरण किया गया है ?

श्री राम सिंह--

रिपोर्ट में टाइम दिया है दिनांक १९-४-७८ को रात्रि के आठ-सवा आठ बजे यह घटना हुई।

श्री देव बहादुर सिंह--

रिपोर्ट लिखाने का टाइम क्या है ?

श्री राम सिंह--

रिपोर्ट लिखाने का समय साढ़े ८ बजे है। जहां तक कर्मचारियों का स्थानान्तरण का प्रश्न है वहां की जनता ने शिकायत की कि पुलिस की लापरवाही से यह हुआ था उसी कारण किया गया।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस घटना के दूसरे दिन सवेरे के टाइम में आसपास के जिले के लोग पकड़े गये। बाद म उनको किस आधार पर छोड़ दिया गया ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। यह इसके अतिरिक्त प्रश्न है।

सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (संस्थागत वित्त मंत्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाय यानी साढ़े ६ बजे तक के लिए ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

काशीपुर जिला नैनीताल में श्री तुलाराम तथा उनके पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो दो लोग मारे गये हैं उनको सरकार क्या सहायता दे रही है ?

(श्री राम सिंह) गृह मंत्री—

मान्यवर, सहायता की कोई आवश्यकता इस प्रश्न पर पैदा नहीं होती । जब मुलजिमान पकड़े जायेंगे, तफतीश हो रही है जब परिणाम सामने आयेगा तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस कार में मुलजिमान गये हैं उसको जब्त करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या वह कार पकड़ी गई है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, कार का नम्बर पता चला है । लेकिन यह सूचना नहीं है कि कार पकड़ी गयी है । अगर कार उपलब्ध होगी तो अवश्य जब्त की जायेगी ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अगर आप इजाजत दें तो मैं मंत्री जी को मामले के बारे में बता दूं । मैं निवेदन करूंगा कि यह कार १९ तारीख को पौने दो बजे चेती मेले में गई और सवा घंट एस० डी० एम० के यहां इस कार के लोगों ने बातचीत की । यह कार ऋषिकेश से चोरी गई और वहां से हरिद्वार रुकी और दो लड़कियों को पकड़ कर ले गये और उनके साथ बलात्कार किया । मैं स्वयं हरिद्वार जाकर इनक्वायरी करके आया हूं और गाड़ी का नम्बर लाया हूं । यह कार चेती मेले में आने के बाद पीरमाला और गोसाला में रुकी । वहां पर कार को मजमें ने रोका और १०, १२ आदमियों ने उनको घेरा । वहां के एस० डी० एम० से जनता पार्टी के लोग और

[श्री मुकीमुर्रहमा]

अध्यक्ष मिलें । तो एस० डी० एम० ने कहा कि जब दुकान की इतने दिन छुट्टी थी तो लाला जी ने क्यों दुकान खोली ? मारा गया है तो मर जाने दो । इस बात पर एस० डी० एम० को कार्यकर्ताओं ने घसीटा और दो चपत भी मारे । यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र से दो मील दूर होने के नाते मेरे से संबंधित है इसलिए मुझे मालूम है । वहां के कार्यकर्ता मुझसे मिलें । इनक्वायरी से पहले सी० ओ० साहब वहां गये पानी से खून को धो दिया । तो यह मामला बिना साजिश के नहीं हो सकता है। मैं स्वयं जा कर देख आया हूं । वहां जो गाड़ी मिली है वह एक घंटा नगरपालिका के गेट के बायें खड़ी रही । तो इससे स्पष्ट हो जाता है इसमें साजिश है । साढ़ आठ बजे रिपोर्ट हुई और साढ़े १० बजे पुलिस पहुंची । लोग पुलिस को खींच कर ले आये । यह सारी बातें होने के बाद एस०एस०पी० नैनीताल ने खुद कार्यवाही की । यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन से यहां पर कोई कार्य नहीं किया गया । मैं सिर्फ इतना अनुरोध करता हूं, मंत्री जी से कि माननीय मंत्री एस० डी० एम और टोटल थाने की जानकारी करें और कोई ऐसा कदम उठाएं कि आने वाले वक्त में पुलिस को यह इबरत हो कि मौके पर न पहुंचने पर हमारा क्या हो सकता है ।

श्री राम सिंह---

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उस सूचना को सही मानकर पुनः जांच करवा लूंगा । फिर सदन को इत्तला दूंगा।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ, आपने प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको देखा नहीं, कि आप खड़े हुए ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, सातवीं लाइन में देखें --एक व्यक्ति ने उनको तमंचा दिखा कर एवं धमका कर उन्हें जबरदस्ती दूकान के अन्दर वाले कमरे में ले गया तथा नकदी लूट लिया । वह कितना रुपया था, यह ब्योरा है आप के पास ?

श्री राम सिंह---

इसमें लगभग ५ हजार रुपये की इत्तला है । पांच हजार रुपये लूटा गया ।

श्री राघव राम मिश्र---

इसमें स्वीकार किया गया है कि काशीपुर में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है । जो दुर्घटना हुई है उससे प्रदेश में भी ला एंड आर्डर के प्रति

एक असंतोष व्याप्त है । क्या मंत्री जी आज सदन में आश्वासन देंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है इसमे कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस विषय को टालने की कोशिश कर रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में यह आश्वासन देंगे कि इतने समय के अन्दर वहां का पुलिस प्रशासन उन अभियुक्तों को अवश्य पकड़ लेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका निश्चयात्मक उत्तर मंत्री जी नहीं दे सकते । यह कहा है कि वहां पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी है । पकड़ने का प्रयास हो रहा है । इसलिए इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं ।

प्रदेश में बिजली की पूर्ति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, श्री श्यामधर मिश्र के सामने अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षणार्थ प्रस्ताव पर जो आपने आदेश दिया था उस सम्बन्ध में वक्तव्य है ।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

यह वक्तव्य बड़ा है । इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपने पढ़ लिया है ? अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं मान लेता हूं कि सभी सदस्यों ने पढ़ लिया है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं मानने को तैयार हूं । मैंने पढ़ लिया है ।

श्री अध्यक्ष—

तो माननीय मंत्री जी आप प्रश्नों का उत्तर दीजिये ।

†श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् अभियन्ता संघ दिनांक १५ अप्रैल, १९७८ से १ घन्टा की कलम बन्द : औजार बन्द हड़ताल पर हैं तथा दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को उन्होंने २४ घन्टे की सांकेतिक भूख हड़ताल की थी । तत्पश्चात् यह फिर एक घन्टे की कलमबन्द : औजार बन्द हड़ताल पर हैं तथा २८ अप्रैल को पूरे दिन कलम बन्द : औजार बन्द हड़ताल करने की सूचना उनसे प्राप्त हुई है ।

यद्यपि अभियन्ता संघ ने उपर्युक्त आन्दोलन से मशीनों पर तथा ब्रेक डाउन अटेन्ड करने वाले अभियन्ताओं को छूट की घोषणा की थी परन्तु उनके आन्दोलन के समय से लगातार विद्युत् उत्पादन मे गिरावट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उत्पादन में जानबूझकर कमी की है । विद्युत् उत्पादन जो क्रमशः बढ़ कर २६ तारीख तक लगभग १७०० मेगावाट था और पनकी में विद्युत् कर्मचारियों की

†विद्युत् मंत्री का वक्तव्य सदन में पढ़ा नहीं गया,

†पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद १५ अप्रैल को लगभग १५०० मेगावाट था, क्रमशः घटकर २२ तारीख को जब कि प्रातः काल के समय १४०० मेगावाट था सायंकाल तक घटकर लगभग ८०० मेगावाट हो गया था।

इस आकस्मिक गिरावट की स्थिति को देखते हुए मैं स्वयं ओबरा गया और साथ में परिषद् के अध्यक्ष को भी ले गया। उसके बाद यह उत्पादन बढ़ौतरी की ओर अग्रसर है और २६ तारीख की शाम को १९ बजे १३८६ हो गया। आशा है कि उत्पादन की स्थिति में और सन्तोषजनक सुधार होगा। अभियन्ताओं की मांगें निम्न प्रकार है :

१--उन्हें अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय,

२--उनकी जनवरी १९७३ की हड़ताल के समय जिन अभियन्ताओं पर तोड़ फोड़ के मुकदमे कायम किये गये थे उन्हें उठा लिया जाय,

३--उनके वेतनमान एवं प्रतिकर भत्ता में तथाकथित असंगतियों को दूर किया जाय,

४--उन्हें १-६-१९७४ से ३१-१२-१९७६ तक का केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता दिया जाय।

५--उनके लिए समयबद्ध वेतनमान स्वीकार किया जाय।

उपर्युक्त मांगों में से अवकाश नकदीकरण की सुविधा को लागू कर दिया गया है तथा १९७३ से स्थापित मुकदमों को समाप्त करने के लिए भी कह दिया गया है। परन्तु उनसे इस विषय में अभियन्ता संघ से पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

वेतन इत्यादि की असंगतियों के विषय में विचार करने के लिये विद्युत् परिषद् द्वारा एक विशेष सेल का गठन कराया गया था, जिसकी संस्तुति १२ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुई थी और उसे १५ अप्रैल, १९७८ को परिषद् के सन्मुख रखा गया था। उक्त सेल की संस्तुति जिससे लगभग दो करोड़ रुपये का अनावर्तक तथा लगभग ३० लाख रुपये का आवर्तक बोझ परिषद् पर पड़ने की सम्भावना है, वित्त विभाग के विचाराधीन है। उनकी समयबद्ध वेतनमान की मांग, जो इस समय विशेष सेल के विचाराधीन है, के विषय में उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा जा सकती है।

यद्यपि अभियन्ता सम्बन्ध के पदाधिकारियों को बार-बार उपर्युक्त स्थिति से सूचित कराया गया है, परन्तु वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। यह सन्तोष की बात है कि अब कल सायंकाल से वार्ता प्रारम्भ हुई है और हमें विश्वास है कि अभियन्ता-गण अपनी हठवादिता छोड़ देंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़े और वे शीघ्र ही पूरी निष्ठा के साथ अधिक से अधिक बिजली बनाने में तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने में जुट जायेंगे।

फिर भी यदि दुर्भाग्यवश कहीं वार्ता विफल हुई तो शासन स्थिति के प्रति सजग है और आवश्यक सेवा नियम के अन्तर्गत हड़ताल को विफल बनाने तथा विद्युत परिषद् द्वारा बिजली आपूर्ति के लिये पूरी पूरी कोशिश करेगी।

आशा है आप सब के सहयोग जनता के सहयोग से और कोई भी गम्भीर स्थिति निकट भविष्य में खड़ी ही न होगी।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं, बिजली कब देंगे ग्रामीण अंचलों में १६ से १८ घंटे तक बिजली देने की व्यवस्था घोषित की गई है। लेकिन आज भी बहस में आया, दो घंट से ले कर चार घंटे, ६ घंटे, नौ घंटे कटाई के बीच में बिजली है। एक प्रश्न पूछू या सब प्रश्न साथ में कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछिए

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं यह जानना चाहता हूं पन्ना दो पर देखें, अनुच्छेद २ है ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि प्रदेश में बिजली की कमी के कारण भीषण हाहाकार है और पीने का पानी दुर्लभ है, सत्य से परे है। हां इतना अवश्य है कि जहां पिछले वर्ष रिहन्ड का अत्यधिक पानी उपयोग किया गया था, हां मैं रिहन्ड के बारे में प्रश्न करना चाहता हूं कि आज अखबार में है, कि इस महीने के अन्त में रिहन्ड डेम की हालत वही होगी जो पिछले साल हुई थी। मई के अन्त तक पानी कम हो जायेगा और इसका विद्युत् जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको सन्तुष्ट करने के लिए मंत्री जी बहुत तत्पर हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

रिहन्ड के बारे में वह क्या कहते हैं, जो बातें निकली हैं उनसे यह आशंका बलवती हो गयी है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार रिहन्ड की ६ मई को ८३२ फिट पानी रह जायेगा। २२ अप्रैल, १९७८ को ८४० था। इससे विद्युत् जनरेशन कम हो जायेगा।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय मिश्र जी ने इस वक्तव्य को इसलिए नहीं पढ़न दिया कि पहले की कमियों की ओर इसमें संकेत है।

श्री श्यामधर मिश्र—

कैसा अन्याय है। मान्यवर, आप रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, स्थिति यह है कि जो नोटिस माननीय मिश्रा जी ने दिया था वह यह है कि बिजली के उत्पादन में कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। पहले पन्ने पर आप देखें। पिछले वर्ष इन दिनों में बिजली की कमी के कारण जहां गांवों में बिजली औसतन चार घन्टे से अधिक नहीं मिल पा रही थी और जहां औद्योगिक

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

क्षेत्र में भीषण कटौती की गयी थी, जिसके कारण प्रदेश के सभी अविरल उद्योगों में ३३ प्रतिशत की कटौती लागू करनी पड़ी थी तथा सीमेंट और उर्वरक जैसे उद्योगों में भी ५० प्रतिशत की कटौती लागू की गयी थी । वह हम सब दे रहे हैं । २४००० नलकूपों को इनरजाइज करके उनको बिजली दे रहें हैं । बिजली का भीषण हाहाकार नहीं है । जहां तक रिहन्ड का प्रश्न है, मुझे खुशी है कि माननीय मिश्रा जी मान तो गये कि ८३२ फिट पानी है । १२ जून को मानसून आ जायेगा राम गंगा को रिजर्व किए हुए हैं और हम प्रदेश को बिजली की तड़पन महसूस होने नहीं देंगे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं । वहां भी पानी है और आपने ७७० तक रिहन्ड को चलाया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका मुख्य प्रश्न यह है कि देहातों में १६ से १८ घन्टे बिजली देने की व्यवस्था की घोषणा आपने की है, लेकिन वह नहीं मिल रही है । बहुत जगह ४–६ घन्टे बिजली नहीं आ रही है । क्या इसकी जानकारी है ? अगर नहीं है तो क्या पूरी जानकारी प्राप्त करके जो सूचना होगी उसको उपलब्ध करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहा है कि १५-४–७८ से हमारे अभियन्ताओं ने एक घंटे की कलम बन्द और औजार बंद हड़ताल शुरू कर दी और २२–४–७८ को सामूहिक रूप से हड़ताल पर बैठ गए जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्युत उत्पादन में गिरावट आई । जहां पर २१–४–७८ को ३१.३३ मिलियन यूनिट अर्थात् लगभग १४०० मेगावाट उत्पादन था वहीं २२–४–१९७८ को घटकर २५.७७० मिलियन यूनिट अर्थात् ९१२ मेगावाट रह गया । इस कमी के कारण प्रदेश में विशेषकर देहाती क्षेत्रों में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि आम तौर पर ३३ के० वी० के फीडर खोलने पड़े लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्थिति में सुधार हुआ है । २३ अप्रैल को यह १३५६, २४ अप्रैल को बढ़कर १४६७ और ३० अप्रैल को १५५५ मेगावाट हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह बता दें कि ग्रामों की स्थिति क्या है । क्या अब स्थिति में सुधार हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में १६ घंटे बिजली मिल रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हर गांव में बिजली पहुंचे, यह हमारा प्रयास है ।

श्री अध्यक्ष—

जो बिजली का उत्पादन हड़ताल की वजह से कम हो गया था क्या अब उनको १६ घंटे बिजली मिल रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैं अलग-अलग की बात कर रहा हूं । हमारे गांव में ३३ के० वी० फीडर । जब वोल्टेज डिमांड बढ़ जाती है कोल्ड स्टोरेज भी हमारे चल रहे हैं

और अबकी साल तो कृशर्स और चीनी मिल भी चल रहे हैं तो इस डिमांड के कारण से हमको गांवों की बिजली में कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जैसे-जैसे सूचना आ रही है, स्थिति में सुधार हो रहा है। अभियन्ताओं से वार्ता भी चल रही है और मुझे विश्वास है कि वे लोग हड़ताल वापस ले लेंगे। अगर हड़ताल समाप्त हो गई तो जेनरेशन में सुधार होगा और हम १४ घंटे गांवों को बिजली दे देंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला फिरोजाबाद)--

फिरोजाबाद में ४ तारीख से लेकर ७ तारीख तक न तो देहात में और न शहर में बिजली दी गई जिसका नतीजा यह हुआ कि १ लाख मजदूर बेकार हैं और माननीय मंत्री जी जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कब तक वे वहां पर बिजली दिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि पानी और रोजगार की समस्या हल हो जाय ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

फिरोजाबाद के बारे में जो माननीय सदस्य ने सूचना दी थी, मौखिक रूप से भी शिकायत की थी, टेलीफोन कराकर उनके पास नोट भेज दिया है उसमें कहा है कि १२ बजे दिन से १२ बजे रात्रि के १२ घंटे बिजली दी जायगी। दिल्ली से हमें बिजली मिलने वाली है। हमने दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा से कोशिश की ताकि हम अपनी स्थिति में सुधार कर लें लेकिन अभी दिल्ली ने ही वादा किया है कि वे बिजली देंगे।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व मैं इलाहाबाद और उस जिले के गांव में गया था। मुझे बताया गया कि २७ अप्रैल से ५ मई तक किसानों को बिजली बिल्कुल नहीं मिल पाई है। जब पुरवा हवा चलती है तो किसानों का भी मन सूखता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके बारे में आप उन्हें बता दें ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

कौन सा इलाका है, अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो मैं पता लगवा लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, गांवों में बहुत कम बिजली सप्लाई हो रही थी। २४ अप्रैल से ३० अप्रैल तक। मैं किच्छा गया था वहां पर ७ दिनों के अन्दर ३ दिन तो ३-३ घंटे, २ दिन ४-४ घंटे और २ दिन १३-१३ घंटे बिजली मिली तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर आदेश देने की कृपा करेंग कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था दूर हो जाय ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि अगर १५ दिन बिजली दे दें तो जनता सरकार जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त स्वयं कहा था कि हम राहत देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण दे रहे हैं । इसका समय नहीं है ।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

एक घंटा कर्मचारी लोगों ने कलमबन्द हड़ताल कर दिया और एक घंटा औजार फेंक दिया । इससे जो नुकसान हुआ बन्द करने से तो उनकी तनख्वाह से रोरा काट देंग ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, सामान्यतः ऐसे ही चलता है कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाय । वह अपना हठ नहीं छोड़ेंगे तो सरकार सख्त से सख्त कदम उठायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ मई, १९७८

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३८(२) के ता० प्र० सं० ११ के उत्तर पीछे पृष्ठ १३२२ पर]

संलग्नक

मांगों की सूची

१--भविष्य निधि की कुल बकाया धनराशि तुरन्त जमा की जाये ।

२--भविष्य निधि की धनराशि देर से जमा करने के फलस्वरूप मजदूरों को जो हानि हुई उसकी क्षति पूर्ति के रूप में १२ प्रतिशत के ब्याज का तुरन्त भुगतान किया जाय ।

३--अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटे हुए पैसे की दूसरी किश्त का तुरन्त पेमेन्ट किया जाय ।

४--फेमिली पेन्शन के केसेज को भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर से तय कराया जावे ।

५--रिटायर व मृतक कर्मचारियों के वारिसों को तुरन्त काम पर रखा जावे ।

६--रिटायर व मृतक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान शीघ्र किए जावें ।

७--कर्मचारियों का रिटनिंग, वर्दी, तेल, झाड़ू व बान इत्यादि तुरन्त दिया जाये ।

८--सारे केसेज को तुरन्त तय किया जावे ।

९--क्वार्टरों की सन्तोषजनक मरम्मत कराई जावे ।

१०--मेडिकल का उचित प्रबन्ध किया जावे तथा लोकल कर्मचारियों को मेडिकल की उचित सुविधा दी जावे ।

११ --मृत व जख्मी कर्मचारियों का कम्पेनसेशन तुरन्त दिया जावे ।

१२--जून, १९७६ को वेतन देर से देने के फलस्वरूप जो जुर्माना हुआ है उसका तुरन्त कर्मचारियों को पेमेन्ट किया जावे ।

१३--गन्ना क्रय केन्द्रों के इंचार्जों व लिपिकों को १९७६-७७ की होली की छुट्टी का जो सिंगिल पेमेन्ट किया गया है उसका कुल पेमेन्ट किया जावे ।

१४--क्रय केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ड्यू लीव छुट्टी का पैसा दिया जाय ।

१५--भारतवर्ष के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब के निधन के अवसर पर राष्ट्रीय शोक दिवस की छुट्टी ३ दिन का डबल ओवरटाइम का पेमेन्ट किया जावे ।

१६--टेम्परेरी कर्मचारियों को सीनियारटी के आधार पर रखा जाये । यदि किसी जूनियर कर्मचारी को काम पर लगाया गया है तो उसके सीनियर कर्मचारी को उसी दिन से वेतन दिया जावे जिस दिन से जूनियर कर्मचारी को काम पर लगाया गया ।

१७—सीजन १९७५-७६ के बोनस का भुगतान तुरन्त किया जावे ।

१८--बन्द सीजन में टेम्परेरी कर्मचारियों से कार्य कराया गया जबकि सीजनल कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए था । ऐसे सीजनल कर्मचारियों जिन्होंने काम पर लगाए जाने के वास्ते पत्र दिए गए मगर काम पर नहीं लगाए गए उनको पूरा पेमेन्ट किया जावे ।

१९—फैक्ट्री की डिस्पेन्सरी में पूरे समय के वास्ते डाक्टर का प्रबंध किया जावे ।

२०--गन्ना विभाग के इन्चार्ज व सुपरवाइजर को सेकेन्ड ग्रेड दिया जावे व गन्ना विभाग के सारे लिपिकों को थर्डग्रेड दिया जावे ।

२१--ओवर टाइम तथा अन्य देय धनराशि का पेमेन्ट तुरन्त किया जावे ।

नत्थी 'ख'

[देखिए मतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४२ पर]

तालिका

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों का वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७ एवं १९७७-७८ का उत्पादन एवं आय-व्यय का विवरण

इकाइयां	वर्ष	उत्पादन (कुन्तल)	व्यय (लाख रुपयों में)	आय (लाख रुपयों में)
१	२	३	४	५
१—बाराबंकी	१९७५-७६	वास्तविक ६०,२७१	१७६.७०	१५१.५१
	१९७६-७७	वास्तविक ७२,१५८	(२.०५)	१३७.८७
			२२४.५६	(३०.४८)
	१९७७-७८	अनुमानित ९९,९००	..	..
२—भटनी	१९७५-७६	वास्तविक ६४,००५	१७७.७२	१६२.७९
	१९७६-७७	वास्तविक ८८,३०५	(४.९९)	१६९.२८
			२२८.७३	(३९.८९)
	१९७७-७८	अनुमानित ८५,५६२	..	..
३—खड्डा	१९७५-७६	वास्तविक ६५,२५२	१९६.५४	१७१.८९
			(११-५३)	
	१९७६-७७	वास्तविक ९१,४३०	२३२.२७	१६३.५१
				(५१.०८)
	१९७७-७८	अनुमानित ९५,०००	..	..
४—घिपराईच	१९७५-७६	वास्तविक ५५,५७७	१७०.६१	१२९.५७
				(४.७८)
	१९७६-७७	वास्तविक ८०,४०९	२३०.४६	१४६.८०
				(४२.६५)
	१९७७-७८	अनुमानित ९५,०००	..	..

१	२	३	४	५
५—मोहीउद्दीनपुर	१९७५-७६	वास्तविक ९३.३४०	२६८.१३	२३९.५५
			(३४.५६)	
	१९७६-७७	वास्तविक ९७,४६३	३०७.०२	१६४.६९
				(४३.६४)
	१९७७-७८	अनुमानित १,१८,७५०	..	..
६—सखौती टांडा	१९७५-७६	वास्तविक ७१,२१३	२४३.९०	१९०.३९
			(३२.६८)	
	१९७६-७७	वास्तविक १,०८,१७८	३५२.२४	१६०.५९
				(६४.५६)
	१९७७-७८	अनुमानित १,३०,५०००	..	..
७—किच्छा	१९७५-७६	वास्तविक २,१९,८६२	५३८.१६	६०१.६६
			(१०१.७३)	
	१९७६-७७	वास्तविक २,७४,३०१	६६८.०८	४९२.३२
				(८८.३९)
	१९७७-७८	अनुमानित ३,३८,३००	..	..

नोट :—

१—व्यय में केवल रिवेन्यू व्यय ही दर्शाये गये हैं ।

२—कोष्ट में दर्शायी गई धनराशि प्रारम्भिक तथा अन्तिम रक्षतियां का अन्तर है । लाभ हानि ज्ञात करने के लिए इस राशि का सम्मिलित होना आवश्यक है ।

३—वर्ष १९७७-७८ में हुए व्यय तथा आय का विवरण ३० सितम्बर, १९७८ का लाभ-हानि खाता तैयार करने पर ही ज्ञात होगा ।

नत्थी 'ग'

[देखिय अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४५ पर ।]

तालिका (क)

रिसीवरशिप के नियंत्रण वाली चीनी मिलों के गन्ना मूल्य, कमीशन, ब्याज के बकाया का विवरण (लाख रुपयों में)

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	लेने की तिथि	लेने की तिथि पर अवशेष		३१-३-७८ को अवशेष	
			गन्ना मूल्य, कमीशन व ब्याज		गन्ना मूल्य, कमीशन व ब्याज	
१	सहारनपुर	१०-१-७४	(डी०आई०आर० के अन्तर्गत) 22-9-77 (रिसीवर)	४३.१२	११४.६६	
२	रोहानाकलां	१०-१-७४	(डी०आई०आर० के अन्तर्गत) 22-9-77 (रिसीवर)	२७.१६	६६.९४	
३	बरेली	३-२-७७	(डी०आई०आर० के अन्तर्गत) 23-6-77 (रिसीवर)	६६.७१	१३२.७४	
४	बुढवल	३-७-७१		६३.५७	१२१.१४	
५	बुलन्दशहर	३-३-७०		४४.६७	६५.८१	
६	अमरोहा	३-७-७१		७१.४४	१५६.९३	
७	रामकोला(ख)	३-७-७१		३४.७०	३५.८३	
८	जरवल रोड	३-७-७१		६७.११	११२.५९	
९	बिजनौर	३-७-७१		४२.९६	९६.८०	
१०	जसवन्त	३-७-७१		६०.८७	१४७.३७	
११	घुघली	मई, ७७		३५.९६	३०.८८	
१२	सिसवा बाजार	मई, ७७		२६.५६	३६.१८	
१३	छितौनी	मई, ७७		१७.८६	२१.४२	
१४	महोली	२३-९-७७		७९.७१	६७.८१	

पी० एस० यू० पी०--47 वि० सभा--14-9-78--343 (पी०डी०)